केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु

# 58 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2011-2012

# विषय सूची


| | पेज सं. |
|---|---|
| **अध्याय – 1** | |
| संगठनात्मक ढांचा एवं कार्य | 1 |
| बोर्ड का गठन | 1 |
| बोर्ड का संगठन | 1 |
| टी बोर्ड – संरचना व समितियाँ | 1 |
| उपाध्यक्ष का चुनाव | 1-2 |
| टी बोर्ड का कार्य | 2 |
| निधि के स्रोत | 2 |
| प्रशासनिक ढाँचा | 2 |
| मुख्यालय की कार्यकारी गतिविधियाँ | 3 |
| टी बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं का प्रमुख लक्षण | 3 |
| टी बोर्ड की मानव शक्ति | 5 |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग | 5 |
| नियुक्ति अभियान | 5 |
| प्रशासनिक परिवर्तन | 6 |
| **अध्याय -2** | |
| अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय चाय | 7 |
| व्यापक सिंहावलोकन | 7 |
| वैश्विक चाय परिदृश्य | 7 |
| 2011 में वैश्विक चाय परिस्थिति | 10 |
| भारतीय चाय परिदृश्य | 12 |
| प्राथमिक विपणन | 15 |
| **अध्याय – 3** | |
| वित्त | 17 |
| प्रस्तावना | 17 |
| गैर-योजना बजट आवंटन | 17 |
| अनुसंधान एवं विकास अनुदान | 17 |
| अनुसंधान (एईडी) | 17 |
| सहायिकी | 17 |
| विपणन सुलभ अभिक्रम योजना | 17 |
| ऋण कार्पस निधि | 17 |
| विशेष प्रयोजन चाय निधि- कार्पस | 17 |
| प्राप्तियाँ | 18 |

# विषय सूची


| | |
|---|---|
| व्यय – (गैर योजना) | 18 |
| अनुसंधान व विकास अनुदान व्यय | 18 |
| व्यय सहायिकी | 19 |
| विशेष निधि(एईडी) | 19 |
| अनुसंधान एवं विकास (टीआरए सतवार्षिकी अनुदान) | 19 |
| विपणन सुलभ अभिक्रम योजना | 19 |
| **अध्याय – 4** | |
| चाय विकास | 20 |
| प्रस्तावना | 20 |
| विकास समिति | 20 |
| विकास समिति द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण सिफारिशें | 20 |
| विकासशील योजनाएं | 21 |
| बाह्य एवं वित्तीय उपलब्धियाँ | 21 |
| चाय रोपण विकास योजना | 21 |
| विशेष प्रयोजन चाय निधि योजना | 24 |
| गुणवत्ता उन्नतिकरण व उत्पादन विविधिकरण योजना | 26 |
| मानव संसाधन विकास योजना | 29 |
| विकास अनुदान | 31 |
| अनुसूचित जाति सह प्लान योजना | 32-34 |
| बेस लाईन सर्वेक्षण | 34 |
| ऋण योजना हेतु रिवाल्विंग कार्पस | 35 |
| अन्य चालू परियोजनाओं के तहत प्रगति | 36 |
| जी.आई.एस. एवं सूदूर सैंसिंग द्वारा चाय क्षेत्रों का नक्शाकरण | 36 |
| दक्षिण भारत के लघु चाय प्रक्रमण इकाईयों में ऊर्जा संरक्षण | 38 |
| ऑर्गेनिक चाय विकास परियोजना | 38 |

# विषय सूची


| अध्याय – 5 | |
|---|---|
| चाय अनुसंधान | 41 |
| प्रस्तावना | 41 |
| सहायता अनुदान | 41 |
| नियोजित योजनाएं | 41 |
| उपासी टीआरएफ में 11वीं योजना अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति | 41 |
| उपासी –टीआरएफ, कूनूर में हाई-टेक चाय कारखाने का निर्माण | 41-42 |
| एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन विकास(आईपीडीएम) | 42 |
| चाय में ट्रांसक्रिप्टोमिक प्रक्रिया द्वारा फाइटोपैथोजेनिक दबाव के दौरान जीन प्रकटीकरण का विश्लेषण | 42 |
| चाय में कीटनाशकों व भारी धातुओं के अवशेषों पर अध्ययन | 42 |
| टीआरए, टोकलाई, असम में 11वीं योजना अनुसंधान परियोजना | 43 |
| मृदा उत्पादकता की निरंतरता कुछ रणनीतियाँ | 43 |
| क्षेत्रीय केन्द्रों एवं टोकलाई में गुणवत्ता परीक्षण कार्यशाला श्रृंखला की स्थापना एवं वर्तमान विश्लेषणात्मक क्षमताओं का सशक्तिकरण | 43 |
| चाय से द्वितीयक श्रेणी के खाद्य ग्रेड मेटाबोलाईटस के संग्रह हेतु प्रणालियों का विकास एवं वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु इस प्रणाली का उन्नयन | 44 |
| चाय शूटस के प्रक्रमण के दौरान अणविक नीव का बायोकेमिकल बदलाव से जोरदार संबंध और तैयार चाय की गुणवत्ता से उसका संबंध । | 44 |
| उत्तर बंगाल भारत के चाय रोपणों में चाय कीट एवं ब्लीस्टर ब्लाईट रोग की रोकथाम के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का विकास | 44 |
| कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना | 45 |
| वजनदार धातुओं पर अध्ययन – चरण –II | 45 |
| स्टेबल गुणवत्ता जिनोटाइप्स के विकास हेतु बॉयोटिक एवं एबॉयोटिक स्ट्रेस विश्लेषण | 45 |
| उत्तर बंगाल क्षेत्रीय अनुसंधान व विकास केन्द्र, चाय अनुसंधान संघ, नागराकाटा | 45 |
| उत्तर बंगाल में चाय की वर्तमान कीट समस्या और उसके संभावित प्रबंधन अध्ययन | 45 |
| लागत प्रभावी रूप में सिंचाई सूची को मद्देनजर रखते हुए मृदा लक्षणों शरीर विज्ञान व पैदावार से संबंधी डुआर्स व तराई के चाय क्षेत्रों में सूखा पर | 46 |
| हरी चाय विनिर्माण व सीटीसी के संबंध में चाय प्रक्रमण के जैव रसायनिक पहलुओं पर अध्ययन | 46 |
| जेनेटीक इंजीनियरिंग व जैव तकनीक हेतु डॉ. बीसी. गुहा सेन्टर, कोलकाता विश्वविद्यालय | 46 |

# विषय सूची


| | |
|---|---|
| उच्च सामर्थ्य चाय टैबलेट के सूत्रीकरण हेतु [illegible] पर लेग हानि पर चाय फ्लेवीनॉएडस की परिवर्तनशाली भूमिका तथा चाय उत्पाद के स्वास्थ्यकारी लाभ के प्रभाव का मूल्यांकन । | 46 |
| भारतीय तकनीकी संस्थान, खड़गपुर<br>चाय के विदरिंग , मैसरेशन, रोलिंग , खमीरीकरण व सूखेकरण में प्रक्रमण पैरामीटरों का मानकीकरण | 47 |
| डीटीआरडीसी, टी बोर्ड, कर्सियांग , पश्चिम बंगाल एवं यूबीकेवी, पुंडीबारी , कुचबिहार, पश्चिम बंगाल | 47-48 |
| उत्तर बंगाल में एसिड मृदाओं में चाय हेतु फॉस्फेट सॉल्यूबिलाईजिंग का विकास | 48 |
| उत्तर बंगाल में एसिड मृदाओं में *नाइट्रोजन खनिजकरण योजना* | 48 |
| भारतीय चाय के परिमेय भौतिक मानको का कापर्स सृजन (सी-डैक परियोजना) | 48 |
| *विनियामक मुद्दे व प्रौद्योगिकी समर्थन* | 48 |
| प्रबंधन परिषद/ट्रस्टी बोर्ड/वैज्ञानिक सलाहकारी समितियों में भागीदारी | 48 |
| | |
| अध्याय-6 | |
| चाय संवर्धन | 49 |
| परिचय: | 49 |
| निर्यात संवर्धन समिति | 49 |
| 5-5-5 परियोजना का आरम्भ | 49 |
| भारत से चाय निर्यात का व्यापक परिदृश्य: | 49-50 |
| बाजार संवर्धन योजना (एमपीएस) के तहत संचालित संवर्धन गतिविधियाँ: | 50 |
| घरेलू संवर्धन: | 50 |
| विदेशों में संवर्धन | 50 |
| प्रचार सामग्री का उत्पादन | 50 |
| निर्यातकों को प्रोत्साहन | 50 |
| कानूनी परामर्श प्रभार | 50 |
| बोर्ड के मुख्यालय द्वारा संचालित गतिविधियां | 51 |
| भारतीय चाय की बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण उपलब्धियां | 51 |
| भारत में घरेलू संवर्धन में टी बोर्ड की सहभागिता | 52 |
| समीक्षाधीन वर्ष में भाग लिए गए अंतर्राष्ट्रीय आयोजन | 52 |
| विदेशी कार्यालयों के अधीन न आनेवाले देशों में संवर्धनात्मक गतिविधियां | 52 |
| सं.रा. अमेरिका | 52 |
| कनाडा | 52 |

# विषय सूची


| | |
|---|---|
| आस्ट्रेलिया | 53 |
| जापान | 53 |
| विदेश स्थित कार्यालयों के संवर्धनात्मक कार्य | 53 |
| लंदन कार्यालय | 53 |
| यूनाइटेड किंगडम | 55 |
| जर्मनी | 55 |
| पोलैण्ड | 55 |
| फ्रांस | 55 |
| मॉस्को कार्यालय | 55 |
| बाजार की स्थिति एवं निर्यात निष्पादन | 56 |
| रूस | 56 |
| कजाकिस्तान | 56 |
| युक्रेन | 56 |
| दुबई कार्यालय | 57 |
| वाना देशों द्वारा आयातित चायों के प्रकार | 57 |
| यू.ए.ई | 57 |
| मिश्र अरब गणराज्य | 58 |
| ईरान | 58 |
| सऊदी अरब | 58 |
| प्रमुख देशवार निर्यात | 59 |
| | |
| **अध्याय.7** | |
| अनुज्ञापन | 60 |
| प्रस्तावना | 60 |
| निर्यातक अनुज्ञापन | 60 |
| वितरक अनुज्ञापन | 61 |
| चाय अवशेष अनुज्ञापन | 61 |
| पंजीकरण –सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर.सी.एम.सी.) | 61-62 |

# विषय सूची


| | |
|---|---|
| वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान ई-नीलामी के द्वारा चाय का विक्रय | 65-66 |
| क्रेताओं का पंजीकरण | 66 |
| दार्जिलिंग चाय के निर्यात के प्रति जारी स्रोत प्रमाणपत्र | 66 |
| स्वादयुक्त चाय विनिर्माताओं का पंजीकरण | 66-67 |
| विस्तार/प्रतिस्थापना रोपण परमिट | 67 |
| चाय रोपण हेतु अनुमति | 68 |
| चाय भंडारण अनुज्ञापन | 68-69 |
| **अध्याय.8** | |
| *प्रस्तावना:* | 70 |
| *प्रकाशन:* | 70 |
| *चाय मूल्यों का अनुवीक्षण:* | 70 |
| *कर एवं शुल्क* | 70 |
| *चाय उपकर* | 70 |
| वर्ष 2011-12 के दौरान चाय उद्योग एवं व्यापार की स्थिति | 71 |
| 31.12.2011 तक क्षेत्र एवं उत्पादन | 71 |
| विगत तीन वित्तीय वर्ष (2009-10 से 2011-12) दौरान भारत में चाय का उत्पादन | 71 |
| 2011 के दौरान भारतीय चाय का श्रेणीवार उत्पादन | 72 |
| भारत से चाय का निर्यात | 72-73 |
| भारत में चाय का आयात | 74 |
| नीलामी केन्द्रों पर चाय मूल्य: | 74 |
| चाय संपदाओं में श्रमिको की पंजी | 74 |
| वर्ष 2011 में मुख्य चाय उत्पादक देशों की उत्पादन की हिस्सेदारी | 75 |
| वर्ष 2011 में मुख्य उत्पादनकारी देशों द्वारा निर्यात में हिस्सेदारी | 75 |
| विश्व नीलामी में बिकी चाय मूल्य: | 76 |
| विश्व नीलामी बनाम भारत में चाय की मूल्य | 76 |
| विश्व में चाय की मांग एवं आपूर्ति | 76 |

# विषय सूची


| | |
|---|---|
| **अध्याय -9** | |
| श्रम कल्याण | 77 |
| *प्रस्तावना* | 77 |
| उद्देश्य | 77 |
| *स्वास्थ्य* | 77-78 |
| *शिक्षा:* | 78-80 |
| क्रीड़ा | 80 |
| *प्रशिक्षण* | 80-81 |
| *11वीं योजना अवधि के दौरान निष्पादन का सारांश* | 81 |
| *कल्याण क्रियाकलपों की उपलब्धियाँ एवं लक्ष्य का विवरण* | 82-83 |
| ***अध्याय-10*** | |
| हिन्दी कक्ष | 84 |
| प्रस्तावना | 84 |
| हिन्दी पुस्तकों का क्रय | 84 |
| हिन्दी कार्यशाला का आयोजन | 84 |
| हिन्दी प्रशिक्षण | 84 |
| हिन्दी सप्ताह का आयोजन | 84 |
| गृह पत्रिका का प्रकाशन | 84 |
| संघ की राजभाषा में कार्य करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम | 85 |
| कार्य | 85 |
| तिमाही प्रगति रिपोर्ट | 85 |
| संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण | 85 |
| विशेष उपलब्धियाँ | 85 |
| **अध्याय -11** | |
| आपूर्ति | 86 |
| प्रस्तावना | 86 |
| उर्बरक | 86 |
| अन्य | 87 |
| **अध्याय -12** | |
| मानव संसाधन विकास | 88 |

# विषय सूची


| | |
|---|---|
| **अध्याय -13** | |
| सतर्कता प्रकोष्ठ | 89 |
| **अध्याय-14** | |
| विधि प्रकोष्ठ संबंधी रिपोर्ट/(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005) | 90 |
| **अनुलग्नक 1** | |
| 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि हेतु बोर्ड सदस्यों की सूची | 91-93 |
| बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य | 93 |
| **अनुलग्नक –2** | |
| वर्ष 2011-12 हेतु स्थायी समितियों का गठन | 94-97 |
| **अनुलग्नक-3** | |
| भारत एवं विदेश स्थित टी बोर्ड के कार्यालयों के पते | 98-100 |
| **अनुलग्नक-4** | |
| वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसंधान योजनाओं हेतु सहायता अनुदान के तहत व्यय विवरण | 101 |
| **अनुलग्नक –5** | |
| वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड के श्रम कल्याण कार्यकलापों के तहत योजनावार संवितरण | 102 |

# संगठनात्मक ढाँचा एवं कार्य

## बोर्ड का गठन

चाय बोर्ड का गठन चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अधीन 1 अप्रैल, 1954 को किया गया। यह केन्द्रीय टी बोर्ड और भारतीय चाय अनुज्ञापन समिति जो क्रमशः केन्द्रीय टी बोर्ड अधिनियम, 1949 और भारतीय चाय नियंत्रण अधिनियम, 1938 जो निरसित थे, के अधीन कार्य कर रहा था। जिसे पुनरावृत्ति किया गया था। तो भी यह महसूस किया गया था कि चाय खपत के संवर्धन एवं तत्कालीन प्रभावी द्वारा यथावश्यक पूर्ववर्ती दो निकायों की गतिविधियाँ मूलतः चाय खेती के विनियम एवं चाय निर्यात तक सीमित है। वर्तमान टी बोर्ड को भारत में चाय उद्योग की सामग्रिक विकास का कार्य प्रभारित किया गया है।

## बोर्ड का संगठन

बोर्ड भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं तीस सदस्यों द्वारा गठित है, जो चाय उद्योग में रूचि लेने वाले विभिन्न अनुभागों का प्रतिनिधित्व करती है। बोर्ड प्रति तीन वर्ष के अन्तराल में गठित किया गया जाता है। बोर्ड के वर्तमान सदस्यों की सूची (2011-12 से 2013-14) अनुलग्नित है (अनुलग्नक-1)

## टी बोर्ड - संरचना

- संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य
- चाय संपदाओं का स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सदस्य
- सरकार के प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले छः सदस्य
- चाय निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों दोनों सहित व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य।
- श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच सदस्य
- चाय विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य
- उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य।
- अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य।

## बोर्ड की स्थायी समितियाँ निम्नलिखित है :

1. कार्यपालक समिति
2. निर्यात संवर्धन समिति
3. श्रम कल्याण समिति एवं
4. विकास समिति

## कार्यपालक समिति

अध्यक्ष समेत नौ सदस्यों द्वारा बनी यह समिति बोर्ड के प्रशासनिक मामलों को देखती है।

## चाय संवर्धन समिति

अध्यक्ष समेत सात सदस्यों द्वारा बनी यह समिति बोर्ड द्वारा लागू विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं के परिपालन का निरीक्षण एवं निर्यात संवर्धन मामलों पर बोर्ड को सलाह देते हैं।

## श्रम कल्याण समिति

अध्यक्ष समेत नौ सदस्यों द्वारा बनी यह समिति बोर्ड को श्रम कल्याण उपायों से संबंधी मामलों पर सलाह देती है जो रोपण श्रम अधिनियम 1951 के तहत शामिल नहीं है। यह समिति बोर्ड को रोपण कर्मचारियों एवं उनके प्रतिपाल्यों के हित हेतु विभिन्न कल्याण योजनाओं को लागू करने में गाइड करता है।

## विकास समिति

अध्यक्ष समेत सात सदस्यों से बनी यह समिति बोर्ड द्वारा चलाई गई विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का अवलोकन करने हेतु उत्तरदायी है एवं चाय उत्पादन व उत्पादकता में सुधार संबंधी मामलों पर बोर्ड को यह समिति सलाह देती है।

## नायब अध्यक्ष का चुनाव

श्री सी एन नटराज, सभापति, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया (उपासी), ग्लेनव्यू, कूनूर, नीलगिरीज, तमिलनाडू ने चाय नियम 1954 के नियम 9(1) के शर्तानुसार दिनांक 31-03-2012 की अवधि तक बोर्ड के नायब अध्यक्ष के रूप में कार्य का निर्वाहन किया !

## टी बोर्ड का कार्य

टी बोर्ड के प्राथमिक कार्य संक्षेप में निम्नस्त है :

क. चाय की खेती, विनिर्माण व विपणन हेतु आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान करना

ख. निर्यात संवर्धन

ग. चाय उत्पादन एवं चाय गुणवत्ता में सुधार हेतु अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ को वित्तीय समर्थन देना।

घ. श्रम कल्याण योजना के माध्यम से रोपण श्रमिकों एवं उनके संतानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ङ. असंगठित लघु उत्पादक क्षेत्र को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा प्रोत्साहित करना।

च. सांख्यिकी आंकड़े व प्रकाशन एकत्रित करना तथा उनका रख-रखाव करना

छ. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपी गई इसी तरह की अन्य गतिविधियाँ संभालना।

## निधि के स्त्रोत

पूर्वकथित कार्य हेतु निधि बोर्ड को सरकार की नियोजित व गैर नियोजित बजट नियतन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

गैर-नियोजित निधि का प्रयोग विशेषरूप से प्राशासनिक व स्थापना शुल्कों पर व्यय किया जाता है जिसमें चाय उपकर मुख्य स्त्रोत है ऊपर उल्लिखित अन्य गतिविधियों के लिए निधि नियोजित बजट नियतन से प्राप्त होती है।

## चाय उपकार

चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25(1) के तहत भारत में उत्पादित सभी चायों पर उपकर लागू किया जाता है। भारत में उत्पादित चाय पर 50 पैसे प्रति किलोग्राम तक उपकर ग्रहण करने हेतु उक्त अधिनियम में प्रावधान है। दार्जिलंग चाय को छोडकर भारत में सभी चाय के उत्पादन हेतु उपकर की दर में 1 जून 2011 से संशोथित दर 50 पैसा प्रति किलो ग्राम किया गया है। वर्तमान में, परन्तु 30 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपकर वसूल किया जाता है इसमें दार्जिलिंग चाय अपवाद है जिसमें केवल 12 पैसे लगाया जाता है। वर्तमान में उपकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता है। एवं ग्रहण व्यय काटने के उपरांत भारत की समेकित निधि में जोड़ा जाता है। संसद द्वारा विनियोग के उपरांत संस्वीकृत बजय समय-समय पर टी बोर्ड के पक्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि जारी किए जाते हैं।

## प्रशासनिक ढाँचा

बोर्ड का मुख्लाय कोलाकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है एवं इसके प्रधान अध्यक्ष है एवं उनकी सहायता कोलकाता में उपाध्यक्ष करते हैं एवं दो कार्यपालक गुवाहाटी व कूनूर में स्थित है। बोर्ड के भारत में सोलह (16) कार्यालय है एवं विदेश में निम्नलिखित तीन स्थानों पर स्थित है :

## भारत में कार्यालय

अगरतला, चेन्नई, कोचीन, कूनूर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जलपाईगुड़ी, जोरहाट, कोट्टायम, कर्सियांग, मुम्बई, नई दिल्ली, पालमपुर, सिल्वर, सिलिगुड़ी एवं तेजपुर।

## विदेशी कार्यालय

लंदन, दुबई एवं मॉस्को। बोर्ड के ये सभी विदेशी कार्यालयों का रूपांकन चाय निर्यात को समृद्ध करने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक उपायों को लेता है। ये कार्यालय निज-निज क्षेत्रों के भारतीय चाय आयातकारों के साथ ही भारतीय निर्यातकों के बीच बातचीत करने हेतु संपर्क कार्यालय की भूमिका निभाते हैं।

क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय जो मुख्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन है एवं कार्यपालक निदेशक निम्नस्त स्थित है :

| मुख्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन कार्यालय | कार्यपालक निदेशक गुवाहाटी के अधीन कार्यालय | कार्यपालक निदेशक कूनूर के अधीन कार्यालय |
|---|---|---|
| नई दिल्ली<br>मुम्बई<br>सिलिगुड़ी<br>पालमुर<br>कर्सियांग<br>जलपाईगुड़ी | गुवाहाटी<br>सिल्चर<br>जोरहाट<br>डिब्रूगढ़<br>तेजपुर<br>अगरतल्ला | कूनूर<br>चेन्नई<br>कोच्ची<br>कोट्टायम |

## टी बोर्ड अनुसंधान केन्द्र

परियोजना निदेशक के प्रभार में कर्सियांग स्थित दार्जिलिंग चाय अनुसंधान व विकास केन्द्र है।

## मुख्लाय की कार्यकारी गतिविधियाँ

1. विभागों

क. सचिवालय, स्थापना/प्रशासनिक कार्य एवं बोर्ड के कार्यालय के विभिन्न विभागों के कार्यकलाप सचिव के प्रभार में होता है ।

ख. वित्तीय पक्ष के प्रधान वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी है जो लेखाओं का रख-रखाव एवं चाय बागानों व आंतरिक लेखा परीक्षा को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी हैं ।

ग. विकास निदेशालय के प्रधान चाय विकास निदेशक है जो विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के सूत्रीकरण एवं उन्हें लागू करने एवं जरूरी इनपुट के कार्य वितरण व वसूली में उद्योग / चाय संपदाओ को सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है ।

घ. संवर्धन निदेशालय के प्रधान चाय संवर्धन निदेशक है जो भारत एवं विदेश में चाय संवर्धन व विपणन संबंधी कार्यों की देखरेख करते है।

ङ अनुसंधान निदेशालय के प्रधान अनुसंधान निदेशक है जो देश में विभिन्न चाय अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए चाय अनुसंधान के साथ सहयोग एवं टी बोर्ड के निजी अनुसंधान केन्द्र के कार्यो के परीक्षण हेतु उत्तरदायी है।

च. अनुझापन विभाग के प्रधान अनुज्ञापन नियंत्रक है जो चाय उत्पादकों निर्माताओं निर्यातकारों, बोकरों, नीलामी आयोजकों व ``चाय छीजन'' के कार्यों के निरीक्षण करने हेतु अनुजापन जारी करते हैं।

- चाय संपदा /बागानों की अनुमति व पंजीकरण (चाय अधिनियम की धारा 12 चाय नियम 1954 के नियम 30, 30ए 30बी,31)

चाय छीजन व चाय भंडारण का अनुवीक्षण व पंजीयन (चाय अधिनियम व चाय (छीजन) नियंत्रण आदेश 1959 की धारा 30)

चाय विनिर्माताओं चाय निलामीकर्ताओं व चाय ब्रोकरों का अनुवीक्षण व पंजीयन (चाय अधिनियम की धारा 30 के साथ चाय विपणन नियंत्रण आदेश 2003 पढा जाए)

छ. श्रम कल्याण विभाग के प्रधान कल्याण सम्पर्क अधिकारी है जो बोर्ड के कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधी कार्यों का देख रेख करते हैं श्रम कल्याण उपाय रोपण श्रम अधिनियम 1951 के तहत नहीं है ।

ज. सांख्यिकी विभाग के प्रधान सांख्किीविद है जो चाय उत्पादन क्षेत्र, निर्यात व अन्य संबंधित आंकड्रो का संग्रह करने के लिए उत्तरदायी है एवं मूल्य अध्ययन के साथ ही देश में विभिन्न चाय उत्पादन क्षेत्रों पर तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण का वहन करते हैं ।

झ. हिन्दी अनुभाग के प्रधान उप निदेशक (हिन्दी) है जो राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन एवं तत्संबंधी उपायों को लागू करते हेतु उत्तरदायी है ।

ञ. दार्जिलिंग चाय अनुसंधान व विकास केन्द्र

बोर्ड का अपना चाय अनुसंधान केन्द्र कर्सियांग में है । इस केन्द्र में पुनरोपण, युवा चाय प्रबंधन फसल शरीर क्रियाविज्ञान क्लोन चयन, जैव कीटनाशी, अवशिष्ट विषाक्तता, उर्वरता स्थि।ति एवं चाय की ग्रहण पोषण, सुगंधित तत्व व सुगंधित चाय के निर्माण तकनीक आदि के विशेष शीर्षकों पर क्षेत्र के साथ ही प्रयोगशालात्मक परीक्षण किया जाता है । दार्जिलिंग चाय अनुसंधान व विकास केन्द्र कई वैज्ञानिक पत्र प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के हिस्से के रूप में तकनीकी बुलेटिन का प्रकाशन करते हैं, इसके साथ ही चाय संपदाओं में सलाहकारी परिदर्शन भी करते हैं ।

## चाय बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं का प्रमुख लक्षण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभागों द्वारा किए गए कार्यों को अन्यत्र दिया गया है । उद्योग को दिए गए बोर्ड की सेवाओं का संक्षिप्त सारांश निम्नस्त है---

## चाय विकास

चाय उत्पादन एवं उत्पादकता में सम्पूर्ण सुधार लाने एवं चाय की गुणात्मक सुधार हेतु बेहतरी चाय प्रक्रमण सुविधाओं को बनाने के लिए बोर्ड द्वारा परिचालित कई आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । बेडे, मध्यम तथा लघु रोपण के सभी क्षेत्रों की हितों पर सम्यक विचार किया जाता है ।

अन्य उद्योग की तरह कुछ चाय इकाई समय-समय पर नुकसान का सामना कर रहे हैं एवं वैसे चाय बागानों के मामले चाय अधिनियम के तहत धाराओं की शर्तों के अनुसार देखा जाता है । बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के अतिरिक्त चाय बागानों की बेहतर कार्य हेतु रियायती कर (आयकर अधिनियम की धारा 33 ए बी) के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जाता है ।

विकास हेतु ध्यान देने वाले क्षेत्रों में से एक है लघु रोपण क्षेत्र लघु इकाइयों की निम्न उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड विभिन्न विकासात्मक उपायों की दिशा में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है जैसे चाय खेती की समुन्नत पद्धतियों का प्रदर्शन व प्रशिक्षण, सहायिकी मूल्य

पर रोपण वस्तुओं की पूर्ति हेतु चाय नर्सरी की स्थापना करना , रोपणकर्ताओं के लिए विभिन्न चाय रोपण क्षेत्रों के परिदर्शन के लिए अध्ययन दौरा की व्यवस्था करना ।

**चाय अनुसंधान**

चाय उद्योग के विकास हेतु अनुसंधान एक महत्वपूर्ण इनपुट है । पारम्परिक तौर पर, चाय पर अनुसंधान उद्योग द्वारा ही चलाया जाता है । चाय अनुसंधान संघ (चा.अनु.सं.) का टोकलाई प्रयोगात्मक स्थल एवं दक्षिण में उपासी की चाय अनुसंधान संस्था, देश में चाय हेतु दो महत्वपूर्ण अनुसंधान केन्द्र है । चाय बोर्ड दार्जिलिंग चाय हेतु विशेष आवश्यकताओं के लिए कर्सियांग में अनुसंधान केन्द्र का रख-रखाव कर रही है। कांगडा क्षेत्र के पहाडी इलाकों की समस्याओं के संबंध में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (एच पी के वी वी) एवं पालमपुर में आई एच बी टी द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है ।

चाय बोर्ड चाय बागानों को अनुसंधान व सलाहकारी सेवा प्रदान करने के लिए असम कृषि विश्वविद्यालय (जोरहट) एवं टी आर ए, उपासी-टीआरएफ, एच पी के वी वी को पर्याप्त सहायता अनुदान प्रदान करता है । सहायता अनुदान के अतिरिक विभिन्न अनु. एवं वि. योजनाओं के लिए नियोजित योजनाओं के तहत टी आर ए व उपासी टी आर एफ को अनुदान प्रदान किया जाता है ।

चाय बागानों को सुलभ अनुसंधान खेज प्रदान करने के लिए, टी आर ए एवं उपासी टी आर एफ दोनों के पास सलाहकारी केन्द्रों का बेहतरीन नेटवर्क है । दक्षिण भारत में लघु चाय उत्पादकों की सहायता हेतु उपासी विशेष रूप से एक के वी के चला रही है ।

उत्तर पूर्वी राज्यों में तकनीकी मानव शक्ति विकसित करने के लिए, राज्य सरकारों एवं अन्य द्वारा प्रशिक्षण हेतु नियुक्त व्यक्तियों को टीआरए द्वारा चाय संस्कत्रति पर प्रशिक्षण देने के लिए बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । टी आर ए एवं उपासी टी आर एफ के अनुसंधनात्मक कार्यक्रम में जो सामग्री शामिल नहीं है उन पर विशेष अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सी एफटीआरआई, इंतिडयन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जैसे विभिन्न तकनीकी संस्थाओं व विश्वविद्यालयों को चाय बोर्ड सहायता अनुदान प्रदान करती है ।

राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्था (एनटीआरएफ) की स्थापना, चाय उद्योग से आर्थिक सहायता एवं नाबार्ड के सहयोग से अनुसंधान गतिविधियों को समृद्ध बनाने एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नवीन व विविध योजनाओं को लागू हेतु की गई ।

अनुसंधान के संवर्धन व संचालन के अतिरिक्त, वैकल्पिक चाय पैकेजिंग, आईएसओ/पीएफए विर्निदेशन गुणवत्ता अवरोध, विशिष्ट उत्पादों का विकास, जैव/किफायती चाय आदि से संबंधि बहुविधि तकनीकी मामले बोर्ड के अनुसंधान निदेशालय द्वारा संभाला जाता है। चाय अनुसंधन संबंधी विभिन्न तकनीकी समितियों में बोर्ड का प्रतिनिधित्व अनुसंधान निदेशक द्वारा किया जाता है ।

**श्रम कल्याण**

चाय बोर्ड चाय रोपण कर्मचारियों को कुछ श्रम कल्याण उपाय प्रदान कर रही है एवं ये उपाय रोपण श्रम अधिनियम व नियमों के तहत शामिल नहीं है । बोर्ड के कल्याणात्मक उपाय बागान के कर्मचारियों के प्रतिपालयों को प्राथमिक स्तर के ऊपर शैक्षणिक अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है साथ ही विद्यालय भवन के निर्माण/विस्तारण हेतु आर्थि सहायता प्रदान किया जाता है, विशेष चिकित्सा आदि हेतु चिकित्सा उपकरणों व एम्बुलेंस के क्रय हेतु अनुदान दिया जाता है ।

**चाय संवर्धन**

चाय बोर्ड के संवर्धनात्मक कार्य साधारणतया लंदन, दुबई एवं मॉस्को स्थित वर्तमान विदेशी कार्यालयों द्वारा किया जाता है। जबकि संवर्धनात्मक गतिविधियाँ भारतीय चाय की मूल्यवर्धक रूप जैसे पैकेट चाय थैलों एवं इन्सटैंट चाय को लोकप्रिय बनाने तक सीमित है, चाय बोर्ड विदेशों में चाय परिषदों यथा यूके एवं जापान चाय संघों के माध्यम से चाय को पेय के रूप में लोकप्रिय बनाने में सहायता प्रदान कर रहा है । इसके अतिरिक्त चाय बोर्ड ने तीन विशेष लोगो यथा दार्जिलिंग, असम व नीलगिरी का प्रारंभ किया है ताकि इन क्षेत्रों से चाय को लोकप्रिय बनाया जा सके ।

**समुद्रपारीय कार्यालयों की गतिविधियों में शामिल हैः**

- अन्तर्राष्ट्रीय मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेना, विशेष रूप से खाद्य व पेय कार्यक्रम
- स्पेशियाल्टी स्टोर/सुपर मार्केट में फिल्ड सैम्पलिंग ।
- मीडिया प्रचार
- क्रेता-विक्रेता बैठक
- भारतीय निर्यातकारों/विदेशी आयातकारों का मूल्यवर्धक चाय के संवर्धनात्मक व विपणन कार्य हेतु संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना
- आयातकारों व निर्यातकारों के मध्य मजबूत सम्पर्क बनाने के लिए लोकसम्पर्क गतिविधियाँ
- भारत एवं आयातकारी देशों के मध्य चाय प्रतिनिधिमंडलों का विनिमय

## टी बोर्ड की मानव शक्ति

बोर्ड के दिनांक 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार भारत तथा विदेशों में सभी श्रेणियों/समूहों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों सहित कुल मानव शक्ति 570 थी । बोर्ड के भारत तथा विदेश स्थित कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के तहत अधिकारियों तथा स्टाफ की मौजूदा संख्या सारणी-1 में दर्शायी गई है ।

**सारणी:1**

विभिन्न वर्गानुसार बोर्ड के भारत तथा विदेश स्थित कार्यालयों में दिनांक 31/3/2012 को तैनात मानव शक्ति का विवरण

| क्र.सं. | | समूह-'क' | समूह-'ख' | समूह-'ग' | समूह-घ' | सफाई कर्मचारी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मुख्यालय | 18 | 139 | 69 | 82 | 8 | 316 |
| 2. | क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय | 25 | 80 | 66 | 73 | 2 | 246 |
| 3. | टी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 4. | अन्य संगठनों में प्रतिनियुकि पर अधिकारी | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | कुल | 49 | 220 | 135 | 155 | 10 | 569 |

बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों के तहत भारत आधारित कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.3.2012 के अनुसार)

| | लंदन | दुबई | मॉस्को | कुल |
|---|---|---|---|---|
| समूह'क' निदेशक<br>चाय संवर्धन ग्रेड-1 | 01 | - | - | 01 |

## अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग

| | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.वर्ग | कुल |
|---|---|---|---|---|
| समूह'क' | 07 | 3 | 4 | 14 |
| समूह 'ख' | 32 | 5 | 8 | 45 |
| समूह 'ग' | 17 | 3 | 10 | 30 |
| समूह 'घ | 33 | 16 | 7 | 56 |
| समूह 'घ' सफाई कर्मचारी | 07 | - | - | 07 |
| कुल | 96 | 27 | 29 | 152 |

## नियुक्ति अभियान — वर्ष वेर दौरान निम्नलिखित पदो को भारने हेतु नियुलियौ की वर्ग

| समूह | संख्या |
|---|---|
| समूह ए | 03 |
| समूह बी | 17 |
| समूह सी | 04 |
| समूह डी | 02 |
| कुल | 26 |

## समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रशासनिक परिवर्तन

| | |
|---|---|
| 1. | 01.06.2011 से श्री अनीर्वन बसु मजुमदार, अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए । |
| 2. | 6/6/2011 से आपूर्ति अधिकारी श्री बी.के. विश्वास, सहायक सचिव के रूप में पदोन्नत किए गए । |
| 3. | 15/6/2011 से अनुभाग अधिकारी श्री प्रह्लाद चंद्र बोरो आपूर्ति अधिकारी के रूप में पदोन्नत किए गए । |
| 4. | 16/6/2011 से लेखाकार श्री प्रदीप कुमार दास लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए |
| 5. | 30/6/2011 से श्री प्रदीप कुमार घोष, लेखा अधिकारी ने बोर्ड की सेवाओं से अधिवर्षिता प्राप्त की है । |
| 6. | 8/7/2011 से अधीक्षक (जीडी) श्रीमती सीमा राय चौधरी , अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत की गई । |
| 7. | 13/7/2011 से लेखाकार श्री रामकृष्ण आचार्य, लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किए गए । |
| 8. | 21.7.2011 से विकास अधिकारी श्री दीना मोनी काकटी, सहायक निदेशक चाय विकास के रूप में पदोन्नत किए गए । |
| 9. | 26.7.2011 से विकास अधिकारी श्री कमल चंद्र वैश्या, सहायक निदेशक चाय विकास के रूप में पदोन्नत किए गए। |
| 10. | 31.7.2011 से श्री एस. सी. विश्वास, चाय संवर्धन निदेशक ने बोर्ड की सेवा से अधिवर्षिता प्राप्त की। |
| 11. | 8.8.2011 से विकास अधिकारी, श्री संजीव राजबोगंसी, सहायक निदेशक चाय विकास में रूप में पदोन्नत किए गए। |
| 12. | 09.08.2011 से विकास अधिकारी, श्री अभिजित सरकार सहायक निदेशक चाय विकास के रूप में पदोन्नत किए गए। |
| 13. | 12.8.2011 से विकास अधिकारी श्री ऋतुराज हजारिका सहायक निदेशक चाय विकास के रूप में पदोन्नत किए गए। |
| 14. | 31.08.2011 से श्री एच. गुरुमूर्ति, कल्याण संपर्क अधिकारी (दक्षिण) ने बोर्ड की सेवा से अधिवर्षिता प्राप्त की है। |
| 15. | 7.9.2011 से अधीक्षक (जीडी) श्री पी. जॉन, पैट्रिक, कल्याण संपर्क अधिकारी (दक्षिण) के रूप में पदोन्नत किए गए। |
| 16. | 12.9.2011 से विकास अधिकारी श्री निपुण वर्मन, सहायक निदेशक चाय विकास के रूप में पदोन्नत हुए। |
| 17. | 17.11.2011 से श्री सिद्धार्थ, आई.ए.एस. को बोर्ड के अध्यक्ष के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया। |
| 18. | 17.11.2011 से श्री ए.जी.वी. के भानु, आई.ए.एस. बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। |
| 19. | 30.11.2011 से श्रीमती एम. गुणाभूषण, संयुक्त नियंत्रण अनूज्ञापन ने बोर्ड की सेवा से अधिवर्षिता प्राप्त की है। |
| 20. | 01.12.2011 के अनुभाग अधिकारी श्री के.पी. विजय कुमार, संयुक्त नियंत्रक अनुज्ञापन के रूप में पदोन्नत हुए। |
| 21. | 16.12.2011 से अधीक्षक (जीडी) श्री स्वप्नकुमार दास, अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किए गए। |
| 22. | 05.01.2012 से कल्याण संपर्क अधिकारी (उत्तर) और अध्यक्ष के संपर्क अधिकारी श्री पी.वी. नारायण, उत्तर पश्चिम भारत हेतु विशेष अधिकारी के रूप में पदोन्नत किए गए। |
| 23. | 31.01.2012 से श्री पी.वी. नारायण, उत्तर पश्चिम भारत हेतु विशेष अधिकारी ने बोर्ड की सेवा से अधिवर्षिता प्राप्त की है। |
| 24. | 01.02.2012 से अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी) श्री एस.एम.नसरूल्ला उत्तर पश्चिम भारत हेतु विशेष अधिकारी के रूप में पदोन्नत किए गए। |
| 25. | 29.2.2012 से श्री चीनमय बन्थोपाध्याय, अनुज्ञापन नियंत्रक ने बोर्ड की सेवा से अधिवर्षिता प्राप्त की है। |
| 26. | 16.3.2012 से अधीक्षक (जीडी) श्री विश्वरंजन शाह गोण्ड अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किए गए। |
| 27. | 31.3.2012 से श्री तपन कुमार बरूआ, उप निदेशक चाय विकास ने बोर्ड की सेवा से अधिवर्षिता प्राप्त की है। |

# अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय चाय
# वैश्विक व भारतीय चाय परिदृश्य का एक व्यापक सिंहावलोकन

## वैश्विक चाय परिदृश्य

30 से ज्यादा देशों केवल उत्तर अमेरीका के अलावा सभी महाद्वीपों जिनके कृषि जलवायु 42 उ.(जिर्योजिया) व 35 द. अक्षांश (अर्जेन्टिना) के मध्य रहती है में चाय उगायी जाती है । वर्ष 2011 में आकलित वैश्विक उत्पादन 4299 मिलियन कि.ग्रा. है । विश्व खपत 4106 मिलयन कि.ग्रा. के लगभग होने के चलते वैश्विक उत्पादन व खपत सुचारू रूप से संतुलित रहती है ।

मुख्य चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश चीन, भारत, केन्या व श्रीलंका है । वैश्विक उत्पादन एवं निर्यात का क्रमशः 77 प्रतिशत एवं 72 प्रतिशत दर्शाता है । (तालिका-1)

तालिका - 1

मुख्य उत्पादक एवं निर्यातक देशों का उत्पादन व निर्यात में हिस्सेदारी

| देश | 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | उत्पादन | | निर्यात | |
| | मिलियन कि. ग्रा | % हिस्सा | मिलियन कि. ग्रा | % हिस्सा |
| चीन | 1623.21 | 37.76 | 322.58 | 18.44 |
| भारत | 988.33 | 22.99 | 211.91 | 12.11 |
| केन्या | 377.91 | 8.79 | 421.27 | 24.08 |
| श्रीलंका | 328.63 | 7.64 | 301.27 | 17.22 |
| कुल | ***3318.08*** | ***77.18*** | ***1257.03*** | ***71.85*** |
| *अन्य* | 981.14 | 22.82 | 492.49 | 28.15 |
| विध कुल | **4299.22** | **100.00** | **1749.52** | **100.00** |

2011 के मुख्य उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन में हिस्सा

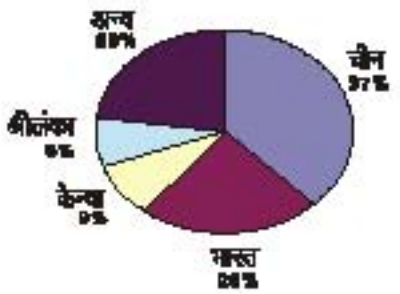


2011 में मुख्य उत्पादक देशों द्वारा चाय निर्यात में हिस्सा

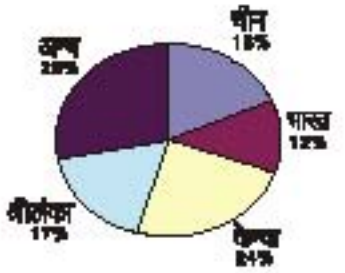


गत दशक के दौरान (2002 एवं 2011) वैश्विक उत्पादन में 1213 मिलियन किलोग्राम की वृद्धि हुई जिसमें 626 मिलियन किलोग्राम हरी चाय एवं 587 मिलियन किलोग्राम काली चाय थी ।

गत दशक (2002 से 2011) के मुख्य बदलावों में निम्नलिखित शामिल है-

I. वैश्विक उत्पादन में हरी चाय की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत से बढ़कर 32 हो गयी ।

II. सी.टी.सी. एवं ऑर्थोडॉक्स दोनों चाय की हिस्सेदारी में क्रमशः 36 प्रतिशत से 23 प्रतिशत एवं 42 प्रतिशत से 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई ।

श्रेणीवार वैश्विक उत्पादन- 2012

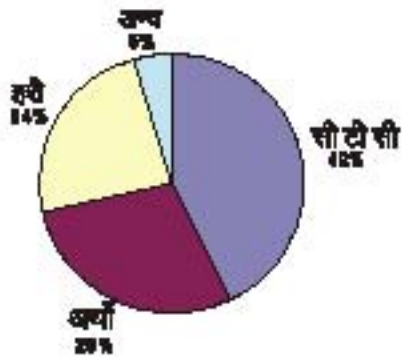


श्रीणीवार वैश्विक चाय उत्पादन 2011

III.सन् 2006 में चीन ने चाय उत्पादनकर्ता देशों में अग्रणीय देश बन गया और भारत [illegible] ।

IV.केन्या एवं चीन कुल विश्व निर्यात में क्रमशः 24 प्रतिशत व 18 प्रतिशत अंश को बढ़ाकर पहला एवं दुसरा अग्रणी निर्यातक देश बन गया । श्रीलंका ने अपनी अग्रणी भूमिका खो दी एवं तीसरे पद तक कुल विश्व निर्यात में 17 प्रतिशत तक पहुँच गई । विश्व निर्यातक देशों में 12 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत की चतुर्थ स्थान बरकरार रहा । (सारणी-2)

**सारणी-2 गत 10 वर्षों में उत्पादन और निर्यात में परिवर्तन**

| देश | मिलियन कि.ग्रा. मे उत्पादन | | | मिलियन कि.ग्रा. मे निर्यात | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2001** | **2011** | **2001 की तुलना में % >** | **2001** | **2011** | **2001 की तुलना में % >** |
| चीन | 701.70 (2) | 1623.21 (1) | 131.32 | 249.68 (3) | 322.58 (2) | 29.20 |
| भारत | 853.92 (1) | 988.33 (2) | 15.74 | 182.59 (4) | 211.91 (4) | 16.05 |
| कन्या | 294.63 (4) | 377.91 (3) | 28.27 | 270.15 (2) | 421.27 (1) | 55.94 |
| श्रीलंका | 296.30 (3) | 328.63 (4) | 10.91 | 287.50 (1) | 301.27 (3) | 4.79 |

V. भारत में लघु उत्पादनकर्ता एक सार्थक संगठन के रूप में उभर कर सामने आए हैं । और 2002 से 2011 के बीच कुल उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

VI. दशक के प्रारंभ से वैश्विक चाय कीमतें धीमी थी जो 2008 के बाद मजबूत होनी शुरू हुई और तब से स्थिर है । पिछले चार वर्षों चाय कीमतों में आई उछाल ने चाय उद्योग में विशेषतया भारत के चाय उद्योगों के पिछले वर्षों 1999 से 2008 तक में हुए वित्तीय घाटे को समेकित करने में सहायता पहुँचाई ।

**सारणी-3 चाय का विश्व नीलामी मूल्य :**

| वर्ष | अंतर्राष्ट्रीय मूल्य ( यू एस $/ किग्रा) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारत | बांगलादेश | श्रीलंका | इण्डोनेशिया | केन्या | लिम्बे |
| 2009 | 2.18 | 1.98 | 3.15 | 1.80 | 2.29 | 1.58 |
| 2010 | 2.29 | 2.61 | 3.28 | 1.82 | 2.54 | 1.58 |
| 2011 | 2.23 | 2.14 | 3.25 | 1.97 | 2.72 | 1.61 |

औसतन प्रति व्यक्ति चाय की खपत भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग किस्मों की चाय पर निर्भर करता है । कुवैत, आयरलैण्ड, अफगानिस्तान एवं यूके में 3 किलोग्राम से कुछ अधिक तथा श्रीलंका व पाकिस्तान में 1 किलोग्राम के लगभग एवं भारत में 800 ग्राम की खपत है । हालांकि प्रति व्यक्ति खपत में भारत सबसे नीचे है जो कि उसकी वृहतम आबादी के चलते और कुल उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत खपत देश में ही होता

है । इस प्रकार वैश्विक उत्पादन का 21 प्रतिशत चाय का खपत भारत में ही होता है । यह स्थिति अन्य चाय उत्पादनकारी देशों की तुलना में पर्याप्त व्यतिरेक है, विशेषकर केन्या और श्रीलंका जिनका अपना मुश्किल से कोई सुदृढ़ घरेलु खपत की मांग है, और इसकी कारण वे अपने उत्पादन की 95 से 98 प्रतिशत चाय का निर्यात करते हैं ।

**2011 में वैश्विक चाय की स्थिति :**

**उत्पादन**

दस वर्षीय औसतन 121 मिलियन किलोग्राम के प्रति 2011 में वैश्विक उत्पादन में 2010 की तुलना में वास्तविक वृद्धि 129 मिलियन किलोग्राम थी जिसमें काली चाय का हिस्सा 42 मि.कि.ग्रा. था एवं हरी चाय का हिस्सा 87 मिलियन किलोग्राम था (सारणी-2) । थोक मात्रा में हरी चाय के उत्पादन में वृद्धि चीन से आया । जहाँ तक काली चाय का संबंध है पिछले वर्ष की तुलना में भारत में काली चाय का उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि श्रीलंका एवं केन्या के उत्पादन में (सारणी-3) गिरावट आई ।

सारणी-4

**वैंश्रिक अधिकतम कुल उत्पादन ( मि.कि.ग्रा.में ):**

| | 2010 | 2011 | 2010 की तुलना में वृद्धि |
|---|---|---|---|
| हरी | 1277.40 | 1364.09 | 86.69 |
| काली चाय | 2892.80 | 2935.13 | 42.33 |
| कुल | **4170.20** | **4299.22** | **129.02** |

सारणी-5

**प्रधान काली चाय उत्पादनकारी देशों में चाय उत्पादन ( मि.कि.ग्रा.में ):**

| देश | 2010 | 2011 | 2010 की तुलना में वृद्धि/कमी पर |
|---|---|---|---|
| भारत | 966.40 | 988.33 | 21.93 |
| श्रीलंका | 331.43 | 328.63 | - 2.80 |
| केन्या | 399.01 | 377.91 | - 21.10 |

स्रोत : आईटीसी वर्षिक बुलेटिन सांख्यिकी 2012

**निर्यात**

2011 में कुल वैश्विक निर्यात 1.63 प्रतिशत घटा - 29 मिलियन किलोग्राम की गिरावट 2010 में हुई । कुल वैश्विक निर्यात में केन्या, चीन, श्रीलंका व भारत ने पहला, दुसरा, तीसरा, चौथा अग्रणी स्थान बरकरार रखा ।

सारणी-6

**प्रमुख निर्यातक देशों का कुल उत्पादन में निर्यात प्रतिशत ( मिलियन कि.ग्रा. में )**

| देश | | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| केन्या | (मि.कि.ग्रा.में निर्यात) | 441.0 | 421.3 |
| उत्पादन का % | | 111% | 111% |
| चीन | (मि.कि.ग्रा.में निर्यात) | 302.5 | 322.6 |
| उपादन का % | | 21% | 20% |
| श्रीलंका | (मि.कि.ग्रा.में निर्यात) | 296.4 | 301.3 |
| उपादन का % | | 89% | 92% |
| भारत | (मि.कि.ग्रा.में निर्यात) | 222.0 | 211.9 |
| उपादन का % | | 23% | 21% |
| अन्य | (मि.कि.ग्रा.में निर्यात) | 516.7 | 492.5 |
| उपादन का % | | 52% | 50% |
| कुल विध निर्यात | | 1778.6 | 1749.6 |
| उपादन का % | | 43% | 41% |

स्त्रोत : आईटीसी वार्षिक बुलेटिन सांख्यिकी 2012

**चाय मूल्य :**

परिवीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय चाय मूल्य स्थिर रहा एवं 2010 की सीमा से आंशिक रूप से ऊंचा या समान रहा (सारणी-7) परन्तु उत्तर भारत के चाय के मूल्यों में प्रति किलोग्राम 1 से 4 रु. की गिरावट आई एवं वर्ष 2011 में चट्टग्राम, जकार्ता एवं कोलम्बो की नीलामी में 2010 की तुलना में महत्वपूर्ण गिरावट आई ।

सारणी-7

अपने विशिष्ट मुद्राओं में वर्ष 2011 के दौरान प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य

| नीलामी केन्द | | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| कोलकाता | रू. | 132.97 | 131.12 |
| गुवाहाटी | रू. | 112.93 | 108.47 |
| सिलिगुड़ी | रू. | 104.44 | 103.46 |
| कोच्ची | रू. | 77.45 | 80.21 |
| कोयम्बाटूर | रू. | 63.49 | 65.95 |
| कूनूर | रू. | 61.11 | 64.05 |
| चिटगाँव | टाका | 183.55 | 156.23 |
| कोलम्बो | रू. | 370.48 | 359.68 |
| जकार्ता | यूएस $ सी | 181.69 | 160.75 |
| मोम्बासा | यूएस $ सी | 254.00 | 272.00 |
| लिम्बे | यूएस $ सी | 158.45 | 160.75 |

स्त्रोत : आईटीसी वर्षिक बुलेटिन सांख्यिकी 2012 भारतीव नीलामी को छोड़कर

**भारतीय चाय परिदृश्य**

देश के प्रधान चाय क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल , तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में अवस्थित हैं । कुल उत्पादन का 95% हिस्सा इन चार राज्यों में होता है । परम्परागत राज्यों जहाँ छोटे पैमाने पर चाय उगाई जाती है वे राज्य हैं – त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार एवं कर्नाटक । गैर-परम्परागत राज्य, जिन्हें हाल ही में भारत के चाय के नक्शे में शामिल किया है, उनमें शामिल है– अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय , मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा एवं सिक्किम ।

भारत विश्व के बेहतरीन चायों का उत्पादन करता है - जैसे दार्जिलिंग , असम एवं नीलगिरी अपने नरम सुगंध, शुद्धता व उज्ज्वलता के लिए मशहूर है । विविध सस्य जलवायुगत स्थितियों में , भारत विभिन्न प्रकार के स्वाद वाले चाय उत्पादन करता है जो उपभोक्ताओं को बहुत ही पसंद आता है । प्रत्येक प्रान्त की अपनी अलग विशिष्टता होती है भिन्न-भिन्न तरीके से एक दूसरे का एक अलग पहचान बनाती है ।

**उत्पादनः** गत वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 के दौरान उत्पादन में 21.93 मिलियन किलोग्राम की वृद्धि हुई जो कि उत्तर भारत में मुख्य चाय उत्पादन क्षेत्रों में बेहतरीन जलवायु स्थिति के फलस्वरूप संभव हो पाया । 2010 की तुलना में दक्षिण भारत में उत्पादन में 2.5 मिलियन कि.ग्रा. की गिरावट आई (सारणी-6)

**सारणी- 6**

**भारत में अनुमानित चाय का उत्पादन ( मिलियन कि.ग्रा. में )**

| कैलेण्डर वर्ष | उत्तर भारत | दक्षिण भारत | अखिल भारत | वित्तीय वर्ष | उत्तर भारत | दक्षिण भारत | अखिल भारत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 734.87 | 244.13 | 979.00 | 2009-10 | 734.36 | 256.80 | 991.18 |
| 2010 | 723.03 | 243.37 | 966.40 | 2010-11 | 728.52 | 238.21 | 966.73 |
| **2011** | **747.46** | **240.66** | **988.11** | **2011-12** | **739.42** | **236.81** | **976.23** |

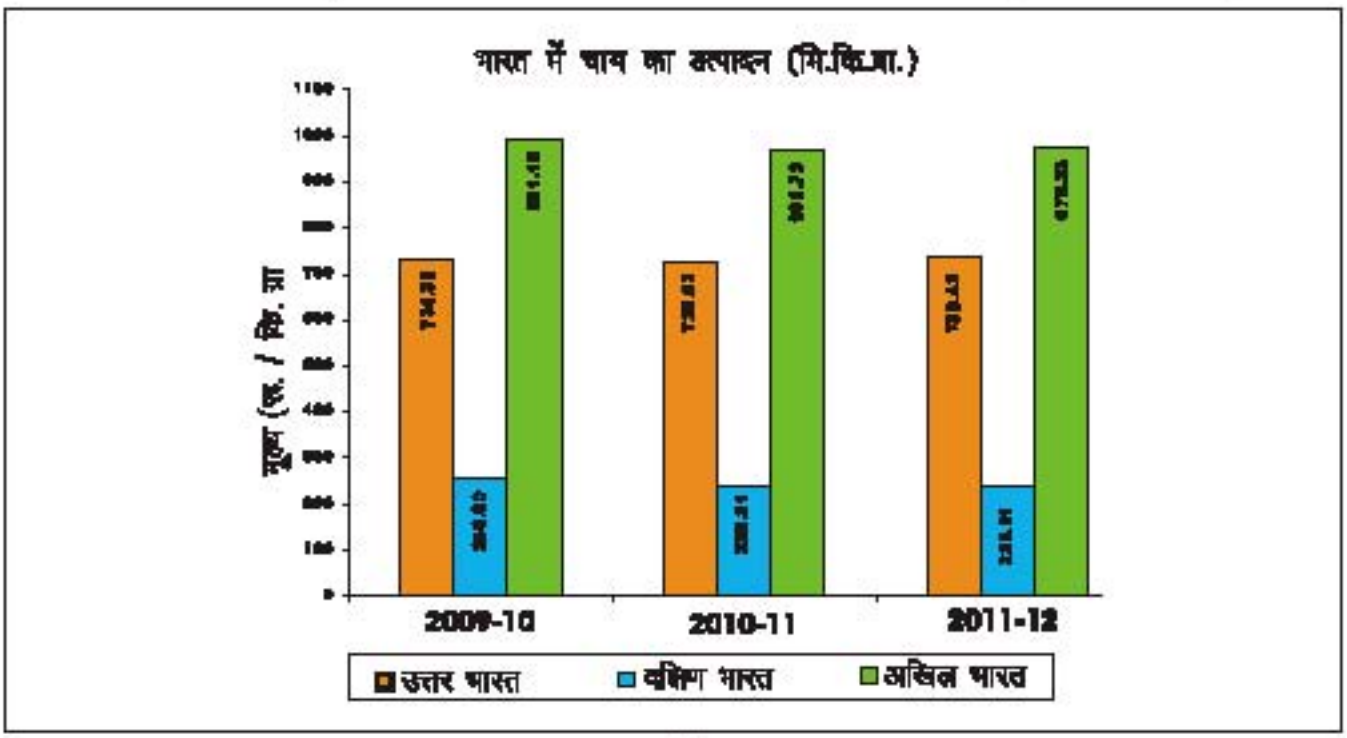

## निर्यात

वर्ष 2010 के दौरान भारत से चाय निर्यात की मात्रा 2009 की तुलना में 10.11 मि.कि.ग्रा. की गिरावट आई। गत वर्ष से तुलना किया जाने तो वित्तीय वर्ष 2011-12 में 4.75 मि.कि.ग्रा. की गिरावट दर्ज की गई। (सारणी-9)

सारणी-9

गत 3 वर्षों के दौरान भारत से चाय का निर्यात

मात्रा =मिलियन कि.ग्रा. : मूल्य =रु. करोड़ में, ई. मू.=रु. में इकाई मूल्य/कि.ग्रा.

| कैलेण्डर | मात्रा | मूल्य | ई. मू. | वित्तिय वर्ष | मात्रा | मूल्य | ई. मू. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 197.90 | 2785.85 | 140.77 | 2009-10 | 213.43 | 3038.69 | 142.37 |
| 2010 | 222.02 | 3058.31 | 137.75 | 2010-11 | 213.79 | 2995.79 | 140.13 |
| **2011 (पी)** | **211.91** | **3230.13** | **152.43** | **2011-12 (पी)** | **209.04** | **3212.89** | **153.70** |

पी - अस्थायी और परिवर्तनीय

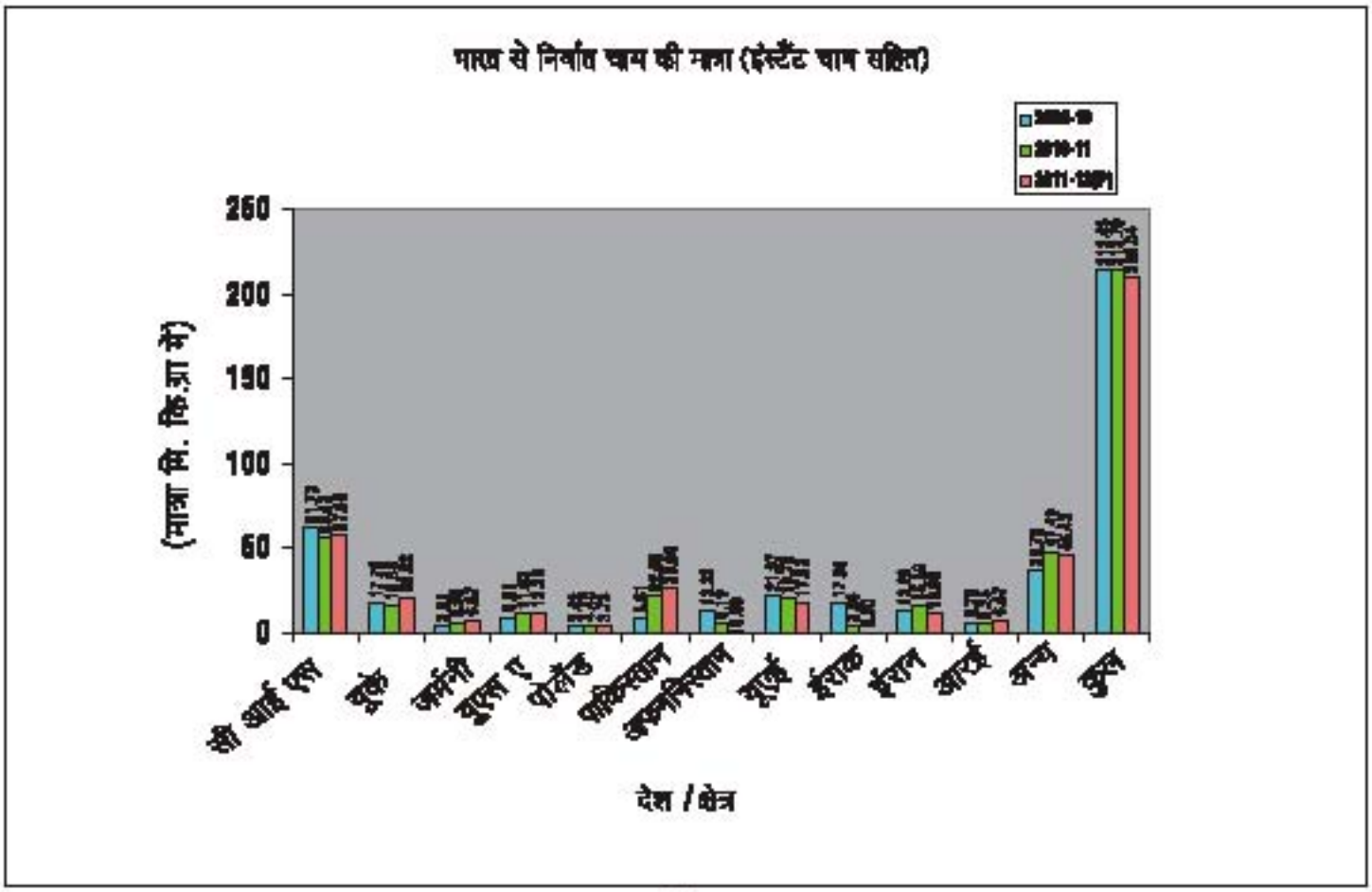

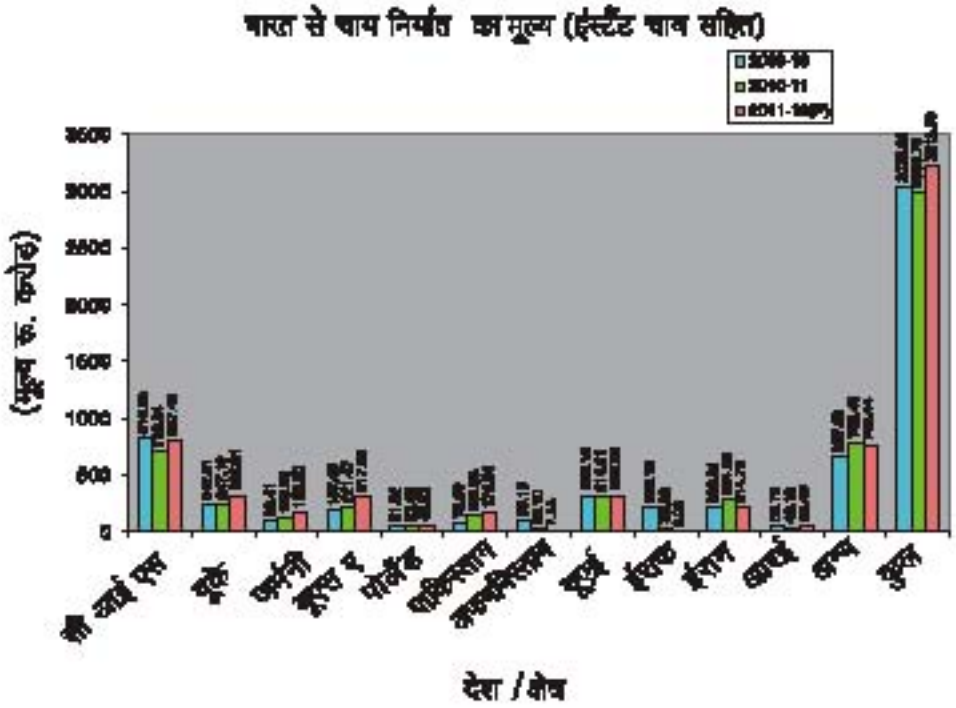


गत 3 वर्षों में विभिन्न रूपों में निर्यात (सारणी-10 से 13)

सारणी-10

थोक चाय का निर्यात

| वर्ष | मात्रा (मि. कि. ग्रा) | मूल्य (रु करोड़) | इकाई मूल्य (रु/ कि.ग्रा) |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 183.27 | 2328.79 | 127.07 |
| 2010-11 | 182.80 | 2220.54 | 121.47 |
| **2011-12 (पी)** | **184.69** | **2514.80** | **136.17** |

सारणी-11

पैकेट चाय का निर्यात

| वर्ष | मात्रा (मि. कि. ग्रा) | मूल्य (रु करोड़) | इकाई मूल्य (रु/ कि.ग्रा) |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 17.72 | 297.11 | 167.65 |
| 2010-11 | 17.14 | 307.03 | 179.13 |
| 2011-12 (पी) | 11.69 | 300.61 | 257.11 |

सारणी - 12

चाय थैले का निर्यात

| वर्ष | मात्रा (मि. कि. ग्रा) | मूल्य (रू करोड़) | इकाई मूल्य (रू/ कि.ग्रा) |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 9.50 | 295.10 | 310.50 |
| 2010-11 | 10.79 | 341.06 | 316.09 |
| 2011-12 **(पी)** | 10.36 | 306.26 | 295.50 |

सारणी - 13

इंस्टैट चाय का निर्यात

| वर्ष | मात्रा (मि. कि. ग्रा) | मूल्य (रू करोड़) | इकाई मूल्य (रू/ कि.ग्रा) |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 2.94 | 117.75 | 400.09 |
| 2010-11 | 3.06 | 127.16 | 415.56 |
| 2011-12 **(पी)** | 2.30 | 91.22 | 396.13 |

**प्राथमिक विपणन :**

वर्ष 2010 के दौरान कुल उत्पादित चाय में से 55 लोक नीलामी के मार्फत बिका, 8% अग्रेषित निविदा के मार्फत रूप से निर्यात हुआ तथा शेष 37% सीधे बागान से निजी बिक्री के मार्फत बिका । गत तीन वर्षों के दौरान चाय की निपटान पद्धति तथा नीलामी में औसतन मूल्य सारणी - 14 तथा 15 में दर्शाया गया है ।

सारणी - 14

भारत में उत्पादित चाय की निपटान पद्धति

| वर्ष | नीलामी के माध्यम से बिक्री चाय की मात्रा | अग्रेषित निवदा के तहत सीधे बागान से निर्यात | सीधे बागान से निजी ब्रिकी |
|---|---|---|---|
| 2009 | 518 (52.91) | 42 (4.29) | 419 (42.80) |
| 2010 | 530 (54.87) | 41 (4.24) | 395 (40.89) |
| 2011 | 542 (54.86) | 79 (7.97) | 367 (37.17) |

(मिलियन कि. ग्रा. में मात्रा. कुल उत्पादन के आंकडे % कोष्टक में दिये गये)

सारणी - 15

नीलामी के माध्यम से बिक्री चाय का औसत मूल्य (रू प्रति कि. ग्रा.)

| कैलेण्डल वर्ष | उत्तर भारत | दक्षिण भारत | अखिल भारत | वित्तीय वर्ष | उत्तर भारत | दक्षिण भारत | अखिल भारत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 114.86 | 81.03 | 105.60 | 2009-10 | 116.46 | 80.26 | 106.36 |
| 2010 | 119.51 | 67.69 | 104.66 | 2010-11 | 120.18 | 68.37 | 105.40 |
| 2011 | 117.19 | 70.17 | 104.06 | 2011-12 | 117.01 | 70.26 | 103.94 |

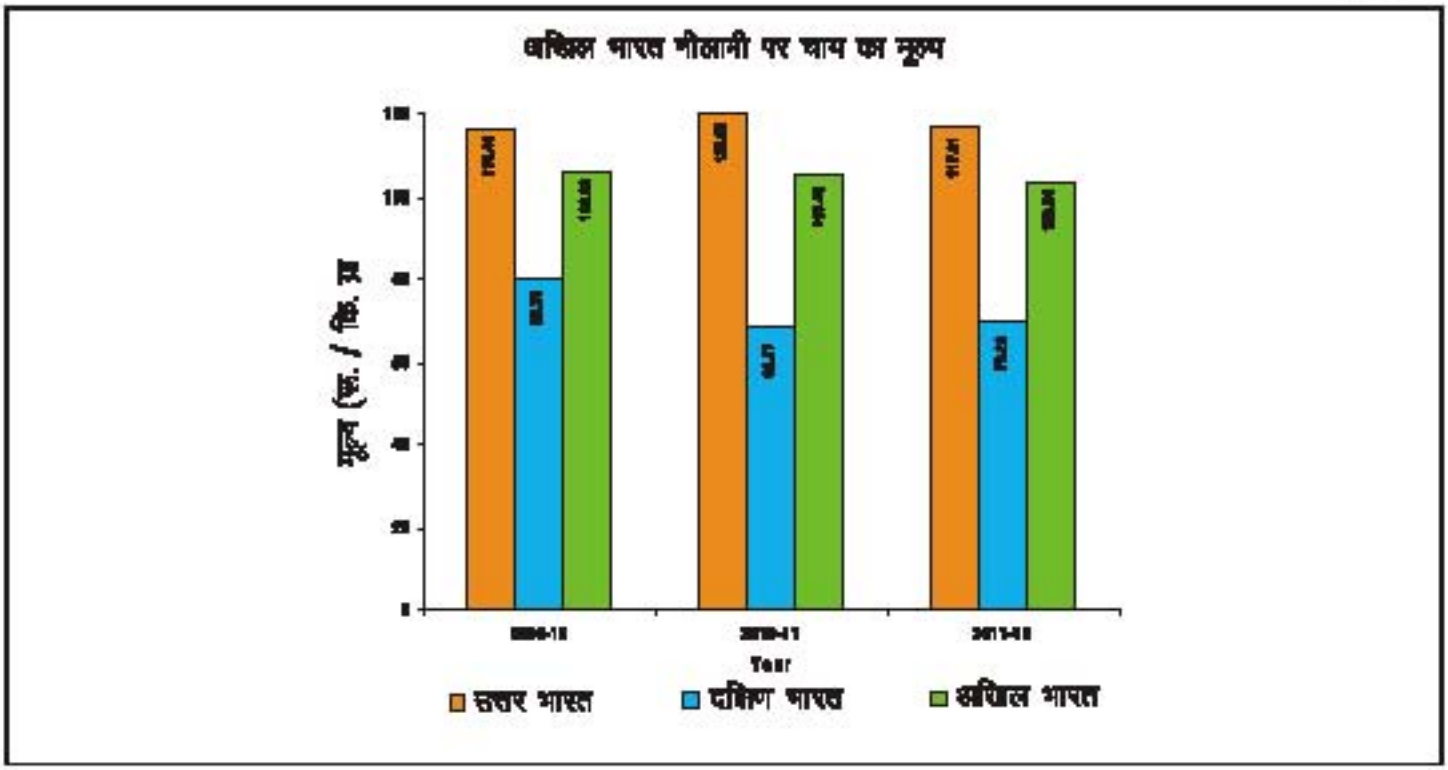


**घरेलु खपत**

वर्ष 2011 में चाय की आन्तरिक खपत 819 मि.कि. ग्रा थी जबकि 2010 में की तुलना में चाय की आन्तरिक खपत 837 मि.कि.ग्रा थी।

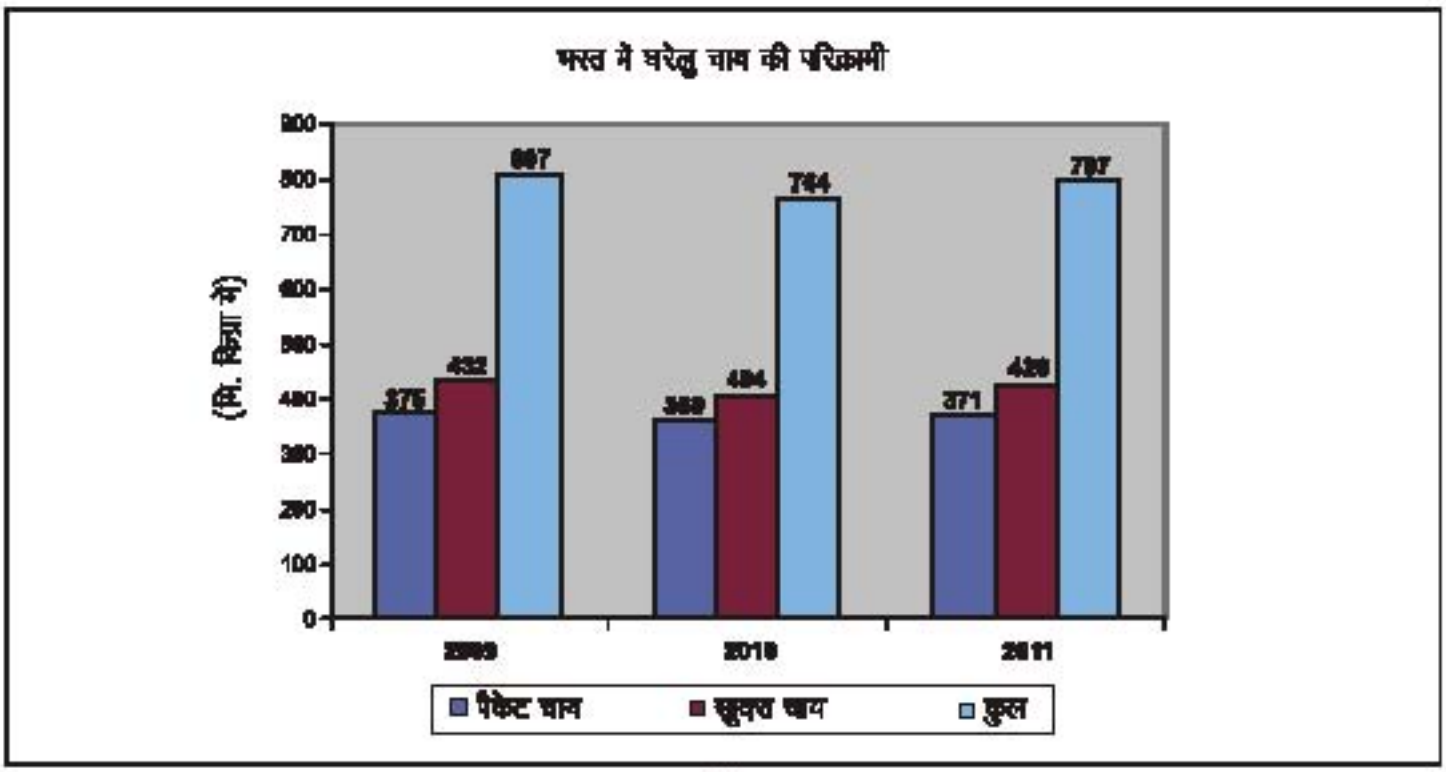

# वित्त

**प्रस्तावना**

देश में उत्पादित सभी किस्म की चाय पर चाय अधिनियम की धारा 25 एवं 26 की शर्तों के निबन्धन के अंतर्गत उपकर की वसूली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा की जाती है, तथा भारत की समेकित निधि में जमा की जाती है तथा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के वार्षिक बजट के अधीन बोर्ड को निधि आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। उपकर का दर दार्जिलिंग इतर तैयार चाय पर क्रमशः 0.12 प्रति कि.ग्रा. और 0.30 प्रति कि.ग्रा. की दर से अप्रैल 1997 से प्रभावी था। चाय अधिनियम की धारा 25 में विहित शर्तों के अनुसार यद्यपि उपकर का दर जून, 2011 से बढा दिया गया है एवं वर्तमान में दार्जिलिंग तथा दार्जिलिंग इतर तैयार चाय पर उपकर क्रमशः 0.20 प्रति कि.ग्रा. तथा 0.50 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से व्यय भार लगाया जाता है।

बोर्ड के अन्य मुख्य संभरण स्त्रोतों में उल्लिखित अधिनियम की धारा 26 क के तहत भारत सरकार द्वारा अनुदानों, सहायताओं तथा ऋण को उसके लिए मुक्त किया जाना है। बोर्ड के राजस्व प्राप्ति के अन्य लघु स्त्रोत भी हैं, जिनमें अनुज्ञप्तियों पर शुल्क ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज की आय और विविध आय जैसे तरल चाय की बिक्री, हरी पत्तियों की बिक्री, विदेशी मुद्राओं में बढ़ोत्तरी, आवेदन पत्रों एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री आदि सभी ऐसे प्राप्ति लेखे आई ई बी आर में जाता है।

सरकार की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के विषय में और/अथवा अधिनियम की शर्तों के तहत और अधीनस्थ विधेयक के संदर्भ में ऐसी निधियों को बाद में चाय अधिनियम की धारा 10 में प्रतिस्थापित बोर्ड के कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है।

बोर्ड के बजट को दो संघटित तत्वों में समाविष्ट किया गया है, जैसे गैर-योजना एवं योजना।

**गैर-योजना बजट आबंटन**

वित मंत्रालय, राजस्व विबाग द्वारा पावती के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उपकर के रूप में रू. 4743.00 लाख का संग्रहण किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा रू. 3810.00 (अथ शेष सहित) की धनराशि चाय बोर्ड को गैर-योजना के अंश के रूप में सरकार द्वारा विनिर्मुक्त किया गया।

**अनुसंधान एवं विकास अनुदान**

वर्ष 2011-12 के दौरान चाय अधिनियम की धारा 26 ए के तहत पुरानी व चल रही व नई योजनाओं के लिए अनुसंधान तथा विकास अनुदान के प्रति सरकार से 1200.00 लाख रु. (अथशेष सहित) की राशि प्राप्त की गयी।

**अनुसंधान (एईडी)**

वर्ष के दौरान रु. 620.00 लाख की राशि सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसका अथशेष 25.92 लाख रु. था।

**सहायिकी**

चाय अधनियम की धारा 26 क के तहत वर्ष के दौरान सहायिकी के प्रति सरकार से 20915.00 लाख रु. (अथशेष सहित) की राशि प्राप्त हुई।

**विपणन सुलभ अभिक्रम योजना**

सभीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सरकार से 200.00 लाख रु. की धन राशि प्राप्त हुई।

**ऋण कार्पस निधि**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत ऋण योजनाओं के प्रति सरकार से कोई धन राशि प्राप्त नहीं हुई।

**विशेष प्रयोजन चाय निधि**

वर्ष के दौरान, सरकार से एस पी टी एफ पूंजी निधि के प्रति कोई धन राशि प्राप्त नहीं हुई।

**वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-योजना के तहत विभिन्न शीर्षों के अधीन प्राप्तियाँ निम्नवत रही :-**

**क. प्राप्तियाँ** (रु. लाख में)

| | |
|---|---|
| चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त राशि | 3810.00 |
| अनुज्ञापनों के बाबत वसूले गए शुल्क | 4.00 |
| टीएमसीओ, 2003 के बाबत वसूले गए शुल्क | 6.65 |
| विविध प्राप्तियाँ तरल चाय की बिक्री, हरी पत्तियाँ की बिक्री, प्रकाशनों की बिक्री, नियत जमा पर व्याज इव्यादि सहित | 230.84 |
| अग्रिम व ऋणों पर ब्याज | 14.26 |
| एच एसीसीपी/डीसीतीएफ के खाते में वयूल दिय गए पंजीयत शुल्क | 4.27 |
| **कुल** | 4070.52 |

**ख. व्यय (गैर-योजना)** (रु. लाख में)

| | |
|---|---|
| पुस्तकालय सहित प्रशासन | 2375.37 |
| भारत में चाय संवर्धन | 544.17 |
| भारत से बाहर चाय संवर्धन | 34.45 |
| छठे केन्द्रीय वेतन आयोग बकाया सहित पेंशन | 1129.70 |
| कर्मचारियों को अग्रिम | 30.52 |
| नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान | 23.36 |
| दायिताओं का पुनर्भुगतान | 1.00 |
| कार्य | 8.16 |
| **कुल** | 4146.73 |

**ग. व्यय - अनुसंधान एवं विकास अनुदान** (रु. लाख में)

| | |
|---|---|
| टीआरए को सहायता अनुदान | 283.22 |
| अपासी को सहायता अनुदान | 88.85 |
| उपासी को अनुसंधान अनुदान | 80.14 |
| हीआरए को अनुसंधान अनुदान | 41.68 |
| एचपीकेवीवी को अनुसंधान अनुदान | 6.52 |
| एएयू को अनुसंधान अनुदान | 3.00 |
| सी-डैक को अनुसंधान अनुदान | 0.48 |
| आईआईटी, खड़गपुर को अनुसंधान अनुदा | 41.96 |

| | |
|---|---|
| बी.सी. गुहा सेन्टर को अनुदान | 10.91 |
| दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, कर्सियांग (नियमित) | 195.12 |
| कार्यशाला/संगोष्ठी | 38.10 |
| इसरो को विकास अनुदान | 143.73 |
| विकास सहायता | 948.45 |
| बैक प्रभार | 0.07 |
| **कुल** | 1882.23 |

**घ. व्यय - सहायिकी** (रु. लाख में)

| | |
|---|---|
| रोपण सहायिकी योजना | 1844.71 |
| गुणवता उन्नतिकरण व उत्पाद विविधिकरण योजना | 4254.99 |
| मानव संसाधन विकास योजना | 466.15 |
| अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना | 7233.79 |
| विपणन संवर्धन योजना | 1901.54 |
| विशेष प्रयोजन चाय निधि | 3858.12 |
| अनुसूचित जाति उप योजना | 931.42 |
| **कुल** | 20490.53 |

**ङ. विशेष निधि (एईडी)** (रु. लाख में)

| | |
|---|---|
| अनुसंधान | 636.43 |
| **कुल** | 636.43 |

**च. अनुसंधान व विकास (टी आर ए शताब्दी अनुदान)** (रु. लाख में)

| | |
|---|---|
| अनुसंधान | 5.00 |
| **कुल** | 5.00 |

**छ. विपणन सुलभ पहल योजना** (रु. लाख में)

| | |
|---|---|
| व्यय | 60.73 |
| **कुल** | 60.73 |

वर्ष के दोरान योजना पर कुल व्यय
(ग + घ + ङ + च + छ) = रु. 23074.92 लाख

# चाय विकास

**प्रस्तावना**

टी बोर्ड का मुख्य कार्य चाय उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता उन्नतिकरण, मूल्य वर्धन, उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन, लघु उत्पादकों को मूल्य शृंखला के अधीन लाने हेतु क्षमता विनिर्माण, कर्मचारियों से लेकर प्रबंधक स्तरों पर कार्यकुशलता में सुधार आदि करना शामिल है।

**विकास समिति :**

बोर्ड के विकासात्मक कार्य के निष्पादन में बोर्ड के विकास समिति एक सलाहकार निकाय के रूप में अपनी क्षमतानुसार दिशा-निर्देश करती है। वर्ष के दौरान रिपोर्ट के तहत निम्नलिखित सदस्यों से बना विकास समिति नीचे दिये गए दिनांक एवं स्थान पर तीन बार बैठक की :-

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, पदेन, समिति अध्यक्ष
2. श्री सी. एन. नटराजन सभापति, उपासी
3. श्री सी. एस. बेदी, अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ
4. श्री समीर रॉय, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल-735101
5. डॉ. अजीत कुमार अग्रवाल, सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल
6. डॉ. एस. रामु. कूनूर तमिलनाडु
7. श्री हिरणाया बोरा, गुवाहाटी, असम-781005

**विशेष अतिथि**

1. श्री हेमन्त बंगुर, सभापति, टीएआई
2. श्री डी. पी. महेश्वरी, अध्यक्ष, टीआरए, कोलकाता
3. श्री विजय गोपाल चक्रवर्ती, सभापति, सीआईएसटीए
4. श्री विदयानन्द बरकाकोटी, एटीपीए, एनईटीए
5. श्री डी. हेगड़े, सभापति, उपासी, कूनूर
6. श्री पेटर मथीयस, सभापति, उपासी चाय समिति
7. श्री एस. एस. बेगारिया अध्यक्ष दार्जिलिंग चाय समिति

**विकास समिति के बैठक का दिनांक और स्थान**

| बैठक की तिथि | स्थान |
|---|---|
| 21 सितम्बर, 2011 | कोलकाता |
| 29 दिसम्बर, 2011 | कूनूर |
| 02 मार्च, 2012 | कोलकाता |

**विकास समिति द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण सिफारिशे :**

बोर्ड के 11वीं विकास योजना के तहत निर्मित प्रगति समीक्षा के अतिरिक्त विकास समिति ने वर्ष के दौरान रिपोर्ट के तहत विकास समिति ने बोर्ड के लिए निम्नलिखित सिफारिशें निर्मित की।

1. जहाँ लघु उत्पादक बहुल्क है वहाँ सभी प्रमुख चाय उत्पादक जिलों में सभाये/कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन।

2. अर्थोडॉक्स सहायिकी योजना का पुनरीक्षण 3 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से सहायिकी दर में बदलाव और अगले 5 वर्षों में बागान कर्मी के औसत उत्पादन के आधार पर निर्धारण हेतु अधारित उत्पादन के आधार पर साहायिकी वृद्धि। आधारित उत्पादन के वृद्धि पर निर्भर सहायिकी वृद्धि की दर रु. 1.5 प्रति कि.ग्रा. की दर पर विचाराधीन।

3. देयता और कर्मियों के भुगतान का नियमित निष्पादन हेतु सहायिकी भुगतान से संपर्क

4. बोर्ड के लागू योजनाओं के तहत लघु उत्पादकों हेतु आवेदन शुल्कों का अथित्याग

5. दक्षिण भारत, हिमाचल प्रदेश, असम तथा पश्चिम बंगाल में छोटे जोत के चाय रोपणों हेतु चाय हार्वेस्टींग मशीन का सहायिकी हेतु एक योग्य मद के रूप में समावेश।

6. गुडलूर, कुमीली और ईटानगर में बोर्ड के नए कार्यालय खोलना।

7. संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा में लघु चाय उत्पादकों का सर्वेक्षण।

8. उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत के आंचलिक कार्यालयों द्वारा लघु चाय उत्पादकों की गणना।

9. प्रगतिशील लघु उत्पादकों/स्वयं सेवी समूहों/ब्रॉट लीफ फैक्ट्रीयों के पहचान हेतु एक पुरस्कार योजना संस्थापित करना।

10. बंद चाय संपदा जिसे पुनः चालू किया गया है, हेतु बोर्ड के भूतपूर्व ऋण योजनाओं के तहत बकायों के कारण अधित्याग।

11. नियुक्त एक सर्वमान्य परामर्शी एजेन्सी द्वारा बोर्ड के प्लान योजनाओं का मूल्यांकन।

12. अनुसूचित जाति सह योजना (एससीएसपी) के तहत अनुसूचित जाति लघु उत्पादकों के हित हेतु एक विशेष योजना का प्रारम्भ।

13. संस्वीकृत पदों के स्थानन परामर्श और लघु उत्पादक विकास निदेशालय के कार्यात्मक दायित्व।

14. प्रगतिशील स्वयं सेवी समूहों हेतु कम्प्यूटरों का प्रावधान।

15. एसपीटीएफ के तहत अंगीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा निर्मित अनुमानित कीमत के आधार पर पुर्नरोपण के लागत इकाई का पुनरीक्षण।

### विकासशील योजनाएं

समीक्षाधीन के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वयन किया गया।

| क्र.सं. | योजना के नाम |
|---|---|
| 1. | चोय रोपण विकास योजना |
| 2. | विशेष उद्देश्य चाय निधि योजना |
| 3. | गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना |
| 4. | मानव संसाधन विकास योजना |
| 5. | लघु उत्पादकों हेतु विकासात्मक सहयोग |

### प्रत्यक्ष एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष के दौरान रिपोर्ट के तहत प्रत्यक्ष और वित्तीय उपलब्धियाँ के साथ-साथ पूर्वोल्लिखित योजनाओं के तहत ग्याहरवीं योजना के पाँच वर्षों के दौरान संचयी उपलब्धियाँ निम्नवत थी :

### 1. चाय रोपण विकास योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य विभिन्न मैदानी उन्मुख विकासात्मक उपायों को अपनाते हुए उत्पादकता को बढ़ाने तथा उत्पादन लागत में कमी लाने की दिशा चाय रोपणों को प्रोत्साहित किया जाना है। इस योजना के अधीन दी जाने वाली विनिर्दिष्ट समर्थन में शामिल है— सिंचाई, जलनिकासी एवं यातायात सुविधाओं, पहाड़ी क्षेत्रों में लघु कास्तकारों को विस्तारण रोपण एवं लघु उत्पादकों द्वारा उत्पादक समूह बनाने आदि के सृजन के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना है। योजना के अधीन प्रयोज्य वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है—

I. कास्तकारों के आकार को दरकिनार करते हुए सभी उत्पादकों हेतु :

| | कियाकलाप | सहयता की पकृति |
|---|---|---|
| 1. | सिंचाई, जलनिकासी एवं यातायात सुविधाओं के सृजनार्थ। | 1) वास्ताविक लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम युग्म सीमा रु० 10.000 पति हेक्टयर की शर्त पर। |

II एकल लघु उत्पादकों अर्थात चाय खेती के अधीन 4.00 हेक्टेयर तक के धारकों हेतु :

| | कियाकलाप | सहयता की पकृति |
|---|---|---|
| 1. | पहाडी क्षेत्रें एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नए रोपण। | 1) यूनिट लागत का 25 प्रतिशत फिल्ड प्रचालन के उपरांत दो किस्तों में देय। |

III . लघु उत्पादक स्वतः सहायक दल हेतु :

| | क्रियाकलाप | सहायता की प्रकृति |
|---|---|---|
| 1. | पत्ती संग्रह केन्द्र की स्थापना । | लागत का शतप्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा रू 30,000/- प्रति केन्द्र सहायता अनुदान। |
| 2. | इनपुट जमा करने हेतु गोदाम । | लागत का शतप्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा रू 50,000/- प्रति केन्द्र सहायता अनुदान। |
| 3. | तुला माप क्रय/पत्ती वाहक थैला। | प्रतिशत वास्तविक लागत का सहायिकी स्वरूप। |
| 4. | परिवहन वाहनों का क्रय । | 50 प्रतिशत वास्तविक लागत का सहायिकी स्वरूप। |
| 5. | मैदानी इनपुट क्रय जैसे- उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन, प्रूलिंग मशीन, छिड़कावयंत्र आदि। | रिवाल्विंग कार्पस के रूप में उपयोग हेतु एक बार रू० 1000/- हे० का अनुदान। |
| 6. | समूह द्वारा चाय क्षेत्रों के धारकों को खेतों को संभालने एवं रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण | प्रशिक्षण शुल्क के बाबत शतप्रतिशत अनुदान एवं परिशिक्षण की अवधि के दौरान रहने-सहने का खर्च। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण समापन के उपरांत 500/- रूपये प्रतिमाह की दर से छह महीने तक मानदेय का भुगतान। |

टेबल 1: वर्ष **2011-12.** के दौरान प्रत्यक्ष एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

| | लक्ष्य | | उपलब्धि | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उ.पू. | | अ.उ.पू. | | कुल | |
| क्रियाकलाप | प्रत्यक्ष (हे./सं.) | वित्तीय (लाख ₹) | प्रत्यक्ष (हे./सं.) | वित्तीय (लाख ₹) | प्रत्यक्ष (हे./सं.) | वित्तीय (लाख ₹) | प्रत्यक्ष (हे./सं.) | वित्तीय (लाख ₹) |
| नए रोपण (हे.) | 2200 | | 301.57 | 454.55 | 351.67 | 236.70 | 653.24 | 691.25 |

आंकड़ा. 1: 2007-12 के दौरान प्रत्यक्ष लक्ष्य एवं उपलब्धि

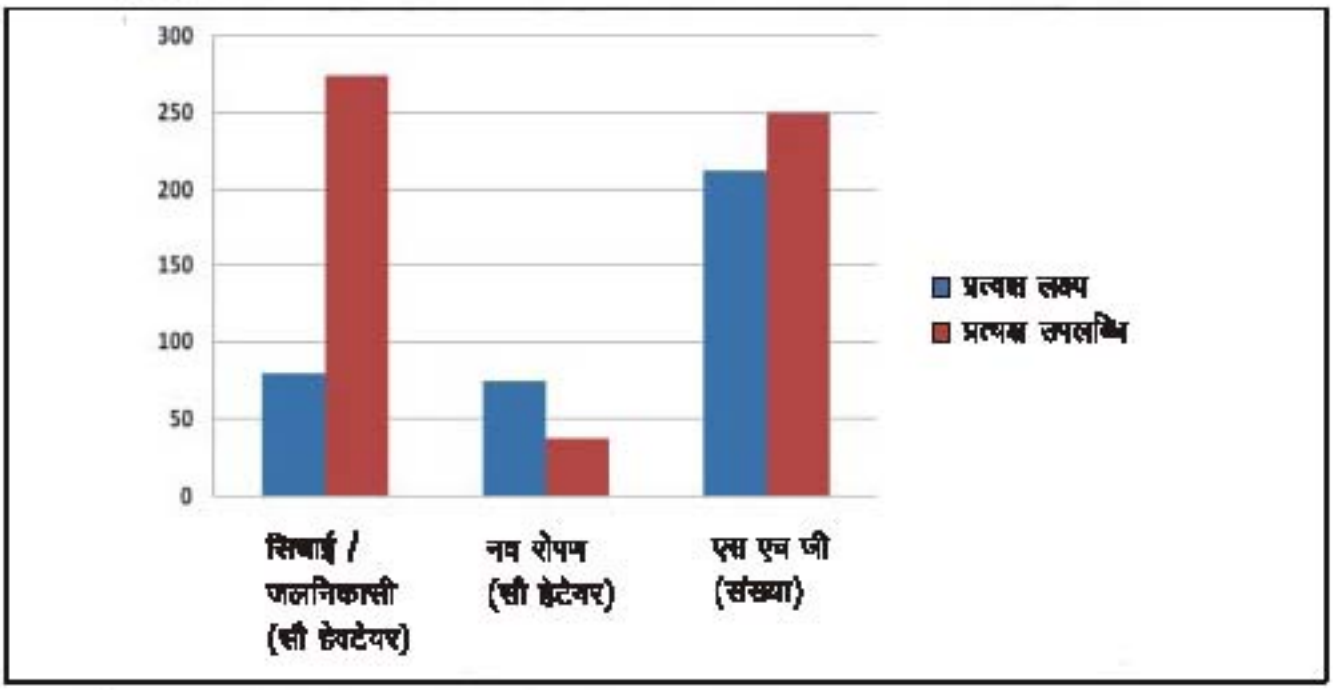


टेबल 3:XI योजना (2007-12) के दौरान वितीय उपलब्धि

| वर्ष | लक्ष्य | | | | वितीय उपलब्धि (लाख ₹) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सिंचाई | नए रोपण | एसएचजी | कुल | सिंचाई | नए रापेण | यातायात | एसएचजी | अन्य | कुल |
| 2007-08 | 125 | 25 | 50 | 200 | 94 | 137 | 0 | 49 | - | 280 |
| 2008-09 | 550 | 400 | 150 | 1100 | 236 | 432 | 29 | 31 | 50 | 778 |
| 2009-10 | 150 | 1050 | 100 | 1300 | 89 | 441 | 196 | 44 | - | 770 |
| 2010-11 | 170 | 1050 | 180 | 1400 | 62 | 570 | 19 | 50 | - | 701 |
| 2011-12 | 200 | 1100 | 200 | 1500 | 633 | 691 | 418 | 102 | - | 1844 |
| **कुल** | **1195** | **3625** | **680** | 5500 | **1114** | **2271** | **662** | **276** | **50** | **4373** |

2. <u>विशेष प्रयोजनार्थ चाय निधि योजना:</u>

इस योजना को चाय रोपण वित योजना के एक उप-संघटन के रूप में वर्ष 2007-08 के दौरान आरंभ किया गया एवं इसका मुख्य कार्य उत्पादन व उत्पादकता में सुधार करने हेतु

चाय बागानों को विशेष सहायता देना ताकि वे बड़े पैमाने पर पुरानी चाय क्षेत्रों की झाड़ियों का उन्मूलन कर पुनरोपण तथा जीर्णोद्धार कर सकें । ग्यारहवीं योजनावधि के लिए 40992 हेक्टेयर का लक्ष्य है, जिसमें 32560 हेक्टेयर पर पुनरोपण एवं 8432 हेक्टेयर पर जीर्णोद्धार करना अपेक्षित है । कच्छार एव त्रिपुरा के टिला क्षेत्रों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जीर्णोद्धार प्रुनिंग की अनुमति दी गई है । योजना के अधीन प्रयोज्य वित्तीय सहायता की प्रकृति निम्नवत है:-

| | कार्यकलाप | सहायता की प्रकृति |
|---|---|---|
| 1 | पुनरोपण/पुन स्थापन रोपण एवं पुराने चाय क्षेत्रों का जीर्णोद्धार । | 1. यूनिट लागत का 50 प्रतिशत दीर्घ मियादी ऋण 9.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, मूलधन पर प्रथम पाँच वर्ष अधिस्थगन काल होगा एवं तत्पश्चात 16 अर्ध वार्षिक किस्तों में 6 से 13 वर्ष की कालावधि के दरमियान शोध्य है ।<br>2. जोत परिचालन के समापन के उपरांत यूनिट लागत का 25 प्रतिशत भाग सहायिकी स्वरूप दो किस्तों में देय है। |

टेबल **4:** XI **योजना के दौरान प्रत्यक्ष एवं वित्तीय उपलब्धियाँ**

| वर्ष | प्रत्यक्ष (हे.) | | | | वित्तीय (सहायिकी) (₹ करोड़) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुनर्रोपण | | जीर्णोद्धार | | लक्ष्य | उपलब्धि |
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | | |
| 2007-08 | 4840 | 3196.69 | 810 | 1427.54 | 15.00 | 16.02 |
| 2008-09 | 4592 | 4020.2 | 1579 | 1553.27 | 20.50 | 21.33 |
| 2009-10 | 5102 | 5125 | 2632 | 1122.00 | 21.37 | 22.84 |
| 2010-11 | 8673 | 6349.22 | 1716 | 1600.43 | 29.78 | 30.76 |
| 2011-12 | 9353 | 6504.28 | 1695 | 1113.26 | 60.00 | 43.17 |
| कुल | **32560** | **25195.39** | **8432** | **6816.50** | **146.65** | **134.12** |

सहायिकी के अतिरिक्त XI वीं योजना अवधि के दौरान निबंधन ऋण का रू0 48.48 करोड़ रूपये संवतिरत किये गए हैं

**योजनाओं के निष्पादन में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए:-**

- प्रयोज्य प्रसंस्करण का प्रत्येक स्तर हेतु निश्चित समय सीमा निर्धारित किया जाना।
- उन्मोलनोत्तर निरीक्षण करने हेतु उत्पादक एसोसिएशन में से निरीक्षण नामिका का मनोनयन करना ।

- भाग न लेने वाले बागानों द्वारा इस योजनाओं का लाभ उठाने की दिशा में आने वाली उनकी दिक्कतों को समझना एवं निदान कर उन्हें जागरूक करना ।
- टी बोर्ड के अन्य विकासात्मक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह है कि एस पी टी एफ योजना में भी अनिवार्य रूप से भाग लेना।
- बंद चाय बागानों में से पुनः खुले चाय संपदाओं द्वारा चाय नर्सरी हेतु अपफ्रंट वित्तीय सहायता चालू करना, जिसे रोपण के उपरांत वास्तविक देय सहायिकी में से समायोजन करना ।

3. <u>गुणवत्ता उन्नतिकरण व उत्पाद विविधिकरण योजना (क्यूयूव पीडीएस)</u>

इस योजना का मूल उद्येश्य है चाय प्रसंस्करण फैक्टरियों को आधुनिकीकरण कर बेहतर गुणवत्ता वाली चाय का विनिर्माण एवं मूल्य-वर्धित चाय उत्पादन हेतु उत्प्ररित करना है। इस योजना के तहत दिए गए समर्थन के विशिष्ट क्षेत्रों में सम्मिलित है पुराने व घिसे मशीनों को प्रतिस्थापन करना, उत्पाद विविधिकरण तथा अन्य विशेषीकृत चाय जैसे–अर्थोडॉक्स/हरी चाय हेतु नई सुविधाओं का सृजन, आधुनिक ब्लेंडिंग/पैकेजिंग ईकाइयों की स्थापना, गुणवत्ता प्रसंस्करण हेतु इलेक्ट्रानिक नियंत्रण यंत्र की स्थापना, चाय प्रमाणन हेतु आई.एस.ओ./ऑर्गेनिक चाय प्रमाणीकरण आदि संग्रह करना । इस योजना के अधीन दी जाने वाली वित्तीय सहायता की प्रकृति निम्नवत है :-

| क्र.सं | कार्यकलाप | सहायता की प्रकृति |
|---|---|---|
| I | 1. पुराने एवं जीर्ण मशीनरियों के प्रतिस्थापन कर प्रसंस्करण फैक्टरियों का आधुनिकीकरण ।<br>2. शतप्रतिशत सीटीसी चाय फैक्टरियों में ऑर्थोडॉक्स चाय के लिए प्रसंस्करण मशीनों की अधिप्राप्ति तथा<br>3. लघु उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा नए चाय फैक्टरियों की स्थापना । | मशीनरी के वास्तविक मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा 25 लाख रूपए प्रति फैक्टरी प्रति वर्ष की दर से सहायिकी।<br><br>मद सं०. 2 व 3 की सहायिकी दर 40 प्रतिशत है जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रूपए प्रति फैक्टरी प्रति वर्ष है । |
| II | 1. सफाई, ब्लेंडिंग, कलर सोर्टिंग, पैकेजिंग इत्यादि के लिए अतिरिक्त ढाँचागत सूविधा सृजन कर मूल्य-वर्धन ।<br>2. मशीनरियों के मामले में सीटीसी फैक्टरियों में ऑर्थोडॉक्स चाय हेतु शतप्रतिशत । | मशीनरी के वास्तविक लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा 25 लाख रूपए की शर्त पर प्रति फैक्टरी प्रतिवर्ष ।<br><br>मद सं. 2 के मामले में सहायिकी 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 25 लाख रूपए प्रति फैक्टरी प्रति वर्ष |

| | | |
|---|---|---|
| III | आईएसओ/एचएसीसीपी एवं ऑर्गेनिक चाय हेतु गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन | प्रमाणन शुल्क का 50 प्रतिशत की दर से सहायिकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख रूपए नवीनीकरण सहित प्रति प्रमाणपत्र प्रति वर्ष |
| IV | हरी चाय, ऑर्थोडॉक्स चाय एवं विशेषीकृत चाय इत्यादि के उत्पादन हेतु नए चाय फैक्टरियों की स्थापना(उत्पादन विविधिकरण) | लागत का 40 प्रतिशत सहायिकी के रूप में अधिकतम सीमा रू0 25 लाख प्रति फैक्टरी प्रति वर्ष की दर से । |
| V | आर्थोडॉक्स चाय उत्पादन हेतु प्रोत्साहन- | पत्ती ग्रेड में वास्तविक उत्पादन पर 3/रू0 प्रति किलो ग्राम तथा डस्ट श्रेणी में 2/-रू0 प्रति किलो ग्राम की दर से पिछले वर्ष के उत्पादन से वर्धित मात्रा पर सहायिकी। |

- टिप्पणी: मशीनरी : कुल लागत का 25 प्रतिशत तक सीमित सहायिकी(मशीनरी मद का बुनियादि लागत, ग्राह्य कर, भड़ा, बीमा एवं कमीशन का लागत) अधिकतम सीमा रू0 25 लाख प्रति फैक्टरी/ब्लेंडिंग पैकेजिंग इकाई ।
- प्रमाणन : आई एस ओ/एचसीसीपी एवं ऑर्गेनिक प्रमाणन प्राप्त करने हेतु सहायिकी, प्रमाणन लागत का 50 प्रतिशत तक सीमाबद्ध एवं अधिकतम सीमा राशि रू0 1,00,000/- तक प्रतिबंधित ।

टेबल **6:** 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

| क्रियाकलाप | लक्ष्य 2011-12 | | उपलब्धि 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रत्यक्ष/इकाई | वित्तीय/₹ करोड़ | प्रत्यक्ष/इकाई | वित्तीय/₹ करोड़ |
| फैक्टरी आधुनिकीकरण | 59 | 14.75 | 424 | 36.49 |
| मूल्य-वर्धन | 22 | 5.5 | 49 | 5.23 |
| गुण्वत्ता प्रमाणन | 15 | 0.15 | 80 | 0.32 |
| उत्पाद विविधिकरण/नए फैक्ट्री | 3 | 0.75 | 2 | 0.5 |
| **कुल** | **99** | **21.15** | **555** | **42.54** |

टेबल 7: XIवीं योजना अवधि हेतु वर्षवार उपलब्धि (₹ करोड़)

| वर्ष | आधुनिकीकरण | | मूल्य-वर्धन | | प्रमाणन | | नए फैक्ट्री | | कुल संवितरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि |
| 2007-08 | 443 | 26.81 | 7 | 0.27 | 27 | 0.15 | 0 | 0 | 477 | 27.23 |
| 2008-09 | 260 | 16.25 | 31 | 2.68 | 25 | 0.11 | 0 | 0 | 316 | 19.04 |
| 2009-10 | 169 | 16.26 | 28 | 2.43 | 40 | 0.19 | 1 | 0.07 | 238 | 18.95 |
| 2010-11 | 189 | 17.04 | 27 | 2.9 | 52 | 0.12 | 0 | 0 | 268 | 20.06 |
| 2011-12 | 424 | 36.49 | 49 | 5.23 | 80 | 0.32 | 2 | 0.5 | 555 | 42.54 |

टेबल **9: XI** वीं योजना अवधि **(2007-2012)** के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धि

| वर्ष | आवेदन विवरण | | | कुल व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं. | मात्रा (मि.कि.ग्रा.) | राशि (₹करोड़) | सं. | मात्रा (मि.कि.ग्रा.) | राशि (₹करोड़) |
| 2007 | 702 | 97.37 | 29.21 | 687 | 88.44 | 14.00 |
| 2008 | 725 | 100.41 | 30.13 | 690 | 95.01 | 22.32 |
| 2009 | 607 | 97.29 | 29.93 | 599 | 97.14 | 10.65 |
| 2010 | 563 | 94.70 | 27.17 | 545 | 93.79 | 24.37 |
| 2011 | 586 | 92.33 | 27.16 | 561 | 90.19 | 72.32 |
| **कुल** | **3183** | **482.1** | **143.6** | **3077** | **464.57** | **143.66(*)** |
| | (*) 5 वर्ष हेतु संचालित लागत सहित/वेतन वृद्धि भुगतान इत्यादि | | | | | |

4. **<u>मानव संसाधन विकास योजना</u>** :

इस योजना के तहत समर्थित कार्यकलाप में चाय बागान कर्मी व उनके संतानों हेतु कल्याणकारी उपाय विशेषकर स्वस्थ्य व शिक्षा में जो कि एक पूरक प्रकृति की हैं जबकि रोपण श्रम अधिनियम के स्थान पर यह नहीं है तथा पेशेवर मानसिकता को रोपण प्रबंधन, प्रबंधक से लेकर श्रमिक तक सभी स्तरों पर गहन प्रशिक्षण के माध्यम से श्रम उत्पादकता व कार्यकुशलता में सुधार को भी इसमें शामिल किया गया है । वर्ष के दौरान कल्याण मूलक उपायों के संबंध में विस्तृत ब्यौरा अन्यत्र कहीं (श्रम कल्याण : अध्याय के अधीन) दिया गया है। वर्ष के दौरान चाय बागानों के मजदूरों, लघु उत्पादकों एवं रोपण से सम्बद्ध प्रबंधकीय कर्मियों के लाभार्थ विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी विवरण निम्नवत है :

टेबल **10: 2011-12** के दौरान मा.सं.वि. योजना के तहत प्रशिक्षण/संगोष्ठियाँ

| क्रियाकलाप | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रत्यक्ष(सं.) | वित्तीय (₹करोड़) | प्रत्यक्ष(सं.) | वित्तीय (₹करोड़) |
| लघु उत्पादकों का प्रशिक्षण | 2000 | 3.00 | 4500 | 1.90 |
| बागान प्रबंधकों का प्रशिक्षण | 500 | | 500 | |
| प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (विस्तारित सेवा देनेवाला) | 85 | | 20 | |
| कॉसिल्स, संगोष्ठियाँ व सम्मेलन व राष्ट्रीय उत्पाद सूचना ग्रीड | 3 | | 7 | |

टेबल 11: XIवीं योजना (2007-12) के दौरान वर्षवार प्रशिक्षण/संगोष्ठी

| क्रियाकलाप | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लघु उत्पादकों का प्रशिक्षण | 16129 | 9034 | 11526 | 8500 | 4500 | 49689 |
| गार्डन प्रबंधकों का प्रशिक्षण | 447 | 169 | 325 | 175 | 500 | 1616 |
| प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (विस्तार सेवा देनेवाला) | 0 | 30 | 139 | 65 | 20 | 254 |
| कॉंसिल्स, संगोष्ठियाँ व सम्मेलन व राष्ट्रीय उत्पाद सूचना ग्रीड | 0 | 12 | 8 | 3 | 7 | 30 |

टेबल 12: XI वीं योजना (2007-12):के दौरान प्रशिक्षण/संगोष्ठियाँ हेतु उपयोगिता निधि:रु.करोड़

| | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लक्ष्यों | 1.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 12.50 |
| उपलब्धि | **0.52** | **0.91** | **1.98** | **0.39** | **1.90** | **5.70** |

टेबल 13: 2011-12. के दौरान टी बोर्ड के वित्तीय सहयोग से विभिन्न एजेंसीयों द्वारा संचालित प्रशिक्षण

| एजेंसी | लाभार्थी | प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं0 | विनिर्मुक्त राशि रू.लाख में |
|---|---|---|---|
| आईआईपीएम | चाय के प्रबंधकों एवं मजदूरों को | 2846 | 150.0 |
| उपासी-केवीके | लघु चाय उत्पादकों को | 3282 एवं 11 | 48.56 |
| ए ए यू | लघु चाय उत्पादकों को | 58 | 4.99 |
| टी आर ए | टी बोर्ड के विकास अधिकारियों को | 12 | 1.44 |
| | कुल | | 204.99 |

**व्यावसायिक प्रशिक्षण** – 283 चाय रोपण कर्मियों हेतु छः माह अवधि का व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स जलपाईगुड़ी जिला के जन शिक्षा संस्थान में संचालित किया गया ।

## विकाश अनुदान

इस योजना के अधीन समर्थित विकासात्मक गतिविधियों में शामिल है—लघु उत्पादकों के लाभार्थ सलाहकारी सेवा का विस्तारण, गैर-परम्परागत क्षेत्रों के लघु चाय उत्पादकों के करीबी अन्तरापृष्ठार्थ बोर्ड के नए विकास कार्यालयों का खुलना, विद्यमान बोर्ड के कार्यालयों को सशक्तिकरण, लघु चाय उत्पादकों को अच्छे किश्म के पौध की आपूर्ति हेतु नर्सरियों की स्थापना, प्रदर्शन स्थालों की स्थापना, लघु उत्पादकों का अध्ययन दौरा कार्यशाला का आयोजन इत्यादि ।

वर्ष के दौरान रिपोर्ट के तहत नीचे दिए गए खंडित ब्यौरो के अनुसार रु. 1261.68 लाख संवितरित किया गया ।

टेबल **14: 2011-12** के दौरान विकास अनुदान का संवितरण

| क्र.सं. | विवरण | राशि रू० लाख में |
|---|---|---|
| 1. | सलाहकारी सेवा - टीआरए/उपासी/एएयू/आईएचबीटी पालमपुर/आईआईटी-खड़गपुर को सहायता अनुदान स्वरूप मुहैया किया गया । | 39.47 |
| 2. | अध्ययन दौरा एवं कार्यशालाएं | 113.15 |
| 3. | बोर्ड के अंचल व क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्तिकरण बाबत | 741.20 |
| 4. | तमिलनाडु के नीलगिरी के लघु जोतकर्ताओं को नर्सरी+ पूनिंग प्रदर्शन | 0.00 |
| 5. | बेस लाईन सर्वेक्षण | 70.54 |
| 6. | अन्य (विविध जिसमें शामिल हैं इसरो, , ई-नीलामी परियोजना इत्यादि) | 297.22 |
| | कुल | **1261.58** |

टेबल **15: XIवीं योजना 2007-2012** के दौरान संवितरित विकास अनुदान

| क्र.सं. | विवरण | राशि विनिर्मुक्त (₹ लाख में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2007-08** | **2008-09** | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** | कुल |
| 1 | सलाहकारी सेवा - टीआरए/उपासी/एएयू/आईएचबीटी पालमपुर/आईआईटी-खड़गपुर को सहायता अनुदान स्वरूप मुहैया किया गया । | 11.0 | 119.62 | 100.08 | 0.00 | 39.47 | **270.17** |
| 2 | अध्ययन दौरा एवं कार्यशालाएं | 5.18 | 7.47 | 11.89 | 35.77 | 113.15 | **173.46** |
| 3 | बोर्ड के अंचल व क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्तिकरण बाबत | 53.21 | 103.73 | 59.28 | 38.25 | 741.20 | **995.67** |
| 4 | तमिलनाडु के नीलगिरी के लघु जोतकर्ताओं को नर्सरी+ पूनिंग | 17.04 | 24.09 | 20.98 | 10.00 | 0.00 | **72.11** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रदर्शन | | | | | | |
| 5. | बेस लाईन सर्वेक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.54 | **70.54** |
| 5 | अन्य (विविध जिसमें शामिल हैं इसरो,बेसलाईन सर्वे, सीएफसी , ई-नीलामी परियोजना इत्यादि) | 176.33 | 11.05 | 254.19 | 259.24 | 297.22 | **998.04** |
| कुल | | **262.76** | **265.96** | **446.42** | **343.26** | **1261.58** | **2579.99** |

टेबल-16: उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल के लघु चाय उत्पादकों हेतु कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया ।

| क्र.सं. | आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय | प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या | उत्पादक लाभार्थी/सहभागिता की सं. | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गुवाहाटी | 7 | 602 | 1.42 |
| 2 | डिब्रूगढ | 7 | 506 | 1.23 |
| 3 | जोरहाट | 12 | 1024 | 2.16 |
| 4 | तेजपुर | 6 | 459 | 1.14 |
| 5 | सिल्चर | 1 | 69 | 0.30 |
| 6 | अगरतला | 2 | 120 | 0.58 |
| 7 | सिलिगुडी | 19 | 1400 | 3.36 |
| कुल | | **54** | **4180** | 10.19 |

टेबल-17 : 2011-12 के दौरान लघु चाय उत्पादकों हेतु अध्ययन दौरा

| क्र.सं. | एसएचजी/संघ का नाम | दौरा का स्थान | उत्पादक की सं. | राशि सम्मिलित (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मेघालय का लघु चाय उत्पादक | दार्जिलिंग, प.बं. | 17 | 3.30 |

<u>अ.जा.स.यो. के तहत योग्य मदें :-</u>

| क्र.सं. | घटके/मदें योग्य | योग्य मदों की संख्या | एसएचजी हेतु योग्य सहायिकी की राशि | एकल अ.जा. उत्पादक हेतु योग्य सहायिकी की राशि |
|---|---|---|---|---|
| ए. | रोपण विकास योजना का कार्य क्षेत्र | | | |
| 1. | फिल्ड से फैक्ट्री तक हरी पत्ती की ढुलाई और इनपुट की फिल्ड तक ढुलाई हेतु परिवहन वाहन ट्रक ट्रेक्टर, टेलर | प्रतिदिन 5000 कि.ग्रा. हरी पत्ती हेतु एक वाहन की अनुमति(जून से सितम्बर के दौरान) | वाहन के वास्तविक मूल्य हेतु 50 प्रतिशत सहायिकी | |
| 2. | उर्वरक, कीटनाशक, बीडीसाईड, स्पेयरस हेतु प्रति हेक्टेयर एक वर्ष इनपुट लागत | | रु. 10,000.00/हेक्टेयर की दर से एकमुश्त अनुदान | |
| 3. | इनपुट भण्डारण गोदाम | भण्डार इनपुटस और फिल्ड उपस्कर की सुरक्षा हेतु प्रति गोदाम/प्रति एसएचजी एक इनपुट भण्डारण गोदाम | 50,000/एस एचजी की दर से एकमुश्त अनुदान | |
| 4. | पत्ती संग्रहण छावनी | एक दिन में कटाई की गई प्रति 5000 कि.ग्रा. पत्ती हेतु एक पत्ती संग्रहण छावनी | प्रति छावनी(उच्चतम सीमा)/एसएचजी हेतु 30000 की एकमुश्त पूंजीगत अनुदान | |
| 5. | पत्ती वेटिंग स्केल | प्रति एसएचजी दो पत्ती वेटिंग स्केलें | दो स्केलस(उच्चतम सीमा) एसएचजी हेतु 3000 की एकमुश्त पूंजीगत अनुदान | |
| 6. | प्लास्टीक क्रेट/पत्ती ढुलाई | प्रतिदिन प्रति 20 | प्रति क्रेट(उच्चतम सीमा) या | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | थैला | कि.ग्रा. हरी पत्ती ढुलाई हेतु एक प्लास्टीक क्रेट या प्रतिदिन प्रति 15 कि.ग्रा. हरी पत्ती ढुलाई हेतु एक नायलॉन थैला | 30 प्रति नायलॉन थैला हेतु 210 ₹ का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान |
| 7. | छंटाई मशीन | प्रति 10 हेक्ट. चाय क्षेत्र/एसएचजी एक छँटाई मशीन और प्रति उत्पादक एक छँटाई मशीन | प्रति छँटाई मशीन हेतु ₹ 35000 का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान |
| बी. | गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद वितरण योजना का कार्यक्षेत्र | | |
| | एसएचजी द्वारा नए फैक्ट्रीयाँ की स्थापना | 50 सदस्यों और अ.जा. श्रेणी के समूह का 50 प्रतिशत रखने वाले एसएचजी हेतु | यथानुपात के आधार पर सहायिकी की दर, एसएचजी की कुल सामर्थ्य के अनुसाद अतः प्रति 50 सदस्यों के समूह हेतु ₹ 25 । की दर से सहायिकी या फैक्ट्री स्थापन की वास्तविक लागत का 40 प्रतिशत जो भी कम हो । |

टेबल **19: 2011-12** में एससीएसपी निधि का प्रत्यक्ष एवं वित्तीय

| संवितरित कार्यालयों | एकल अनुसूचित जाति लाभार्थियों की सं. | वित्तीय (₹ करोड़) | वित्तीय उपलब्धि (₹करोड़) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | उ.पू. | अ.उ.पू. |
| गुवाहाटी | 132 | 0.35 | 0.35 | 8.96 |
| जलपाईगुडी | 1045 | 7.00 | | |
| सिलिगुड़ी | 38 | 0.07 | | |
| कूनूर | 201 | 1.65 | | |
| कोट्टायम | 63 | 0.24 | | |
| | 1479 | 9.31 | | |

<u>बेस लाईन सर्वेक्षण:</u> 2011-12 के दौरान टी बोर्ड के फिल्ड कार्यालयों के माध्यम से देशभर में चाय बागानों का व्यापक सूचना संग्रहण हेतु एक बेसलाईन सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया था । यह स्वामित्व पार्श्वदृश्य, उत्कृष्ट उत्पादन भूमि उपयोग की विशिष्टता, कर्मी आवास हेतु उपलब्ध आधार तंत्र , चिकित्सा देखरेख प्राथमिक शिक्षा इत्यादि शामिल किया गया ।

<u>ऋण योजना हेतु रिवाल्विंग कॉर्पस :</u>

वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पुन:संरचनात्मक पैकेज का प्रत्युत्तर सकारात्मक रहा एवं वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 9.32 करोड़ की वसूली कर व्यतिक्रम की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई । वर्षवार वसूली की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :-

| वर्ष | ₹ लाख में वसूली | | | |
|---|---|---|---|---|
| | मशीनरी | रोपण | सिंचाई | कुल |
| 2007-08 | 297.85 | 319.22 | 124.36 | 741.43 |
| 2008-09 | 480.74 | 456.45 | 76.64 | 1013.83 |
| 2009-10 | 624.43 | 640.76 | 90.15 | 1355.34 |
| 2010-11 | 500.58 | 484.44 | 178.50 | 1163.52 |
| 2011-12 | 319.27 | 516.70 | 96.75 | 932.72 |
| कुल | **2222.27** | **2417.57** | **566.40** | **5206.84** |

1. <u>बंद चाय बागान:</u>

वर्ष के दौरान रिपोर्ट के तहत किसी बागान के बंद होने के नया मामला नहीं था । संकट काल (1999-2008 के बीच) के दौरान जिसे पूर्व बंद किया गया था केवल चार बागानें बंद रही – पश्चिम बंगाल और केरल प्रत्येक में -2

बंद चाय संपदाओं का वर्षवार पुर्नप्रारम्भ नीचे दिया गया है :-

| वर्ष | पुन:प्रारंभित बागानों की सं. |
|---|---|
| 2007-08 | 11 |
| 2008-09 | 5 |
| 2009-10 | 6 |
| 2010-11 | 9 |
| 2011-12 | शून्य |
| कुल | **31** |
| अब तक बंद बागानों की सं. | **4** |

## अन्य चालू परियोजनाओं के अधीन प्रगति

**रिमोट सेंसिंग एवं जी आई एस के माध्यम से चाय क्षेत्रों का मानचित्रिकरण:**

इस परियोजना का शुभारंभ ईसरो के सहयोग से वर्ष 2007-08 में किया गया था । असम, पश्चिम बंगाल(जीआईएस) की चाय क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्रण एवं चाय बागानों के प्रोफाइल संबंधी एम आई एस सृजन एवं पुनरोपण/जीर्णोद्धार आदि की प्रत्यक्ष प्रगति पर निगरानी करना इस परियोजना का मुख्य उद्येश्य है ।

रिर्पोट के अधीन वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलाप निम्नवत हैं:

- पश्चिम बंगाल एवं असम का साठ प्रतिशत मानचित्रण तथा मौके पर जाकर क्षेत्रों का सत्यापन के साथ-साथ हाई रिजुलुशन का इस्तेमाल करते हुए डिजिटलाइज्ड कर लिया गया है । जमीनी हकीकत जानने के लिए चाय बोर्ड के देश-व्यापी फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालयों को 1:50000 स्केल भेज दिए गए हैं तथा लघु उत्पादकों एवं विभिन्न उत्पादकों के संघों से अंत:क्रिया किया गया । जियो संदर्भित 250 चाय बागानों का मानचित्र चाय बोर्ड से प्राप्त कर लिया गया । बागानों का बाउंडरी, अनुभाग बाउंडरी एवं विभिन्न चाय बागानों का लेबेलिंग किया जा चुका है, जैसा कि चाय बोर्ड से प्राप्त कर लिया गया । 250 चाय बागानों के लिए विस्तृत स्तर पर इस्तेमाल भूमि का मानचित्र का सृजन कर लिया गया ।
- स्पेसियल डाटाबेस का सृजन अर्थात नेटवर्क, रेलवे, जलनिकासी एवं नदी, अवस्थित बंदोबस्, जल-छावनी, चाय प्रसंस्करण फैक्टरियों के स्थान, चाय उत्पादित जिलों में चाय उत्पादक सोसाइटियों का विभिन्न स्थान आदि का ब्यौरा ।
- अनुभागों का सीमा चिन्ह की रिफाइनमेंट एवं इस्तेमाल करने वाली श्रेणी ।
- विभिन्न चाय बागानों एवं अखंडित स्पैसियल डाटाबेस से प्राप्त फार्म-1 का इस्तेमाल करते हुए आरडीबीएमएस का सृजन ।
    - चाय जी आई एस एम आईएस पोर्टल/साफटवायर पैकेज विकसित करना ।
    - डिब्रूगढ़, जलपाईगुडी जिलों के लिए चाय मानचित्र का मसौदा तैया करना ।
    - चाय बोर्ड के अधिकारियों के लिए जी पी एस प्रशिक्षण का आयोजन ।
    - छह चाय बागान प्रबंधकों एवं चाय बोर्ड के निदेशानुसार एन डब्ल्यू डी ए को मूल्यवर्धित प्रशिक्षण मुहैया कराना ।
    - चाय बागानों एवं सेटेलाइट डाटा से माप संबंधी रिपोर्ट के अनुसार उखाड़े गए क्षेत्रों का मिलान करना ।

ख. **दक्षिण भारत में लघु चाय प्रसंस्करणें में ऊर्जा संरक्षण :**

इस परियोजना की शुरूआत यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम-ग्लोबल इवायर्नमेंट फेसिलिटी के

**दक्षिण भारत चाय सेक्टर हेतु विशिष्ट ऊर्जा लागत**

**बी एल एफ एवं सम्पदा हेतु विशिष्ट ऊर्जा खपत**

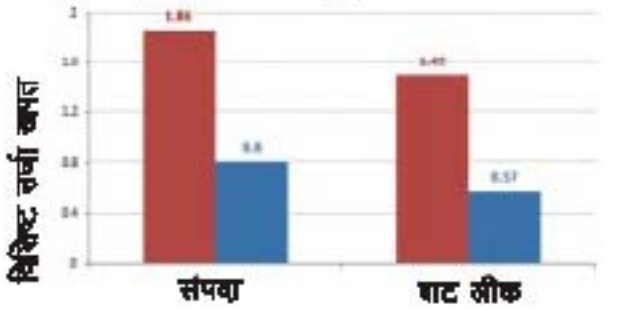




**जैविक चाय विकास परियोजना :**

इस परियोजना की शुरुआत एफएओ-आईजीजी, सीएफसी व आईएफओएएम के समर्थन से सितंबर 2008में हुई । इसका मुख्य उद्देश्य जैविक चाय में वैज्ञानिक पैकेजों का प्रयोग करना, विश्व बाजार में जैविक चाय हेतु बाजार की रणनीति विकास करना एवं जैविक चाय हेतु संभाव्य बाजारों का पता लगाना है । असम, दार्जिलिंग एवं केरल राज्यों में 100 हेक्टेयर क्षेत्र के आकार का प्रत्येक राज्यों में तीन मॉडल फार्म स्थापित किए गए । तीन अनुसंधन एवं विकास संस्थानों को भी उक्त मॉडल फार्मो के साथ सम्मिलित किया गया ताकि जैविक चाय के सभी पहलुओं का परीक्षण किया जा सके। जैसा कि परियोजना में खेतों के रूपायित विकासात्मक गतिविधियों जैसे–नई रोपण, **पुर्नरोपण** जीर्णोद्धार एवं साधारण पारम्परिक परिवर्तन से जैविक चाय को सभी तीनों मॉडल फॉर्मो में शुरु किया किया गया है । परियोजना की ओर से आई एम ओ ए एम द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया तथा संयुक्त राज्य में जैविक चाय की मांग का अध्ययन किया गया एवं इससे संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई । प्रशिक्षण के साथ-साथ सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए केपासिटी बिल्डिंग केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाए गए । परियोजना क्षेत्रों में लगे कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों एवं प्रबंधकीय कर्मियों के लाभार्थ कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया ।

परियोजना हेतु कुल संस्वीकृत परिव्यय यूएसडी 4,047,833 थी **जिसमें से 30.1 प्रतिशत, अनुदान के रूप में यूएसडी** 643,923 (15.9 प्रतिशत) और ऋण

के रूप में यूएसडी 965,888 (23.9 प्रतिशत) सीएफसी द्वारा प्रदान किया गया । शेष यूएसडी 438,019 (60.2 प्रतिशत) मॉडल फार्म और सभी शीर्ष संस्थाओं से प्राप्त हुआ ।

अनुदान के रूप में यूएसडी 466,334 और ऋण के रूप में यूएसडी 965,888 सीएफसी से निधि प्राप्त हुआ जबकि सम्पूर्ण ऋण राशि मॉडल फार्म स्वामित्वों में वितरित कर दिया गया है । 31 मार्च, 2012 तक अनुदान घटकों के तहत कुल व्यय यूएसडी 439,343 था ।

परियोजना के तहत 42 क्षेत्र और अनुसंधान प्रयोगशाला (लघु और वृहद अवधि) शुरू किया गया है । जबकि लघु अवधि अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है । लगभग 40 वैज्ञानिक नियुक्त है । और पौष्टिकता एवं चाय पौधों द्वारा मृदा उर्वरक , माइक्रो स्थिति , पौधा संरक्षण के रूप में वायो फोरमुलेशन और हर्बल तत्व , मृदा बहाली पौधा संश्लेषण स्थिति और वृद्धि हेतु विशेष लक्षण , सूट उत्पादन , खाद्य की प्रतिक्रिया और इसके घटक विश्लेषण , मृदा डायनेमिक और भी अध्ययन का विषय शामिल है ।

**सिलिगुड़ी में धारिता निर्माण केन्द्र**

कुल भूतल 2700 स. फिट पर इमारत का सिविल निर्माण समाप्त हो चुका है । इसमें लेक्चर हॉल, पुस्तकालय/सूचना केन्द्र एवं कार्यालय कक्ष की धारा है । निर्माण का अनुमानित खर्च 162000 यूएसडी था एवं उसकी प्राप्ति सीएफसी द्वारा निर्माण अनुदान (100,000 यूएसडी) एवं चाय बोर्ड भारत के योगदान के स्वरूप (62000 यूएसडी) हुई । आंतरिक कार्य प्रगति पर है ।

## टीआरएफ, बलपराई पर दक्षिण भारत में धारिता निर्माण केन्द्र

सिविल निर्माण पर कार्य प्रगति पर है एवं इस वर्ष समाप्त होने की संभावना है । चाय बागान क्षेत्रों पर उपासी-टीआरएफ कैम्पस में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था

**मानव संसाधन विकास – प्रशिक्षण संगोष्ठी एवं कार्यशाला** :-प्रारंभिक तौर पर , जैव परियोजना में शामिल सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकों को पहले आईसीसीओए में जैव सिद्धान्तों एवं कदमों पर प्रथम प्रशिक्षित किया गया उसके बाद प्रमाणपत्र आवश्यकताओं पर ए पी ई डी ए पर प्रशिक्षित किया गया । तत्पश्चात इन अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ

प्रचालन सम्बंधी गतिविधियों पर प्रशिक्षण दिया।

डीटीआरडीसी द्वारा दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का रूपांकन किया गया, उत्तर बंगाल व असम क्षेत्र के लिए टीआरए द्वारा एवं दक्षिण भारत के लिए उपासी चाय अनुसंधान संघ द्वारा किया जाएगा ।

उच्च मध्यम एवं निम्न स्तर के प्रबंधन के प्रतिनिधियों एवं चाय बागान के श्रमिकों द्वारा इस पाठयक्रम में हिस्सा लिया गया ताकि जैव फसल में सुविधा मिल सके । अध्ययन सामग्री का मुद्रण अंग्रेजी के साथ ही आंचलिक भाषाओं में एवं प्रशिक्षार्थियों को वितरित किया गया । अब तक कुल प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या असम में 1140, दक्षिण भारत में 560 एवं दार्जिलिंग में 160 प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी एवं आंचलिक भाषा दोनों में मुद्रित किया गया । आईआईटी , खड़गपुर में 15 कार्यक्रम का आयोजन जैव इनपुट उत्पादकों के फायदे के लिए किया गया ।

**विनिमय दौरे** : भारत में चाय अनुसंधान संस्थानों से चार वैज्ञानिकों का मंत्रीमण्डल की प्रतिनियुक्ति चीन में जून, 2011 में अन्तर्राष्ट्रीय जैव चाय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए किया गया । संगोष्ठी में भारतीय वैज्ञानिकों ने जैविक प्रयोगों के परिणामों को भी प्रस्तुत किया एवं चीन में जैविक चाय फार्मों का भी दौरा किया ।

**बाजार विकास:** वर्ष के दौरान बेस लाईन सर्वेक्षण जैविक चाय हेतु घरेलू मांग के लिए भारत के चार महानगरों में प्रत्यायित एजेंसियों द्वारा किया गया । सर्वेक्षण ममें निम्नलिखित मामले शामिल थे :-

- जागरूकता/ज्ञान का स्तर
- जैविक चाय पेयता और न पीने वालों दोनों का साइकोग्राफीक चित्रण और डिमोग्राफिक
- क्रय व्यवहार/पद्धति
- उपभोक्ता उदाहरण (उत्सवों और आवृत्ति) और सामान्य प्रवृत्ति
- डायगनिस्टिक (ट्रीगर एवं रूकावट, क्रय का अभिप्राय)
- मूल्यन का प्रभाव एवं इसके पहलू (मूल्यन बिन्दु एवं सहनशीलता)
- आने वाले वर्षों में भारत में सूचनात्मक मांग

# चाय अनुसंधान

## प्रस्तावना

टी बोर्ड भारत भारतीय चाय उद्योग का शीर्ष निकाय है जो देश में चाय अनुसंधान के संवर्धन और विनियम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। चाय उद्योग में बढ़ते वर्तमान वैद्धिक विकास में टी वोर्ड के लिए यह आवश्वक है कि वह कुछ मुख्य वैज्ञानिक परियोजनाओं पर जोर दे जिनका संबंध चाय उद्योग से है एवं जो राष्ट्रीय जरुरतों को पूरा करता है। टी बोर्ड के अनुसंधान निदेशालय ने देश में चाय अनुसंधान में विकास की गति की संवर्धित एवं खरित किया है जो मूल अनुप्रयुक्त व नियामक अनुसंधान की विभिन्न पक्षों में सृजनात्मक गतिविधियों एवं अध्ययन को समेटता है। अतः भारतीय चाय उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि का आंशिक श्रेय अनुसंधान निदेशालय की सहायक भूमिका को दिया जा सकता है जो विभिन्न चाय अनुसंधान संस्थानों यथा–दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (डीटी एंड डीसी), कार्सियांग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, चाय अनुसंधान संघ (टीआरए) जोरहाट, असम एवं दक्षिण भारत की

## सहायता अनुदान

11वीं योजनावधि के दौरान, सभी तीन अनुसंधान संस्थाओं को दिये जाने वाले वित्तीय समर्थन को बढ़ा दिया गया तथा अनुसंधान परियोजना की संख्या को गत योजना (10वीं) योजना में 11 की तुलना में२० तक बढ़ा दिया गया। यह संस्थाएं चाय खेती, पौध संरक्षण, उत्पादकता में वृद्धि व गुणवत्ता में वृद्धि पर दोनों आधारभूत व प्रायोगिक अनुसंयुक्त अनुसंधान सूचना देती है। चल रही प्रत्येक अनुसंधान परियोजना के कार्यविधियों व प्रगति को निम्नलिखित पृथक अनुभागों में रिपोर्ट किया गया है।

बर्ष 2011-12 हेतु अनुसंधान एवं विकास खाते में निधि आबंटन था ₹ 18,82,22,892.00। 2011-12 के दौरान टी आर ए को दी गई अनुदान खाते में वितीय समर्थन था ₹ 2,83,21,685.00 तथ ए र्ड डी में ₹ 2,83,21,685.00 तथा ए र्ड डी में ₹ 54,858,621.00 वैसे ही, उपासी को अनुदान के रूप मे ₹ 88,84,499.00 दिया गया तथा एर्डडी के रूप में 86,84,071.00।

वर्ष 2011-12 के दौरान टी बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (एचपीकेवीवी) को ₹ 6,52,400.00 एवं एएयू को भारतीय चाय पर अनुसंधान हेतु ₹ 3,00,000.00 दिया। दा. चा. अनु. वि.के. के उन्नतिकरण हेतु ₹ 1,95,12,72.00 की राशि को संरचनात्क विकास व उपस्कर प्रापण हेतु दिया गया।

## नियोजित योजनाएं :

11वीं योजनावधि के दौरान कुल सत्रह अनुसंधान परियोजनाओं को तीन चाय अनुसंधान संस्थाओं (टी आर ए-11, उपासी-4 व दा.चा.अनु.व वि.के.-2) तथा तीन अन्य परियोजनाओं को इंडियन संस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी (आइ.आइ.टी.) खड़गपुर, सी-डैक, कोलकाता व कोलकाता विश्व

एवं कूल अमीनों एसिड पर प्रक्रमण वैभिन्नय पर प्रक्रमण तकनीक के प्रभाव पर अध्ययन आयोजित किए गए। एकल फ्लैवानोल के प्रत्यावर्तन पर विभिन्न उत्पादन स्तरों का प्रभाव एवं क्लोनल काली चाय उत्पादन के प्रक्रमण के दौरान स्वाद के घटकों का विश्लेषण किया गया है। एचटीएफ कारखाने के निर्माण के लिए अनुमोदन विलम्ब का कारण स्थानीय नगरपालिका का प्रतिक्षित हेना है।

**2. गैर-रसायन नियंत्रण पद्धतियों का विशेष संदर्भ सहित चाय हेतु एकीकृत कीट का विकास व रोग प्रबंधन (आई पी डी एम) नीति।**

मैदानों से संग्रहीत प्राकृतिक दुश्मन जैसे प्रीडेटर माईट (नियोसेल्यूलस लांगीसपीनोसस) एवं ग्रीन लेसवींग (माल्लाडा बोनिनेसिस) का उपासी टीआरआई प्रयोगशाला में लाया गया एवं लाल मकड़ी माईटों पर उनके प्रीडेटरी क्षमता का खुलासा अध्ययनों द्वारा हुआ।

चाय पारितंत्र से संग्रहीत एन्टोमोपैथोजेनिक बैक्ट्रीयम, सिऊडोमोनास फ्लोरेसेन्स एवं फंगास लिकैनीसिलियम लिकैनी को क्रमशः कीटाणुग्रस्त माईटों एवं थ्रिप्स से अलग रखा गया एवं उनकी जैव क्षमता विशिष्ट कीटों के समक्ष अभिनिश्चित की गई। दक्षिण भारत के विभिन्न चाय रोपण क्षेत्रों संग्रहीत लाल मकड़ी माइट की प्रतिरोधक स्थिति का विश्लेषण एलडी 50 मूल्यों व एनजाईम वैभिन्नय (एसटरेज ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेस एवं मोनो ऑक्सीजेनेज) प्रयोग करने वाले कीटनाशकों के समक्ष किया गया। माइको प्लोंट सहित एकाधिक मैदानी क्षेत्र पर प्रीडेटरी माइट एन. लांगीसपीनोसेंस एवं माल्लाडा बोनीनेसिस की प्रीडेटरी क्षमता का विश्लेषण का परीक्षण किया गया ताकि जैव चाय बागानों के साथ ही सामान्य संपदा के तहत विभिन्न कृषि पर्यावरण स्थितियों में उनकी स्थापना की जा सके। चाय कीटों एवं रोगों के सुचारू प्रबंधन के लिए आईपीडीएम रणनीतियों में समाष्टि के लिए एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन तकनीकों पर प्रशिक्षण दी गई है। कुच जैव नियंत्रण तत्वों के कीटप्लासम जैसे ट्रीकोडरमा एसपी, स्यूडोमोनस एसपी, बैसिलस एसपी, का अनुरीक्षित किया गया। संवेदनशीलता व सहिष्णुता सम्बंधी अध्ययन किए गए। चुनिंदा कीटनाशकों (प्रोपारगाइट, फेनपाइरोक्सीमट, हेक्सीथियाजोक, थीयामेथोजाम एवं डेल्टामेथरीन) एवं फगीसाइडो (हेक्साकोनाजोल, कारबेनडाजीम, मानकोजेब एवं कोपर ऑक्सीक्लोराइड, नाटिवो, ट्रीडेमाफ, बेनोमाइल एं टेबुकोनाजोल) के साथ बासिलस एसपी एवं स्यूडोमोनास अनुकूल पाए गए। चाय पैथोजेन जैसे पेस्टालोटियोप्सीस एसपी, (ग्रेब्लाईट) हाईपोजाइलॉन एसपी, (वुड रॉट) एवं मैक्रोफोमा एसपी, (ब्रांच कैन्कर) के समक्ष जैव नियंत्रण पदार्थों की विरोधी क्षमता पर इन विट्रो अध्ययन किया गया जहाँ इन विट्रो परिस्थितियों के अधीन वैसिलस एसपी की तुलना में गे ब्लाईट पैथोजेन के समक्ष स्यूडोमोनास एसपी एवं ट्राईकोडरमा एसपी दोनों की पांच प्रजातियों में उच्च वर्जन क्षमता दिखाई देती है। 5 बैसिलस स्ट्रेनों में वेड रॉट पैथोजेन के समक्षा उच्च वैर विरोध दिखाई देता है। इन विट्रो परिस्थितियों के अधीन ब्रांच कांकर पैथोन के समक्ष प्रति तीन बैसिलस एसपी एवं स्यूडोमोनस एसपी में उच्च वैध विरोध उत्पन्न करती है। ग्लास हाऊस परिस्थितियों एवं प्रयोगशाला के तहत ग्रे ब्लाईट के समक्ष चुनिन्दा जैव नियंत्रण स्ट्रेनें का परिक्षण उनकी जैव क्षमता के लिए किया गया।

**3. टैन्सक्रिप्टोमिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए चाय में फाइटोपैथोजेनिक स्ट्रेस के दौरान जीन एक्सप्रेशन का विश्लेषण**

सीडीएनए पुस्तकालय का निर्माण, ईएसटीएस की अनुक्रमणिका एवं ब्लीस्टर ब्लाईट एवं ग्रे ब्लाईट रोगों के संदर्भ में रोग संक्रमित पौधों का विश्लेशण किया गया। सप्रेसीव सबट्रैक्टीव हार्डब्रीडाईजेशन (एस एस एच) पुस्तकालय एवं डीडी पीसीआर का प्रयोग कर संक्रमित पौधों के रोग एवं नियंत्रण का विभेदक प्रदर्शन (डीडी) विश्लेषण किया गया। आंतरिक तौर पर व्यक्त जीनों कर अनुक्रमित किया गया, उसके बाद उनका विश्लेषण एवं कैंडिडेट जीनें की पहचान पूरी की गई। एसैसएच पुस्तकालय से प्राप्त इएसटी विशेष तौर पर ब्लीस्टर ब्लाईट संक्रमण को अनुक्रमित एवं विश्लेषित किया गया। एनसीबीआई डाटा बेस में कुल 306 (166 + 40) ईएसटी जमा किया गया। यह पाया गया है कि दोनों एसएसएच पुस्तकालयों से प्राप्त ईएसटी विभिन्न स्ट्रेस संबंधी प्रोटीन एवं पैथोजेनेसिस सम्बंधी प्रोटीन से मेल खाता है। आरएसीई प्रतिक्रिया का निष्पादन चीटीनेज जीन के लिए किया गया एवं जो अनुक्रम प्राप्त हुआ वह एनसीबीआई डाटाबेस में जमा किया गया। इनकोडिंग B1 जीनों के सम्पूर्ण अनुक्रम का जनन, 3-ग्लूकानेज ब्लीस्टर विशिष्ट एसएसएच पुस्तकालय से उपलब्ध किया गया। पीआर (पैथोजेनिक रिलेटेड) प्रोटीनों से सम्बंधी जीनों के लिए जीन एक्सप्रेशन के स्तरों का अध्ययन ब्लीस्टर ब्लाईट संक्रमण के विभिन्न स्तरों पर किया गया। ब्लीस्टर ब्लाईट घटना के विभिन्न स्तरों में पीआर प्रोटीन सम्बंधी विभिन्न एनजाईमों के लिए एनजाईम एसे का पालन किया गया।

**4. चाय में भारी धातुओं व कुछ कीटनाशी अवशेषों पर अध्ययन**

अबामेकटीन, बीफेनाजेट, डीमेथोएट, थीआक्लोप्रीड, थीआमेथोनैम, क्लोथियानीडीन, कारबेनडाजीम, स्पाईरोमेसीफेन, एवं ऑक्सीफ्लूरोफेन के अवशेषों के परिमाणन के लिए कार्यविधि का सत्यापन व पहचान किया गया। अबामेकटीन (1 मौसम) बीफेनाजेट (2 मौसम) डीमेथोपट (2 मौसम) थीआक्लोप्रीड (2 मौसम) थीआमेथोजैम (1 मौसम) स्पाइरोमेसीफेन (2 मौसम) मानकोजेब (1 मौसम) कारबेनडाजीम (2 मौसम) एवं आक्सीफ्लूरोफेन (2 मौसम) सहित मैदानी परीक्षण किया गया। अबामेकटीन, बीफेनाजेट, डाइमेथोआट, थीआक्लोप्रीड, थीआमेथोजैम, क्लोथीआनीडीन, कारबेनडाजीम, स्पाईरोमेसीफेन एवं ऑक्सीफ्लोरोफेन के लिए काली चाय एवं चाय इनफ्यूशन दोनों मं कीटनाशी अवशेषों का निर्धारण किया गया। अबामेकटीन, बीफेनाजेट, डीमेथोआट, थीआक्लोप्रीड, थीआमेथोजैम, क्लोथियानीडीन, कारबेनडाजीम, स्पाइरोमेसीफेन एवं ऑक्सीफ्लोरोफेन कीटनाशियों के लिए प्रक्रमण के विभिन्न स्तरों के दौरान अपव्यय का

अध्ययन पूरा किया गया। मृदा एनजाईम परितंत्र के कार्य को व्यवस्थित करते हैं एवं विशेष रूप से पोषक साइकलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। मृदा में प्रोटीन व यूरीज एनजाईमों की गतिविधि पर पीबी के प्रभाव पर अध्ययन किया गया।

**टीआरए, टोकलाई, असम में 11वीं योजना अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति**

**5. मिट्टी की उत्पादकता की निरंतरता कुछ रणनीतियाँ**

दक्षिण बैंक (बोकाहोला टीई) के व्यवसायिक चाय संपदा पर मैदानी परीक्षण किया गया। अध्ययनों से वह प्रकट होता है कि सभी उपचारों ने जैव कार्बन स्थिति की पर्याप्त स्तर का अनुरक्षण किया, उपचारों में 75 प्रतिशत सुझाया गया उर्वरक की मात्रा (आर डी एफ) + 6t वरमीकोमपोस्ट (वीसी) एवं 100 आरडीएफ शामिल है। एक साल के परीक्षण के बाद मयदा में उच्च जैव कार्बन स्तर में अनुरक्षण करने में मदद मिला। उपचारों में एक वर्ष के अधिरोपण के बाद 100 प्रतिशत ालरडीएफ सहित सममूल्य पर सभी एकीकृत उपचार थोक गहनता का अनुरक्षण करते हैं एवं स्थायी जल एकत्र करता है। पौधों के आंकड़े यह सूचित करते हैं कि 6 टी वी सी अथवा मिश्रित जैव उर्वरकों द्वारा आरडीएफ की 25 प्रतिशत प्रतिस्थापन 100 प्रतिशत अजैव सहित सममूल्य पर पैदावार का अनुरक्षण किया जाता है। मृदा के प्रकार में गिरावट तब आई जब वर्जित मृदा गिर गया एवं चाय सहित रोपण किया गया। दोनों साइटों के बीच समुच्चयन की स्थिति में हालांकि वैभिन्नयता प्रशंसतीय पाई गई, नई एवं पुरानी मृदा के बीच खनन की मात्रा सभी तीन साईटों में समान रीति से है।

गीलाधरी चाय संपदा (दक्षिण बैंक) पर मैदानी परीक्षण की शुरूआत वह सूचित करता है कि उपचारों के अनुप्रयोग से पूर्व एवं बाद में थोक गहनता (संगठित) सममूल्य पर था। 2010 के दौरान पैदावार के आंकड़ों (के एम टी एच) के संबंध में उपचारों के प्रभाव को महत्वपूर्ण नहीं पाया गया हालांकि सभी उपचारों से नियंत्रण पर उच्च पैदावार का अनुरक्षण किया गया। डीप होएड/फोर्क होएड के 10-15 से.मी. की गहराई पर बाढ़े या कतार के बीच खदाई की गई एवं मिट्टी के साथ मिलाकर 4 टन/हेक्टर वरमीकोंम्पोस्ट डालना एवं 25-30 से.मी. की गहराई पर कतार या बाढ़ के बीच खुदाई कर अर्ध सड़न स्तर सहित केचुए को डालकर नियंत्रण पर उच्च पैदावार का अनुरक्षण किया जाता है एवं बाकी उपचारों को किया जा सकता है। गुणात्मक जैव खाद्य को तैयार करने के लिए नई कार्यविधि (पी एवं माईक्रोबियल संवर्धित) का विकास गोबर के पतलों मसाला, रॉक फॉस्फेट एवं उर्वरक के प्रयोग द्वारा हुआ। 250-300 ग्राम प्रति पिट में पी संवर्धित वरमिन कॉम्पोस्ट का अनुप्रयोग पारम्परिक रोपण मिश्रण का व्यवहार्य विकल्प है एवं काफी सस्ता भी है। सहस्य चाय संपदाओं को वितरण के लिए इस तकनीकी पर एक मैनूअल बनाया गया है। वरमीबाश तरल खाद्य को तैयार करने की कार्यविधि को मानकीकृत किया गया था। चाय बागान से संग्रहीत विभिन्न बायोवेस्ट से उत्पादित वरमीवाश में पौध पोषण की पर्याप्त मत्रा है। वरमीवाश की फोलायर अनुप्रयोग (5-10%) नये एवं गैर छटाई की गई पलिरपक्व चाय की उत्पादकता व वृद्धि पर प्रभावी पाया गया है। यह आसानी से उत्पाद्य एवं पर्यावरण अनुकूल है एवं चाय मं फोलैयर अनुप्रयोग के लिए एक बेहतरीन तरल जैव खाद्य है। उच्च पैदावार के तरत विवरणिका सर्वेक्षण ने यह दर्शाया कि मृदा-गठन उत्खन्न प्रोफाइल की गहनता पर एकसमान रहा। चूंकि मृदा गठन सिल्ट लोम है 1.40 ग्रा/सीसी से अधिक थोक गहनता की आकृति उच्च दिखती है एवं संगठित सूचित होता है। 120 सेमी गहराई पर कोर्ड सक्त पैन नहीं दिखाई देता। जल स्थायित्व के आंकड़े 60 सेमी के पार कटौती दिखती है। गुणात्मक जैव खाद्य को तैयार करने वाली तकनीकी (संवर्धित/गैर संवर्धित वरमीकॉमपोस्ट) मानकीकृत किया गया। मिश्रित घास, ग्वातेमाला घास, एवं मीकानिया के लिए परिपक्वता एवं पोषक तत्व की दृष्टिकोण से वरमीकॉम्पोस्ट को तैयार करने के लिए यह अत्यंत उपयुक्त बायोवेस्ट है। रोपण के समय प्रति पिट 250-300 ग्राम वरमीकॉम्पोस्ट के अनुप्रयोग का प्रभाव नवीन चाय की वृद्धि परम्परागत रोपण पिट मिश्रण पर तुलनात्मक रूप से था अर्थात 4-5 कि.ग्राम प्रति हेक्टर पिट पर पशु खाद्य के साथ 30 ग्राम एसएसपी एवं 30 ग्राम रॉक फॉस्फेट विभिन्न बायोवेस्ट/उपलब्ध बायोवेस्ट से गुणात्मक वरमीकॉम्पोस्ट बनाने की कार्यविधि मानकीकृत की गई एवं विवरणीका बनाई गई। यह तकनीकी कई चाय संपदाओं में स्थानांतरित किया गया।

**6. क्षेत्रीय केन्द्रों एवं टोकलाई में गुणवत्ता परीक्षण कार्यशाला श्रृंखला की स्थापना एवं वर्तमान विश्लेषणात्मक क्षमताओं का सशक्तिकरण**

बराक घाटी को छोड़कर असम क्षेत्र से प्राप्त सीटीसी काली चाय के थियाफ्लावीन (टीएफ) तत्व एवं पॉलीफेनॉलिक तत्व का विश्लेषण तुलनीय है, बराक घाटी की काली चाय में न्यूनतम टीएफ मात्रा मौजूद है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा टीआर, टीएफ की मात्रा दार्जिलिंग चाय में न्यूनतम होता है क्योंकि इपीगैलोकेटेचिन गैलेट एवं अन्य कैटोचिन की मात्रा इसमें अधिकतम होती है अन्य क्षेत्रों के अर्थोडॉक्स चाय की तुलना में दार्जिलिंग चाय में कुल पॉलिफेनाल की मात्रा अधिक होती है। नार्थ बैंक की काली चाय में कम अणूभार वाले थेरूबिगिन (टीआरआई) की मात्रा अधिक पाई गई। ऊपर असम की काली चाय में थियाफ्लेविन 3.3"-डिगालेट अधिकतम है जिसके बाद उत्तर बैंक एवं दक्षिण बैंक हैस्सबम के अन्य तीन क्षेत्रों की अथोंडॉक्स चाय की तुलना में दार्जिलिंग चाय में कुल कैटेचिन, ईजीसीजी व ईसीजी अधिकतम है जो क्रमश: 7.59%, 3.99% एवं 2.11% की औसत स्तर पर है।

क्षेत्रों में दार्जिलिंग चाय में न्यूनतम टीएफ, कुल टीआर, कम अणुभार

वाले टीआर (टीआर 1) एवं उच्च अणुभार वाले टीआर (टीआर 2) है जिनका क्रमश औसत मूल्य 0.35%, 6.42%, 1.64% एवं 3.68% है। सभी क्षेत्रों के सामान्य की एफसी में एन हेक्सानॉल, टी-2 हेक्सानेल, लिनलूल, बेंजीन एसिटल्डीहाईड, 1, 2-बेंजीन डाईकार्बाक्सिलिक एसिड एवं बीस (2-मिथायल प्रोपाएल) इस्टर-2 हेक्सेन 1-01, लिनालूल ऑक्साईड, लिनालूल, होटरीएनोल, ट्रांसजेरानियोल एवं टेट्राटाईकान्टेन, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा दार्जिलिंग चाय में अधिक पाए जाते हैं।

यूएचपीएलसी का प्रयोग कर अमीनों एसिड की पद्धति का विश्लेषण मानकीकृत किया गया है। पद्धति को मानते हुए काली चाय के 43 नमूने विश्लेषित किए गए है। काली चाय घटकों के निकाले हुए अवशेषों के तकनीकका प्रयोग सौंदर्य सामग्री एवं स्वास्थ्य उपयोगी उत्पादों में करने के लिए तकनीक को विकसित करने की प्रक्रिया जारी है।

**7. चाय से द्वितीयक श्रेणी के खाद्य ग्रेड मेदाबोलाईटस के संग्रह हेतु प्रणालियों का विकास एवं वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु इस प्रणाली का उन्नयन**

घुलनशील चाय की तैयारी, सान्द्रता, संग्रह की अत्याधुनिक पद्धति मानकीकृत किया गया। विभिन्न एडीटिव्स के प्रयोग द्वारा मूल्य वर्धित सुखा काली व हरी चाय का चूर्ण बनाया जाता है। चाय टेबलेट टेबलेटिंग मशीन में 300 टैब प्रति घंटा पाया जाता है तीन भिन्न आकार के टैबलेट बनाने की कोशिश भी की गई है। विभिन्न एडीटिव्स का प्रयोग कर टैबलेटों की मूल्य वर्धित की गई। वाणिज्यिक विश्लेषणों के लिए हजार से अधिक चाय टैबलेट बनाए गए।

थियाफ्लेविन, थेरूबीगीन, कैरोटेनायड व फ्लावोनोल आदि जैसे काली चाय पिगमेंट को निकालने की पद्धति का प्रयोग प्राकृतिक चाय रंग के रूप में एससी–एफई के प्रयोग को मानकीकृत किया गया। एस-सीएफई के प्रयोग द्वारा विभिन्न चाय के रंग निकाला जाता है। विभिन्न चाय रंग के समावेश से विविध प्रकार के उत्पाद जैसे टैबलेट, चाय आईसक्रीम, चाय सॉफ्ट ड्रींक चाय की मिठाईयां भी बनती है। सुगंधित इन्सटैंट चाय की तैयारी के लिए तकनीक विकसित किया गया है। हेडोनीक स्केल व चाय टेस्टर द्वारा स्वादयुक्त इन्सटैंट चाय का गुणात्मक विश्लेषण किया गया था।

**8. चाय शूटस के प्रक्रमण के दौरान अणविक नीव का बायोकेमिकल बदलाव से जोरदार संबंध और तैयार चाय की गुणवत्ता से उसका संबंध।**

पत्तों के तापमान में वृद्धि के साथ विदरिंग पीपीओ गतिविधि में गिरावट आई जबकि पेरोक्सीडेस गतिविधि में सुधार आया। तापमान में वृद्धि के साथ पीपीओ गतिविधि में गिरावट की कटौती विदरिंग के प्रारंभिक घंटों में नमी में कमी को रोककर किया जा सकता है। विदरिंग के दौरान 25°C की तुलना में 35°C पर कैटेचीन की मात्रा में बड़े पैमाने पर हानि हुई। प्रारंभिक समय में नमी की कमी को रोककर कैटेचीन की हानि को समाया जा सकता है। 25°C से 35°C पर खमीरीकरण तापमान में बदलाव के कारण गैलोकैटेचीन ऑक्सीडेशन के प्रारंभिक 30 मिनटों में खमीरीकरण के समय में 70 से 90 प्रतिशत बदलाव जाता है। खमीरीकरण का तापमान कल्टीवर विशेष पाया गया। जैसे 25°C पर टीवी 1 एवं टी. 3ई/3 बेहतर परिणाम देती है जबकि टीवी 26 के लिए 30°C है तापमान में वृद्धि के साथ पीपीओ गतिविधि में गिरावट कैटेचीन मात्रा व थियाफ्लेवीन डिगालेट के समरूप काली चाय है। विदरिंग तापमान में वृद्धि द्वारा भी निम्न आणविक वजन टीआर का निर्माण प्रभावित हेता है। खमीरीकरण के दौरान टीएफ व टी आर बनावट के साथ ही एंजाईम गतिविधियों में बदलाव का संबंध विदर लीफ में नमी की मात्रा से है।

70 प्रतिशत विदर लीफ की तुलना में S3ए/3 नमी की मात्रा पर बेहतरीन गुणवत्ता की चाय उत्पादित करती है जबकि टीवी 9 के लिए यह 70 प्रतिशत से न्यून है। सीटीसी कट की कोटी में वृद्धि से टीएफ वस्तु में कमी हेती है जबकि टीआर मात्रा में वृद्धि होती है।

**9. उत्तर बंगाल भारत के चाय रोपणों में चाय कीट एवं ब्लीस्टर ब्लाईट रोग की रोकथाम के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का विकास**

उपासी से प्राप्त सेमिओरसायनों के दस लेंडो को प्रयोगशाला में वाई ट्यूब ओलफैक्टोमीटर के प्रयोग द्वारा विश्लेषित किया गया एवं ब्लेंड नं. 6 के प्रति नर हेलोपेल्टीस थियावोरा की ओर प्रतिक्रिया दर्शायी है। मादा हेलोपेल्टीस से फरमोन कम्पाउंड की वोलाटाइल उद्धरण पोरापाक क्यू सहित किया गया। नमूनों का जीसीएमएस विश्लेषण सी-टेक पर्यावरण प्रयोगशाला, चेन्नई से आउट सीर्स किया गया। आस्थागिरि दर्बल अनुसंधान संस्थान, चेन्नई पर फरोमोन विशेष के सहयोग में फरोमोन कम्पाऊंड का विश्लेषण किया गया एवं प्रयोगशाला स्थिति के तहत परीक्षण किया गया। स्टीकी ट्रैपों का प्रयोग कर मैदानी परीक्षण के लिए धीमी निर्मोचन डिस्पेंसर की तैयारी (कम्पाऊंड के साथ पूरित) भी पूरा किया गया। चाय रीजोस्फीयर मृदा से पांच माइक्रोबीयल स्ट्रेन एवं उनके कनसोरटियम को अलग रखा गया एवं ब्लीस्टर ब्लाईट के समक्ष उनका परीक्षण किया गया। संक्रमित शूटस की संख्या में क्रमशः 57 प्रतिशत से 52.9 प्रतिशत तक ब्लीस्टर के विकास को नियंत्रित करने में एसपरगीलस नीजर का प्रभाव परिणामों में दर्शाया गया है। विभिन्न फंगल प्रजातियों का सामना हेलोपेल्टिस की माइकोफ्लोरा की सतह के साथ हुआ। प्रयोगशाला की स्तिक्नित के तहत ईलोपेल्टिस के समक्ष पैथोजेनेसीटी परीक्षण पर पृथकों में एसपरगीलस एसपी, क्लैडोसपोरियम एसपी, अल्टरनारिया एसपी एवं एक गुलाबी ईस्ट है। विभिन्न एनटोमोपैथोजेनिक कंगास की प्रभावोत्पादकता को हेलोपेल्टिस थेईवोरा के गड एवं सतह से पृथक कर प्रयोगशाला में अध्ययन किया गया। जल भरे ग्लास ट्यूब में फिट किए गए चाय शूट्स पर स्पोर ससपेन्शन का छिड़काव किया गया एवं उसे एक ग्लास चीमनी

के भीतर रखा गया ताकि उसकी नमी का रखरखाव किया जा सके। चिमनी में लेटर हेलोपेल्टिस छोड़ा गया एवं फिडिंग व मरणशीलता दर का रेकार्ड अध्ययन किया गया।

विभिन्न स्पोर कनसेन्ट्रेशन (100%, 50%, 10%, 5%, 1% एवं 0.1%) को नियंत्रण के सेट के साथ उपचार के रूप में अनुप्रयुक्त किया गया। पोलानीसिया उच्चतम कनसेनट्रेशन परीक्षण पर 72 घंटे के उपचार के उपरांत पोलानीसिया इकोसांडरा के एसीटोन व मेथानोल एक्सट्रैक्ट ने अधिकतम 82.0 का रिकार्ड एवं –77.4 प्रतिशत की कमी फीडिंग स्पॉट में है। 72 घंटे के उपचार के उपरांत पी. हातिल्टोनी एवं पी. वीवीपैरम के पेट्रोलियम इथर एक्सट्रैक्ट ने क्रमशः 69.2–81.5 प्रतिशत व 60.4–80 प्रतिशत की कमी फीडिंग स्पॉट में की। 21 देसी पौधे एस.पी. का विश्लेषण चाय मच्छर कीड़े के समक्ष विश्लेषित किया गया जिसमें से छह एक्यूअस, पेट्रोलियम इथर, मैदान में एसीटोन व मेथानोल एक्सट्रैक्ट सहित अधिक प्रभावी पाया गया।

10. **कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना**

प्रयोगशाला की व्यवस्था समाप्त हो गई है। क्रियाविधि पुस्तिका एवं एसओपीएस समाप्त हो चुका है। चाय उद्योग को सेवाओं के बारे में परिपत्र (अनुलग्नक-II) द्वारा सूचित किया जा चुका है एवं उद्योग से प्राप्त 52 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। 6 प्रत्यायित व अभिनिर्देश प्रयोगशालाओं सहित परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की आंतरिक तुलना का प्रारंभ किया गया। दिसम्बर, 2011 में ISO/IEC 17025 : 2005 मानक के तहत प्रत्यायन के लिए एनएबीएल को आवेदन दिया है, जीसी-एमएस/एमएस एवं एलसी-एमएस/एमएस द्वारा 65 कीटनाशकों के लिए कैलिबरेशन के आंकड़े उत्पन्न किए गए हैं।

11. **वजनदार धातुओं पर अध्ययन–चरण–II**

आरसनिक की मात्रा के लिए 65 तैयार चाव के नमूनों का विश्लेषण किया गया। औसत क्रोमियम की मात्रा 9.04 मि.ग्रा/कि.ग्रा. थी एवं 0.3 से 35.3 मि.ग्रा./कि.ग्रा. की श्रेणी में था 5 से 10 मि.ग्रा./कि.ग्रा. श्रेणी की अधिकतम फ्रीक्वेंसी में उपलब्ध है। 0.001 से 0.405 की श्रेणी में आरसनिक की मात्रा पायी गई जिसका औसत 0.11 मि.ग्रा./कि.ग्रा. था। दार्जिलिंग डुआर्स एवं तराई से कुल 32 तैयार नमूनों को क्रोमियम व आरसनिक विश्लेषण के लिए संग्रहित किया गया। कुल 30 मृदा के नमूने प्रकमित किए गए एवं उन पर विश्लेषण अभी भी जारी है। असम व डुआर्स में स्थापित 40 चाय संपदाओं से पानी के नमूने संग्रहित किए गए एवं 92 नमूनों का निरीक्षण आरसनिक की मात्रा के लिए किया गया। उत्तर-पूर्वी भारत के विभिन्न चाय उत्पादन क्षेत्रों से अतिरिक्त बागानों का चयन चाय के ताजा नमूनों एवं बागानों में प्रयुक्त इनपुटों का संग्रह संक्रमण के संभव स्रोतों की पहचान के लिए गिया गया। कुल 50 जैव खाद्य के नमूने संग्रहित किए गए एवं विश्लेषण के लिए 15 नमूनों का संग्रह किया गया। काम अभी जारी है।

12. **स्टेबल गुणवत्ता जिनोटाइप्स के विकास हेतु बॉयोटिक एवं एबॉयोटिक स्ट्रेस विश्लेषण**

जलजमाव स्ट्रेस के जेनोटाइप सहनशीलता/ सुग्राहिता एवं हेलोपेल्टिस कीड़ों का आक्रमण पहचाना गया। जलजमाव स्ट्रेस के लिए पौधों की सामग्री का चयन डीबीटी परियोजना में किया गया। बीटीजीआर को सहनशील रूप में एवं टीवी 1 को सुग्राहित के रूप में लेकर आणविक विश्लेषण के लिए छह विभिन्न जर्मपलासम के साथ द्रायल किया गया। 45 दिनों के लिए जलजमाव स्ट्रेस उत्पेरित किया गया एवं 15 दिनों के अन्तराल में आणविक विश्लेषण के लिए जल दक्षता व टिशू के आंकड़े लिए गए। बौयोटिक स्ट्रेस के तहत (हेलोपेल्टिस कीड़े का आक्रमण) परिवर्तनशीलता के अध्ययन के लिए दस विभिन्न जर्मपलासम लिया गया। नियमित अन्तराल( 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन व 2 दिन) में सैम्पलिंग व नियमित अध्ययन किया गया। पौधों की सामग्री का चयन सहनशील (111/1) व सुग्राहित (टीवी 1) के रूप में लिया गया। जलजमाव स्ट्रेस व हेलोपेल्टिस स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस सम्बंधी सबब्रैक्टीव सीडीएनए पुस्तकालयों के निर्माण का प्रयोग कर ट्रांसक्रिप्ट विश्लेषण पूरा किया गया। जलजमाव स्ट्रेस सम्बंधी एसएसआर मारकरों को विकसित किया गया है।

**उत्तर बंगाल क्षेत्रीय अनुसंधान व विकास केन्द्र, चाज अनुसंधान संध, नागराकाटा**

**13. उत्तर बंगाल में चाय की वर्तमान कीट समस्या और उसके संभावित प्रबंधन अध्ययन**

परिवर्तित प्रकाश दिवस ट्रैप द्वारा लेपीडोपटेशन कीटों के मौसमी वितरण पर ट्रायल दो वर्षों में समाप्त किया गया। विभिन्न लेपीडोपटेरान कीटो में, जैसे लुपर कैटरपीलर्स, रेड स्लग, हेयरी कैटरपीलर, एच. टालाका प्रबल प्रजाति पाए गए। मौसम के प्रारंभिक भाग के दौरान यह उच्चतम था जिसके बाद मानसून के समय अवसाद रहता है एवं वसंत के मौसम में थोड़ा चढ़ाव रहता है। नमम्बर-अप्रैल के दौरान लुपर प्रबंधन पर जोर डालने में इनका अत्याधिक महत्व है। चाय के पौधों के ऊपरी हिस्से के विभाजन द्वारा चाय के यूपी, डीएस व एलपी सेक्सनों में लुपर के प्यूपेशन पर मैदानी अध्ययन किया गया। अध्ययनों से यह पता चलता है कि कुल संग्रहित क्राईसालिड में से यूपी, डीएस व एलपी सेक्शनों में क्रमशः 48 प्रतिशत, 28 प्रतिशत व 23 प्रतिशत थे जो यह सूचित करते हैं कि कीड़ों का आक्रमण बिना छँटाई की स्थिति में अधिक था। लाल स्लग के प्राकृतिक दुश्मनों पर अध्ययन से यह पता चलता है कि टेकिनीड फ्लाई द्वारा मैदानों के पैरासाईटाईसेशन ने पुपेई का संग्रह अब उन्नति पर है। मैदानों में कीडे लगने में एक ब्राकोनीड पाया गया जिससे 1.08 प्रतिशत तक लाल स्लग कैटरपीलर संग्रहित किए गए। प्रति पैरासटाइज कैटरपीलर पर औसत (N = 7) 21.47 पर प्रौढ़ ब्रकोनीड वाष्प पाया गया। अध्ययन पर काम जारी है। लाल स्लग कैटरपीलरों से संग्रहित मैदानों पर एक फुसारियम

एसपी द्वारा संक्रमण देखा गया। प्रयोगशाला में फंगस को परिष्कृत किया गया एवं भविष्य के अध्ययन के लिए संभाल कर रखा गया। प्रयोगशाला में, हाड़पोसीड्रा एसपी के अंडो पर क्राईसोपेरला के लार्वा की फीडिंग दक्षता की श्रेणी 63.15 प्रतिशत–100 प्रतिशत पाया गया यह 15 दिनों में एक लार्वा द्वारा था। सामान्य तौर पर उपलब्ध वनस्पतिक जल शेष के समक्ष प्रयोगशाला में लाल स्पाईडर माईट अधिक प्रभाड़ी पाया गया। इस पर मैदानी स्तर पर कार्य निकट भविष्य में किया जा रहा है।

**14. लागत प्रभावी रूप में सिंचाई सूची को मद्देनजर रखते हुए मृदा लक्षणों शरीर विज्ञान व पैदावार से संबंधी हुआर्स व तराई के चाय क्षेत्रों में सूखा पर**

डुआर्स में आंकड़ों से यह पता चलता है कि अक्टूबर-मार्च में प्राप्त बारिश में काफी अन्तर पाया गया है। 1983-84, 1994-95, 1998-99, 2008-09 आदि की अवधि के दौरान यह प्रभावपूर्ण रूप में न्यून (करीब 200 एमएम) था। अतः क्षेत्र में सिंचाई एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है। अक्टूबर-मार्च, 2010-2011 के दौरान मौसम विज्ञान सम्बंधी आंकड़ों के विश्लेषण ने बरसात में महत्वपूर्ण कमी नजर आई। सिंचाई पर फसल के प्रभाव के अध्ययन के लक्ष्य के साथ, पौधों शरीर विज्ञानी पैरामीटरों का निरीक्षण 2011 के दौरान विभिन्न सिंचाई उपचारों के तहत किया गया। 2010-2011 के दौरान निरीक्षण यह दर्शाते हैं कि 30 दिनों के अन्तराल पर 50 एमएम सिंचाई उच्च जल प्रयोग दक्षता व उच्च पैदावार के लिए वरीय है। 2010-201 के दौरान विभिन्न प्रभावपूर्ण सिंचाई उपचारों के बाद मृदा नमी स्थिति निर्धारित किया गया। मृदा की नमी में सिंचाई में बढ़ते अन्तराल के साथ गिरावट आई। उपचारों में मृदा नमी में अन्तर महत्वपूर्ण नहीं था। अन्य शरीर विज्ञानी पैरामीटरों के साथ मृदा नमी का सम्बंध विश्लेषित किया गया। परिणाम यह बताते है कि मृदा नमी, स्टोमाटल कंडक्टीविटी, प्रस्वेदन दर एवं पैदावार प्रभावपूर्ण रूप से संबंधित है।

**15. हरी चाय विनिर्माण व सीटीसी के संबंध में चाय प्रक्रमण के जैव रसायनिक पहलुओं पर अध्ययन**

एवी 2, बी 157, टी 383,meve 1, टी 78, पी 1258, बी 668, आरओएच 1, पी 312, टीनाली 17, के 1/1, बी 777, आर 17/144, जीओ चीन, टी वैली 1, आरओएच 2, आरओएच 3 जैसे कटलीवरों से प्रक्रमित रही चायों को जैव रसायनिक पैरामीटर जैसे नमी क मात्रा, धुलनशील ठोस, कैफीन की मात्रा व कुल पॉलीफेनाल को वाष्पीकरण व पैनिंग पद्धति द्वारा विश्लेषित किया गया है। पैरामीचरों में महत्वपूर्ण गुणता वैभिन्नय जैसे टीएसएस व कुल पॉलीफेनाल को क्लोनों के बीच विनिर्माण प्रक्रमणों के तहत देखा गया। एवी 2, बी 157, टी 383, सीवी 1, टी 78, पी 312 एवं टीन 17 की हरी चाय के लिए एचपीएलसी द्वारा कैटेचीन प्रोफाइलिंग समाप्त किया गया। यह देखा गया कि + सी, ईजीसीजी एवं ईसीजी पैनिंग प्रक्रमित चायों में अधिक है जबकि ईजीसी एवं ईसी वाष्प प्रक्रमित चायों में अधिक है। कुल पॉलीफेनाल का प्राक्कलन छोटे कारखानों में दस सामज्ञनय तौर पर प्रयोग किए जाने वाले प्रकारों जैसे टीवी 1, टीवी 9, तीनाली 17, टीवी 20, टीवी 25, टीवी 26, एसटी 462, एसटी 463, एसटी 491, एसटी 520 को वाष्पीकरण द्वारा विर्निमित रही चाय से किया गया थीआ। तीन भिन्न वाष्पीकरण समयों को प्रत्येक कल्टीवेटर से विनिर्मित हरी चाय के लिए अपनाया गया। यह देखा गया कि सभी कल्टीवरों के लिए वाष्पीकरण समय टी 2 में पॉलीफेनाल मात्रा उच्चतम है। ये सभी खोज यह हरी चाय के विनिर्माण में वाष्पीकरण अवधि के महत्व को सूचित करते हैं।

विभिन्न खमीरीकरण पद्धति पर प्रयोग किए गए एवं नियंत्रित स्थिति के तहत चार कल्टीवरों के लिए विभिन्न गुणता पैरामीटरों को पर्यावरण नियंत्रित विनिर्माण इकाई (इसीएम) द्वारा विश्लेषित किया गया। यह देखा गया कि खमरीकरण अवधि एक२ (55-60 मिनट) में एक 1 (45-55 मिनट) एवं एफ 3 (65-70 मिनट) की तुलना में बेहतरीन गुणता के तत्व है। टामुली ईटीएएल (2005) की प्रारंभिक खोजों के बाद क्रमशः तीनाली 17, एसटी 520 एवं टीवी 1 के अनुरूप टीवी 23 में थियाफ्लेवीन (टी एफ) की मात्रा उच्चतम है। दुसरे प्रयोग में दो भिन्न रोलिंग अवधि दो खमीरीकरण अवधि के साथ मिलाकर परीक्षण किया गया। टीवी 1, टीवी 23, टीन 17, एसटी 520 एवं टीवी 9 कल्टीवरों सहित इ मिश्रणों से तैयार चाय उत्पादित किया गया। आर 2 एफ 1 में बेहतरीन गुणता के पैरामीटर देखा गया जिसके बाद आर१ एफ 2 था।

**जेनेटीक इंजीनियरिंग व जैव तकनीक हेतु डॉ. बीसी. गुहा सेन्टर, कोलकाता विश्वविद्यालय**

**16. उच्च सामर्थ्य चाय टैबलेट के सूत्रीकरण हेतु एमफीसीमेटस पर लेग हानि पर चाय फ्लेवीनॉएडस की परिवर्तनशाली भूमिका तथा चाय उत्पाद के स्वास्थ्यकारी लाभ के प्रभाव का मूल्यांकन।**

हमारे पशु मॉडल अध्ययन के परिणाम ने आक्सीक क्षति पर काली चाय टैबलेट के हिफाजती भूमिका को स्पष्टतः स्थापित किया। तो भी यह प्रायोगिक आंकड़ा से विलकुल स्पष्ट है कि काली चाय टैबलेटस से निवारक किया बहुत ही आंशिक था जो सिगरेट धुमपान (सीएस) जरा सहित ऑक्सीजन विषाक्तता जैसे आंक्सीक महत्व बढ़ाने के लिए आरक्षित विषयों हेतु पूर्ण प्रर्याप्त नहीं है। हमारे ऑकड़ा बढ़ते अविषाक्तता के मात्रात्मकता और गुणवत्ता दोनों क्षेत्रों को दर्शाता है। अतः अधिकांश जैव अमोहक और जैव सुलभ चाय अविषाक्तता घटक से बना एक उच्च सामर्थ्य चाय टैबलेट उपयोग करते हुए हम ऐसे आक्सीक क्षति पर उच्च स्तरीय सुरक्षा का निष्पादन प्रतीत कर सकते हैं। रक्त और अंग में काली चाय पोलीफेनल का जैव सुगमता चिह्न की पहचान किया गया है। काली चाय टैबलेटस पीबीक्यू उत्प्रेरित लंग क्षति जाँच पर महत्वपूर्ण हिफाजती दर्शाता है कि काली चाय घटक इमफीसमेटस

लंग क्षति उत्प्रेरित सिगरेट धुम में निहित क्षतिक घटक के प्रत्याक्रमण योग्य था। यह यथार्थ अधिक प्रभावी चाय घटक के निर्धारण को निहित करता है जो एमफीसमेटस लंग क्षति के दौरान पी–बेंजोक्वीनोन धुमपान के मुख्य हानिकारक तत्व को निष्प्रभावी कर परस्परता दिखा सकता है। खून एवं अंगों में काली चाय पॉलीफेनाल की जैव उपलब्धता सूची निर्धारित किया गया है।

**भारतीय तकनीकी संस्थान, खड़गपुर**

**17. चाय के विदरिंग, मैसरेशन, रोलिंग, खमीरीकरण व सूखेकरण में प्रक्रमण पैरामीटरों का मानकीकरण**

अर्थोडॉक्स व सीटीसी चाय में विदरिंग समय को कमाने के लिए विदरिंग ट्रफ का विकास किया गया। रूपांकन के अनुसार, घुमावदार विदरिंग ट्रफ फैबरीकेट व स्तापित किया गया। यह ट्रफ क्षेत्र स्वअनुकूलित समस्तरीय ट्रफ के दो ट्रफ खंड के समतुल्य है। इस ट्रफ में विदरिंग फ्लोर का फायदा होता है रूढ़िगत रूपांकन का 2/3 बचता है। प्रारंभिक जाँचों के दौरान स्वअनुकूलित विदरिंग ट्रफ की तुलना में इस ट्रफ में तीव्र नमी की हानि देखा गया। वृत्ताकार व स्वअनुकूलित ट्रफों में फैन का प्रयोग करके एवं बगैर किए आगे का अध्ययन आयोजित किया जाएगा।

एकल कटा हुआ मैसीरेशन उपकरण का प्रोयोगिक ढाँचा (समसगस्तरीय, झुका हुआ अथवा उर्ध्व) परिवर्ती कारको के प्रक्रमण के अध्ययन के लिए अभी विकासरत है। टोर्क सेन्सर, कुपलिंग, रोटारी एनकोडर एवं 10 एचपी मोटर एक फ्रेम स्थापित किए गए एवं डाटा अक्वेजीशन प्रणाली स्थापित की गई। प्रायोगिक रूपांकन के अनुसार परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के रोटर ब्लेड निर्माण के तहत है एकसमान फीडिंग प्रणाली का निर्माण विकासाधीन है। तैयार चाय के भौतिक विशिष्टता (आकार) का निर्धारण इस इकाई से उत्पादित तैयार चाय के विभिन्न ग्रेडों के कणों का फ्रैक्टल आयाम के परिमापन द्वारा किया गया। फ्रैक्टल आयाम पत्तों की स्वास्थता, विदरिंग की डिग्री एवं मशीन पैरामीटरों के प्रकग्रमण पर निर्भर करता है। तैयार चाय की रसायनिक विशेषता भी किया गया था (विद्यमान संस्थान बागान से पतों की कटाई की जाती है।)

एक समस्तरीय मैसीरेशन मशीन (क्षमता 100 किग्रा/हे.) का रूपांकन किया गया है एवं निर्माणाधीन है। विभिन्न हिस्सों को दो महीने के भीतर एकत्रित किया जाएगा एवं उसके बाद मशीन परीक्षण किया जाएगा। मुख्य मैसीरेशन उपकरण प्रति घंटे 450 कि.ग्रा. की आउटपुट क्षमता का परिमापन किया जाएगा। गियर हॉबिंग पद्धति का प्रयोग कर अल्यूमिनियम ब्लैंक पर रोलर प्रोफाइल सफलतापूर्वक काटा गया। और प्रस्तावित पद्धति की उपयुक्ता एक रोलर पर मापी जाएगी जिसके व्यास को कई पुर्नआकारित कर घटाया गया है, यह काम जारी है। क्रोमियम कोटिंग पर ट्रायल नई विकसित मैसीटेशन ट्रायल मशीन में विभिन्न प्रकार के रोटर कोटिंग ब्लेडों पर अनुप्रयुक्त किया जाएगा। और क्रोनियम कोट किए हुए माइल्ड स्टील रोटर ब्लेड बनाम माईल्ड स्टील के बीच एक तुलना की जाएगी।

समान बेल्ट चाय रोलर में विदर्ड पत्तों की रोलिंग पर प्रयोग किए गए है। इस उपकरण का प्रेशन प्लेट तीन मागों में विभाजित किया गया है ताकि बेहतरीन रोलिंग के लिए विविध प्रेशर प्रदान किया जा सके। प्रयोग के दौरान यह पाया गया कि चाय के पत्ते रोल हो रहे थे लेकिन आंशिक रूप से टूटे हुए थे। इस समस्या से निपटने के लिए माइल्ड स्टील प्रेशर प्लेटो को वाटर प्रुफ लकड़ी के प्लाई से बदल दिया गया है। अधिक तोड़मोड़ के बिना चाव के पत्तों को संतुष्टि से रोल किया गया। चाय रोलर का डिस्क प्रकार निर्माणाधीन है। विभिन्न तापमानों (20, 25, 30, 35 डिग्री सेल्सियस) पर टीवी 25 के विदर्ड मैसीरेटेड पत्तों के खमीरीकरण पर प्रयोग दो मिनट के अंतरल से दो घंटे के अंतराल तक लिए गए नमूनों पर किया गया। नमूनों से विभिन्न जैव रसायन तत्वों का विश्लेषण किया गया। विभिन्न तत्व जैसे कैटेचीन, कैफीन, टीएफ एवं उसकै मानों व डाई–गैलेट विभिन्न समय अंतराल पर लिए गए नमूनों एचपीएलसी का प्रयोग कर किया गया था। परिणाम यह दर्शाते है कि कैटेचीनों की अवनति दर 30 डिग्री सेल्सियस वायु तापमान से उच्च है। 30 डिग्री सेल्सियस पर 40 मिनट के भीतर कुल टीएफ (टीएफ, टीएफ 3 एमजी, टीएफ 3 एमजी, टीएफ 33 डीजी) निर्माण उच्च था। प्रायोगिक आँकड़ों ने वायु तापमान को अच्छा किया एवं खमीरीकरण अवधि भी प्राप्त किया जाएगा। भविष्य में एक औद्योगिक स्केल बहुमुखी वायु तापमान नमी नियंत्रक का रूपांकन किया जाएगा।

आरएक ड्रायर की स्थापना पुरी हो गई है। ईसीपी एवं आरएक ड्रायर का प्रयोग कर चाय की हाईब्रीड ड्रायींग की गई। खमीर सीटीसी पत्तों में नमी की मात्रा 30 प्रतिशत (डब्लूबी) से करीब 3 प्रतिशत तक आरएफ ड्रायर का प्रयोग इसीपी ड्रायर में प्रारंभिक ड्रायिंग पूरा कर कम कर दिया गया।१० से.मी. पर बेड की मोटाई एक समान रखा गया। मिश्रित बेड एवं एकमान बेड सहित पत्तों के आरएफ ड्रायिंग के दौरान नमी में कमी का अध्ययन किया गया।

तीन ड्रायरों अर्थात ईसीपी ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एवं रेडियों फ्रीक्वेंसी ड्रायर का तुलनात्मक अध्ययन ड्रायिंग वर्क, लिकर रंग एवं सुगंध सूची मूल्यों पर किया गया था। ईसीपी के लिए सुगंध सूची मूल्य, वैक्यूम एवं आरएक द्वारा सूखे चाय नमूने क्रमशः 7.2, 16.0 एवं 11.9 थे। विविध ऊर्जा अर्थात 16 कि.वा. एवं 20 कि.वा. द्वारा आरएफ ड्रायिंग में प्रयोग किए गए एवं कुल सूखेपन की अवधि रंग में बदलाव एवं सूखे चाय नमूनों के सुगंध का मॉनीटर किया गया। जब ऊर्जा 16 कि.वा. पर स्थायी किया गया तब नमूनों का रंग एवं सुगंध बेहतर था।

**डीटीआरडीसी, (टी बोर्ड,) कर्सियांग, पश्चिम बंगाल एवं यूबीकेवी,**

**पुंडीबारी, कुचबिहार, पश्चिम बंगाल**

**18. उत्तर बंगाल में एसिड मृदाओं में चाय हेतु फॉस्फेट सॉल्यूबिलाईजिंग जैव उर्वरक (कैमिलिया साईनेसि एल) का विकास**

दार्जिलिंग व डुआर्स के विभिन्न चाय बागानों से फॉस्फेट सॉल्यूबिलाईजिंग जीवाणु का पृथक्करण व शुद्धिकरण समाप्त हो गया है। 131 मृदा नमूनों से कुल 455 कल्चरों को पृथक किया गया था। प्रयोगशाला स्थिति के तहत 41 जीवाणु कल्चरों के लिए तरल कलचर में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट रॉक फॉस्फेट, अल्यूमिनियम फॉस्फेट व फेरीक फॉस्फेट पुरा हो चुका है। स्क्रीनिंग कार्यक्रम 5.10 एवं 15 दिनों की सेनाई के बाद घुलनशील क्षमता पर निर्भर करता है। सभी कल्चरों (पी एस बी) का परीक्षण आई ए ए उत्पादित क्षमता के लिए किया गया परन्तु कोई भी कल्चर ट्राईपटोफन अमेन्डेड मीडिया में आईएए उत्पादित नहीं करता। फॉस्फेट सॉल्यूबलाईजिंग जीवाणु के साथ जैव उर्वरक के विकास पर काम चल रहा है जो दार्जिलिंग चाय बागान में अच्छी तरह काम कर सकता है एवं पहाड़ों के निम्न मृदा तापमान को देखते हुए सभी दक्ष बैक्टियिल आईसोलैट्स (ग्यारह आईसोलेट्स) प्रयोगशाला स्थिति के तहत भिन्न रोपण तापमान पर उनकी वृद्धि निष्पादन निर्धारित की गई निम्न पीएच (4.0) पर फॉस्फेट सॉल्यूबलाईजिंग माइक्रोआर्गेनिजम की वृद्धि ए 1 संकेन्द्रन के विभिन्न स्तरों एवं डेसीकेशन के विभिन्न स्तरों (पॉलिईथाईलीन ग्लाईकोल 600) का अध्ययन विपरित स्थिति के तहत उनकी उतरजीविता का निर्धारण किया गया। विविध कार्बोहाइड्रेटो के प्रयोग द्वारा चुने हुए फॉस्फेट सॉल्युबलाईजिंग जीवाणु भी किए गए।

**19. पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में चाय (कैमिलिया साईनेसिस एल) के एसिड मृदा में जैव पदार्थ का नाइट्रोजन खनिजकरण**

पोषको (एन. पी.के. माइक्रोन्यूट्रीअन्ट) के लिए डाटा वेस विकसित किया गया है एवं विभिन्न स्त्रोतों से संग्रहित भारी धातु मात्रा के जैव पदार्थों का विश्लेषण किया गया। जैव पदार्थों के हुबी खमीरीकरण का अध्ययन (मछली के खाद्य, नीम केक, सरसों के केक एवं करांजा केक) तल जैव अर्वरक के रूप में प्रयोग की समाप्ति हो गई है। अम्लीय चाय मृदाओं में 15 विभिन्न जैवों से एन मीनरलाइजेशन के अध्ययन पर प्रयोग किए गए है। साप्ताहिक अन्तराल में 91 दिनों तक नाइट्रोजन रिलिज का परिमापन किया गया। वह देखा गया कि मछली खाद्य, मांस व हड्डी खाद्य, सोयाबीन केक, तेल निकाली हुई सरसों के केक, बादाम केक, तील केक, करांजा केक जैसे जैव पदार्थों से एरोबिक नाईट्रोजन मिनरलाइजेशन ऊंचा था। नीम केक, महुआ केक, कोपरा केक सहित उपचारित मृदाओं में नाइट्रोजन मिनरलाईजेशन निम्न था एवं स्टेबीलाईजड जैव पदार्थ जैसे फार्म यार्ड उर्वरक, बरमी कमपोस्ट एवं पोल्ट्री उर्वरक। दार्जिलिंग चाय के लिए दो जैव उर्वरक सुत्रिकरण न्यूट्रिवंट मात्रा (एन, पी व के) के साथ विभिन्न जैवो का मिनराईजेबल एन एवं सी मिनराईजेशन विकसित किया गया।

**20. भारतीय चाय के परिमेय भौतिक मानको का कापर्स सृजन (सी डैक परियोजना)**

काली चाय के एजिंग अध्ययन पर अनुसंधान पुरा हो चुका है एवं उपर्युक्त विश्लेषण पर रिपोर्ट एकत्रित किया गया है। टीएफटीआर विश्लेषण सहित ई-विजन डाटा की परस्परता का निष्पादन किया गया। टीएफ/टीआर विश्लेषण सहित ई-नोज व ई-टंग की परस्परता का निष्पादन किया गया। विभिन्न लिकर, इनफ्यूशन, रूप, चाय ग्रेडो आदि के लिए चित्र डाटाबेस, सुगंध व स्वाद डाटाबेस भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में चाय उत्पादन के लिए तैयार किया गया है।

**विनियामक मुद्दे व प्रौद्योगिकी समर्थन**

टी बोर्ड अनुसंधान निदेशालय चाय के विनियामक मुद्दों को देखता रहा है। जिसमें एम आर एल निर्धारण, कीटनाशी अवशेष समस्या का समाधान, लौह, फिलिंग, प्रकृति समरूप स्वाद तथा त्वरित चाय के मानकों का निर्धारण इत्यादि। आवश्यक तकनीकी समर्थन को परिपत्र/सूचना इत्यादि के रूप में चाय उत्पादक संघ, चाय निर्यात संघ तथा चाय व्यवसायी संघ को प्रदान करता है जिसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व चाय अनुसंधान प्रयोगशालाओं से संग्रहण/कोलाटिंग आंकड़ों से यूचना प्राप्त करता रहा है। टी बोर्ड ने विभिन्न राष्ट्रीय (पी एफ ए, बी आई एस, शैडो समिति इत्यादि) व अन्तर्राष्ट्रीय (कोडेक्स, आईएसओ इत्यादि) बैठकों में उपस्थित होता रहा है तथा अद्यतन सूचना/विनियमन के अद्यतकरण हेतु भागीदारी करता रहा है तथा दोनों उद्योग व सरकार के चिन्ताओं का प्रतिनिधित्व करता रहा है। एफएसएसआर, 2011 पर कार्यशाला चाय उद्योग हेतु आयोजित किया गया।

**प्रबंधन परिषद/ट्रस्टी बोर्ड/वैज्ञानिक सलाहकारी समितियों में भागीदारी**

चाय उद्योग के सभी स्टेक होल्डरों के लाभार्थ हेतु टी बोर्ड के अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों नें विभिन्न अनुसंधान/वैज्ञानिक सलाहकारी समिति, प्रबंधन परिषद व देश में चाय अनुसंधान संस्थाओं के रोपणकर्ता समितियों पर ध्यान दिया। चाय अनुसंधान संस्थाओं के निदेशक व वैज्ञानिक एवं सभी 11 वीं योजना अनुसंधान स्कीमों के परियोजना अन्वेषकों को टी बोर्ड में आमंत्रित किया गया था ताकि मार्च, 2012 में चाय अनुसंधान संपर्क समिति (टीआरएलसी) की बैठक में उपस्थित हो एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। इसने परियोजनाओं के मूल्यांकन में मदद की जहाँ उद्योग के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ बैज्ञानिकें ने इसमें भाग लिया।

# चाय संवर्धन

## परिचय

चाय बोर्ड का एक प्रमुख कार्य संवर्धनात्मक गतिविधियाँ का संचालन है जिसका लक्ष्य चाय उपभोग को बढ़ावा देना और भारतीय चाय निर्यात में वृद्धि करना है । भारतीय चाय की उत्कृष्टता को प्रचारित करने के लिए संवर्धनात्मक उपायों को तेज किया गया है, जिसमें इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ चाय बताया जाता है । कुछ चुने हुए देशों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । जहाँ चाय निर्यात की अधिकतम संभावना है । निर्यात में वृद्धि के लिए भारतीय निर्यातकों को सभी सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें विदेशों में भारतीय ब्राण्डों का विपणन भी शामिल है । विदेशी पैकर्सों द्वारा शुद्ध एवं अधिकांशतः भारतीय चायों की शुरूआत को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

**निर्यात संवर्धन समिति :** संवर्धन सम्बन्धी गतिविधियां बोर्ड की निर्यात संवर्धन समिति के मार्गदर्शन में संचालित की जाती है । वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्यों द्वारा इसका गठन हुआ था तथा यह निम्न तिथियों को वर्ष में तीन बार बैठक में शामिल हुई ।

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, पदेन अध्यक्ष
2. श्री पी. विश्वनाथन, माननीय सांसद
3. श्री पी.वी. बालचन्द्रन,
4. श्री एम. चन्द्रकांत
5. श्री अंशुमान कानोड़िया
6. श्री संजीव सरीन
7. श्रीमती चित्रा रमेश

**वर्ष के दौरान निम्न सूचित तिथियों व स्थानों पर तीन बार समिति की बैठक हुई :**

| बैठक की तिथि | स्थान |
|---|---|
| 22 सितम्बर, 2011 | कोलकाता |
| 29 दिसम्बर, 2011 | कूनूर |
| 02 मार्च, 2012 | कोलकाता |

### 5-5-5 परियोजना का आरम्भ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 5-5-5 परियोजना की शुरूआत की गई । इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय चाय को एक सर्व आच्छादक ब्रांड के रूप में स्थापित करना है जिससे इसको उद्योग एवं उपभोक्ताओं से जोड़ना है । इससे लघु एवं मध्यम अवधि में भारतीय चाय एक प्रमुख ब्रांड के रूप में स्थापित हो सकेगी । इससे आनेवाले सालों में लक्ष्य किए गए बाजारों में मूल्य तथा बाजार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है । विश्व बाजार में व्याप्त प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर इस परियोजना में पाँच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाजारों यथा यू.एस.ए., रूस, कजाकिस्तान, ईरान एवं मिश्र को चुना गया है । इसमें पाँच वर्षों तक पाँच विशिष्ट गतिविधियां संचालित की जाएगी । इन गतिविधियों में इण्डिया लोगो का विस्तृत संवर्धन (परिचय कराना/जागरूकता प्रसार), स्थानीय व्यापारियों से सम्पर्क उपभोक्ता उन्मुख संवर्धन, सामाजिक मीडिया का उपयोग तथा अवसंरचना ऊपायों द्वारा मूल्यवर्धित चायों के निर्यात पर फोकस शामिल है ।

उपर्युक्त देशों का चुनाव ''बाजार आकर्षकता एवं संभावना'' तथा भारतीय ''चाय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता'' के आधार पर किया गया है ।

### भारत से चाय निर्यात का व्यापक परिदृश्य

समीक्षाधीन वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चाय निर्यात 5 मि.कि.ग्रा. की हल्की गिरावट दर्ज की गई । 2011-12 में निर्यात का कुल परिमाण 209 मि.कि.ग्रा. था जो वर्ष 2010-11 में 214

मि.कि.ग्रा. रहा था । परंतु उच्च इकाई मूल्य के कारण 2011-12 में कुल निर्यात का मूल्य वर्ष 2010-11 की तुलना में काफी अधिक था । 2011-12 में आय की गई कुल विदेशी मुद्रा 3213 करोड़ रु. रही एवं औसत इकाई मूल्य 154 रु. प्रति कि.ग्रा. रहा, जबकि यह वर्ष 2010-11 में 2995 करोड़ और 140 रु. प्रति कि.ग्रा. रही थी । रुपए के मूल्य में आई गिरावट के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में डालर में हुई आमदनी अधिक रही । समीक्षाधीन वर्ष में देशवार निर्यात का ब्योरा तथा पिछले वर्ष के मुकाबले तुलनात्मक स्थिति अनुलग्नक-1 में दी गई है । संक्षेप में तुलनात्मक स्थिति निम्नवत थी :-

| 2011-12 (अनंतिम) | | | | | 2010-11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| परि.मि. कि.ग्रा. | मूल्य करोड़ रु. | मूल्य मि.यू.ए स. डालर | वृद्धि रु./कि. ग्रा. | वृद्धि डालर /कि.ग्रा. ) | परि.मि. कि.ग्रा. | मूल्य करोड़ रु. | मूल्य यूएस डालर | वृद्धि रु./प्र. कि.ग्रा. | वृद्धि डालर /कि.ग्रा.) |
| 209 | 3213 | 671 | 154 | 3.21 | 214 | 2996 | 658 | 140 | 3.08 |

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कजाकिस्तान, यू.के., यू.एस.एस. मिस्र और पाकिस्तान को निर्यात में 3 प्रतिशत (यू.एस.ए.) से लेकर 16 प्रतिशत (मिस्र) तक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई । अपनी बाजार संभावनाओं तथा उनके बाजारों की मांग की पूर्ति की भारतीय क्षमता के कारण रूस, कजाकिस्तान, यू.के. , यू.एस.ए., ईरान, सं.अ.अ., मिस्र तथा पाकिस्तान महत्वपूर्ण बाजार बने रहे ।

**बाजार संवर्धन योजना (एमपीएस) के तहत संचालित**

प्रदर्शनियों में भाग लेना व्यापार सुविधाकरण जिसमें क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, सूचना वितरण आदि शामिल है ।

- 5-5-5 परियोजना प्रस्ताव को चाय उद्योग की सलाह से तैयार किया गया है जिसमें पाँच देशों की पहचान की गई है जहाँ पाँच वर्षों तक पाँच फोकस गतिविधियां संचालित की जाएगी ।

**प्रचार सामग्री का उत्पादन**

- भारतीय चाय के विभिन्न पहलूओं से सम्बन्धित विविध प्रचार

चायें प्रामाणिक हों ।

(रु. करोड़ में)

| प्रमुख शीर्ष | 2011-12 | एकत्रित (2007-12) |
|---|---|---|
| घरेलू सवर्धन | 0.38 | **19.48** |
| विदेशी संवर्धन | 2.50 | **19.71** |
| व्यापार सम्बन्धी गतिविधियाँ | 1.66 | **13.39** |
| निर्यातकों/संघों को प्रोत्साहन | 8.18 | **23.20** |
| प्रचार सामग्री | 0.84 | **5.27** |
| कानूनी/परामर्शी | 1.53 | **3.43** |
| ई-नीलामी | 3.93 | **16.39** |
| अन्य | - | **7.61** |
| कुल | **19.02** | **108.48** |

**समीक्षाधीन वर्ष में एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में किा गया एकत्रित व्यय निम्न थाः**

**बोर्ड के मुख्यालय द्वारा संचालित गतिविधियां**

1. विदेशी कार्यालयों के क्षेत्र में न आनेवाले व्यापार मेला और प्रदर्शनियों में बोर्ड की भागीदारी का आयोजन ।
2. अंतर्राष्ट्रीय बैठकों तथा क्रेता विक्रेता सम्मेलन में भाग लेने हेतु बोर्ड के प्रतिनिधियों तथा चाय शिष्टांडलों के दौरों की व्यवस्था करना ।
3. चाय उद्योग के साथ सम्पर्क कार्य, व्यापार जिज्ञासाओं का उत्तर, नौवहन तथा भंडारण सम्बन्धी असुविधाओं को दूर करना, चाय व्यापारियों को निर्यात सम्बन्धी सूचनाएं प्रदान करना तथा बाजार और व्यापार सम्बंधी सूचनाओं का प्रसार ।
4. दार्जिलिंग चाय के उत्पादकों , निर्यातकों तथा व्यापारियों को दार्जिलिंग शब्द के लोगो के इस्तेमाल के लिए जो घरेलू तथा विदेशी बिक्री हेतु खुदरा पैकेटों पर लगाए जात हैं, सी.टी.एम. प्रक्रिया के तहत पंजीकरण ।
5. सभी दार्जिलिंग निर्यातों के लिए बागानवार उत्पादन की बीजक के माध्यम से चिन्हित चायों को उत्पत्ति प्रमाणपत्र देना ।
6. सूचना प्रसार के अंश के रूप में, विभिन्न मेलों तथा प्रदर्शनियों में प्राप्त व्यापार जिज्ञासाएं तथा विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त जिज्ञासाओं को उद्योग के सदस्यों को भेज दिया गया।

**भारतीय चाय की बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण उपलब्धियां**

टी बोर्ड ने विभिन्न चाय शब्दों और लोगो के संरक्षण के लिए अपना प्रयास जारी रखा ।

09 नवम्बर, 2011 को दार्जिलिंग चाय पहली कोई गैर चीनी चाय बनी जिसे यूरोपियन संघ के संरक्षित भौगोलिक सूचक के रूप में संरक्षित किया गया है । यह दार्जिलिंग चाय की अनन्यता और विशिष्ट गुणों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है । इससे विश्व की प्रमुख चायों के बीच उसकी पहचान सुदृढ़ हुई है ।

पी.जी.आई. पंजीकरण के फलस्वरूप दार्जिलिंग को ई.यू. के सदस्य देशों में निम्नलिखित के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है ।

(क) चाय अथवा उसके समान किसी भी अन्य उत्पाद के संदर्भ में दार्जिलिंग नाम का वाणिज्यिक इस्तेमाल जिससे दार्जिलिंग की प्रतिष्ठा का शोषण होता हो ।

(ख) किसी भी प्रकार का दुरूपयोग , नकल यहाँ तक कि उत्पाद की उत्पति उल्लिखित हो तथा जिसमें शैली, प्रकार, तरीका के माध्यम से अनुकरण किया गया हो ।

(ग) कोई भी अन्य मिथ्या अथवा भ्रामक संकेत

(घ) अन्य कोई भी क्रियाकलाप जिससे उपभोक्ता उत्पाद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भ्रम में पड़ जाए ।

## भारत में घरेलू संवर्धन

समीक्षाधीन वर्ष में टी बोर्ड ने निम्नलिखित आयोजनों में हिस्सा लिया ।

1. एग्रोटेक इंडिया ओ ग्रामीण शिल्प मेला-2011 सोनारपुर, 2-9 जून, 2011
2. 15वां ऑल इंडिया नेशनल एक्सपो-2011, बेलघरिया 7-9 सितम्बर, 2011
3. आई सी सी कोलकाता द्वारा तीसरा एग्रोटेक, 3-5 नवम्बर, 2011
4. 16वाँ सुंदरवन कृषि मेला, कैनिंग 20-29 दिसम्बर, 2011
5. बायोफैक इंडिया, बैंगलोर, 10-12 नवम्बर, 2011
6. बराक वैली प्रदर्शनी सिलचर, 29 दिसम्बर, 2011 से 12 जनवरी, 2012
7. असम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, गुवाहाटी, 6-18 दिसम्बर, 2011

## समीक्षाधीन वर्ष में भाग लिए गए अंतर्राष्ट्रीय आयोजन

1) वर्ल्ड टी एक्सपो, लास बेगाम, यू.एस.ए. 24-26 जून, 2011
2) अंतर्राष्ट्रीय चाय मेला एवं क्रेता विक्रेता मिलन, हांगकांग, 11-13 अगस्त, 2011
3) 'वर्ल्ड फूड मासको' प्रदर्शनी, 2011, 13-16 सितम्बर, 2011
4) वैकूंवर में टी कॉफी कनाडा प्रदर्शनी 2-3 अक्टूबर, 2011
5) विंटर फैन्सी फूड शो, सैन फ्रांसिसको, यू.एस.ए. 15-17 जनवरी, 2012
6) एफ.ए.ओ. आई.जी. जी. मीट ऑन ट एंड कोलम्बो टी कन्वेंशन, जनवरी, 2012
7) गल्फ फूड फेयर, दुबई, 19-22 फरवरी, 2012
8) इंडिया शो, लाहौर, पाकिस्तान, 11-13 फरवरी, 2012
9) प्रोडक्सपो, मॉस्को, 13-17 फरवरी, 2012
10) बायोफैक, न्यूरेमबर्ग, जर्मनी, 15-18 फरवरी, 2012
11) इंडिया शो, जकार्ता इंडोनेशिया 6-8 मार्च, 2012
12) टी कॉफी वर्ल्ड कप प्रदर्शनी , विएना, 25-27 मार्च, 2012
13) ईरान को बहुउत्पाद व्यापार प्रतिनिधिमंडल, 10.14 मार्च, 2012

## विदेशी कार्यालयों के अधीन न आनेवाले देशों में संवर्धनात्मक गतिविधियां

टी बोर्ड मुख्यालय ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों की सहायता से निम्नलिखित देशों में संवर्धनात्मक गतिविधियां संचालित की ।

### स.रा. अमेरिका

अमेरिका का अनुमानित बाजार आकार 127.5 मि.कि.ग्रा. (काली चाय 85% हरी चाय 15%) है जिसका मूल्य 2011 में 428.352 मि. डालर था । चाय बिक्री को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक इसका पोषण और स्वास्थ्य वाला पक्ष है, जिसमें आर्गेनिक, हरी और स्पेशलिटी चायों के प्रति काफी रूझान व्यक्त की जाती है । विश्व भर में चाय खपत मं इसका स्थान सातवां है । सं.रा. अमेरिका में चाय उपभोग का तरीका अधिकांशतः आईस टी के रूप में है । पर हाल के वर्षों में गर्म चाय के उपभोग के प्रति भी रूझन बढ़ा है ।

उपर्युक्त परिमाण में से काली चाय का आयात 108 मि.कि.ग्रा. (85 प्रतिशत) है । सं.रा. अमेरिका में भारतीय चाय के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं ।

भारत चूंकि **यू.एस. चाय परिषद** का संस्थापक सदस्य है। अतः विभिन्न अवसरों पर चर्चाओं में भाग लिया ।

### कनाडा

कनाडा एक गर्म चाय वाला बाजार है जिसका परिमाण 19.17 मि.कि.ग्रा. (9 प्रतिशत पुनर्निर्यातित) है तथा प्रति व्यक्ति खपत 0.48 कि.ग्रा. है । सं.रा. अमेरिका के विपरीत कनाडा में 60 प्रतिशत आबादी गर्म चाय का सेवन करती है । कनाडा को भारतीय चाय का निर्यात लगभग 3 मि.कि.ग्रा. (कुल आयात का 15

प्रतिशत) है । निर्यात का परिमाण अल्प होने पर भी प्रतिइकाई मूल्य वसूली उच्च थी । इससे पता चलता है कि स्पेशलिटी चायें लोकप्रिय हो रही हैं तथा इनमें वृद्धि होनेवाली हैं ।

## आस्ट्रेलिया

यहाँ 11 मि.कि.ग्रा. चाय आयातित होती है जिसमें भारत का हिस्सा 1प्रतिशत होने से यह एक छोटा बाजार है । यहाँ मूल्यवर्धित चायों की काफी संभावना है विशेषरूप से ब्रांडेड काली एवं आर.टी.डी. चायों के क्षेत्र में । आस्ट्रेलिया में लगभग 1.670 मि.कि.ग्रा. का अल्प चाय उत्पादन होता है । यह 0.2 मि.कि.ग्रा. चाय पुनर्नियातित भी करता है ।

इस बाजार को अब अधिक सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है क्योंकि इसमें विस्तार और पहुंच की क्षमता है । पिछले कुछ वर्षों से चलाए जा रहे टी बोर्ड के संवर्धन उपायों ने अच्छे परिणाम देना शुरू कर दिया है । भारत से आस्ट्रेलिया को निर्यात होने वाली चाय में 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2002-03 में 1.41 मि.कि.ग्रा. से बढ़कर 2011-12 में 3.32 मि.कि.ग्रा. हो गई । यह वृद्धि मात्रा और दाम वसूली दोनों में हुई है । भारतीय चाय निर्यात इंस्टैंट चाय, चाय थैलों और पैकेट चाय के रूप में होता है ।

के सहयोग से टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किया जाता है ।

## विदेश स्थित कार्यालयों के संवर्धनात्मक कार्य

बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालय लंदन, मॉस्को, और दुबई में स्थित है । भारतीय चायों के संवर्धन के लिए बाजारों में पहुंच के लिए इनकी रणनीतिक भूमिका है । यह अपने क्षेत्राधिकार के महत्वपूर्ण देशों में चाय संवर्धन का कार्य करते हैं ।

## लंदन कार्यालय

**लंदन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आनेवाले देश**

यू.के. आयरलैंड, नार्वे, स्वीडेन, डेनमार्क और फिनलैंड । जुलाई, 2002 में हैम्बर्ग कार्यालय के बंद होने के कारण निम्नलिखित देश लंदन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं : बेल्जियक, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल , ग्रीस, आस्ट्रिया, स्विटजरलैंड, माल्टा, साइप्रस पोलैंड तथा पूर्व यूगोस्लाविया के बिखंडित गणराज्य जैसे बोस्निया - हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्विया, मोटेंनीग्रो और मेसीडोनिया

लंदन कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत देश में चाय बाजार

## प्रमुख गतिविधियाँ एवं उपाय

### 1.मेले एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी :

1. बायो-फैक नूरेम्बर्ग 15 से 18 फरवरी, 2012

   जैव उत्पाद हेतु बेहतरीन विकल्प का देश के रूप में सूचित बात पर बले देते हुए भारत को सहभागी देश के रूप में घोषित किया गया था । जर्मनी मंत्रीयों, ई.यू. व्यापार आयुक्तों, सांसदों और यूएस व्यापार के उप प्रतिनिधियों सहित बहुत से गौरवशालियो ने टी बोर्ड स्टैंड पर आए और भारत के जैव चायों का उत्कृष्ट किस्मों को चखे ।

2. भारत यू.के. खाद्य व पेय सम्मेलेन और बीएसएम 19 मार्च, 2012

   यू.के. में भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था । इ.यू. के ग्यारह देशों में खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में जानने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल को अवसर प्रदान किया गया । अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुतिकरण, ई.यू. देशों में बहुल्क उपभोगताओं के रूचि को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित मानदंड के अनुकूल करने हेतु भारतीय चाय उद्योग द्वारा किए गए उपायों पर आईटीए ध्यान दिया ।

3. चाय व कॉफी विश्व कप, वियना, अस्ट्रीया, 25 से 27 मार्च, 2012

   टीबीओआई दर्शक दीर्घा चार निर्यातकों सहित अपने उत्पादन स्तरों को प्रदर्शनीत करते हुए भव्य दृष्टि प्रस्तुत किया । कार्यक्रम के दौरान दार्जिलिंग चाय संघ (डीटीए) एक चाय नमूना अधिवेशन और एक विशेष नीलामी आयोजित किया । दार्जिलिंग चाय उत्पादन के कुछ बागानों को कार्यक्रम में बताया गया और उसी समय चाय नीलामी में भागीदारी की उत्तेजना हेतु भागीदारों को आमंत्रित किया गया ।

4. 4-5 मई, 2011 के दौरान एजीएम के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति द्वारा वार्षिक उत्पादक उपभोगता सम्मेलन आयोजित किया गया ।

### 2. उपभोक्ता जागरूकता एवं भारतीय चाय संवर्धन

मेले एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रमों में भागीदारी और आयोजन भी किए गए जिनमें उपभोक्ता जागरूकता, लोगो संवर्धन एवं भारतीय चाय के स्रोत व ब्राण्डों के संरक्षण पर ध्यान दिया गया था । यह ऐसा मौका था जहाँ भारतीय निर्यातकों को मूल्य वर्धित उत्पाद को प्रदर्शित कर सके ।

I. चाय विशेषज्ञ मेसर्स जेन पेटिग्रिउ के साथ पत्तियों का जादू 7 जून, 2011 को पेय चाय का स्वास्थ्य एवं आध्यात्मक लाभ पर विशेष ध्यान

II. मैडम अलका कपूर, एक उत्कृष्ट भारतीय कलाकार द्वारा चित्रकारी के प्रदर्शन हेतु 7-10 जून, 2011 के दौरान नेहरू केन्द्र में आपके प्याले में एक बादल का टुकड़ा आयोजित हुआ । उनकी चित्रकारी का यूएसपी था कि चाय पत्तियों व चाय बैगों के उपयोग और अनुपयोग से ये निर्मित थे ।

III. 24-26 जून, 2011 के दौरान बीरमिंघम में आंचलिक हिन्दी सम्मेलन में द्रव्य चाय नमूनित किया गया था कार्यक्रम का आयोजन एचसीआई लंदन और सीजीआई बीरमिंघम द्वारा किया गया था ।

IV. जुलाईःअगस्त, 2012 में लंदन ओलम्पीक पर पूंजीकरण के उद्देश्य से उस समय के दौरान प्रमुख ब्राण्ड संवर्धन/ उपभोक्ता जागरूकता अध्याय के आरम्भ करके की दृष्टि से भारतीय उच्चायुक्त और अन्य एजेन्सीओं के साथ अनेक प्रारम्भिक बैठके आयोजित किए गए ।

V. एक उत्सव कार्यक्रम भारतीय जर्नलीस्टस संघ द्वारा आयोजित किया गया । और भारतीय उच्चायुक्त द्वारा सक्रिय सहयोग किया गया । भारतीय प्रमुख और ब्रिटिश मिडिया के उपस्थिति में समृद्ध प्रकाशन सामग्री के वितरण एवं द्रव्य नमूना के माध्यम से भारतीय चाय ने एक अच्छी दृश्यता और वृहद पहचान प्राप्त किया ।

VI. यूके और यूके के बाहर हुए सभी उपभोगता प्रतिनमूना कार्यक्रम में लोगो संवर्धन लाया गया । दार्जिलिंग , असम व नीलगिरी चायों हेतु विशेष उपहार बक्से रूपांकृत किए गए और मिशन में आने वाले विशिष्ट अतिथियों को मिशन के प्रमुख द्वारा उपहार देने हेतु विविध मिशनों को वितरित किया गया ।

## बाजार की स्थिति एवं निर्यात निष्पादन

### यूनाइटेड किंगडम

यूएसडी 461 मिलियन मूल्य पर 2011 में यूके ने लगभग 155 मिलियन कि.ग्रा. चाय आयात किया । 2011 के दौरान विश्व के कुल चाय आयातों में 9.5 प्रतिशत हिस्सा के साथ रूस के पश्चात यूके विश्व में द्वितीय वृहदतम चाय आयातक देश है । 2011 के दौरान भारत लगभग 19 मिलियन कि.ग्रा. यूके को निर्यात किया । यूके में केनिया अकेले आयातों का 53% हिस्सा हेतु उतरदायी है जबकि भारत, इण्डोनेशिया, चीन , मालवीया और तनजानिया मिलकर अन्य 32% हेतु उत्तरदायी हैं । मूल्य मदों में, ये 6 देश आयातों के 84% हेतु उत्तरदायी हैं । अफ्रीका एवं इण्डोनेशिया की तुलना में भारतीय चाय उच्चतम इकाई मूल्य उगाही करता है । 10 वर्ष के ऊपर की आयु वाले जनसंख्या का 69% रोजाना चाय पीता है । अन्य पेयों की तुलना में यू के में अधिकतम 3 कप चाय प्रति व्यक्ति की खपत है।

### जर्मनी

2011 के दौरान कुल आयात का 54 मिलियन कि.ग्रा. के साथ जर्मनी ईयू अंचल में द्वितीय वृहद चाय बाजार है । यह एक गुणवत्ता सजग प्रीमियम बाजार है । दार्जिलिंग चाय उच्चतम मूल्य के साथ-साथ अच्छा गुणवत्ता का लाभ उठाता है ।

हिस्सानुसार आयात चीन (22%) श्रीलंका (12%), भारत (11.5%) इण्डोनेशिया (11.4%), अर्जेनटिना (3.41%) और वियतनाम (3.07%) उत्पादक देशों में कुल लगभग 63% हेतु उत्तरदायी है जबकि नीदरलैण्ड (8%) और यूके (7%) दोनों पुर्ननिर्यातक देश का 15% हेतु उत्तरदायी है ।

जर्मनी आयातो का लगभग 49% उपभोग करता है और मूल्य वृद्धि के पश्चात शेष 51% को यूएसए, फ्रांस, पोलैण्ड, यूके इत्यादि देशों में पुर्ननिर्यात करता है ।

काली चाय जर्मनी के आयात का 76% है । अधिकांश चाय अर्थोडॉक्स/पत्ती किस्म का है । सम्पूर्ण जर्मनी की तरह ही चाय पूर्व फ्रायसलैण्ड (उत्तर जर्मनी में स्थित) में 300 वर्षों से राष्ट्रीय पेय है । पूर्व फ्रायसलैण्ड में प्रति व्यक्ति चाय की खपत लगभग 3 कि.ग्रा. है । यह जर्मनी के औसत खपत का 0.28 कि.ग्रा. से काफी अधिक है । इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति असम चाय की खपत उच्चतम है ।

### पोलैण्ड

लगभग 34 मि.कि.ग्रा. के बाजार आकार और 0.78 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति उपभोग के साथ पोलैण्ड सूरो जोन में तीसरा महत्वपूर्ण बाजार है । उत्पादक देशों में से आयात मुख्यतः केन्या (15.7%), भारत (12.9%), इण्डोनेशिया (10.7%) वियतनाम (10.5%), चीन (10.1%), श्रीलंका (8.3%) और अर्जेन्टिना (5.5%) से किया जाता है । जबकि नीदरलैण्ड और जर्मनी क्रमशः 9.3% और 7.0% योगदान करता है ।

सीटीसी किस्म हेतु स्पष्ट रियता के साथ चाय बाजार तीव्रगति से परिवर्तित हो रहा है और साम्यवाद पतन का अनुसरण करते हुए क्रेय शक्ति बढ़ा है । चाय थैले हेतु नियत बदलाव से मूल्यवर्धित नौवाहन तीव्रगति से बढ़ा है ।

### फ्रांस

2011 में फ्रांस लगभग 18 मि.कि.ग्रा. चाय (काली चाय - 49% और हरी चाय - 51%) का आयात किया और उनमें से 17% का पुर्ननिर्यात किया । चीन (38%), श्रीलंका (6%) ,जर्मनी (13%) और बेनेलक्स देश (7%) प्रधान आपूर्तिकर्ता देश है । मूल्यवर्धित रूप से विशेषतः प्रत्यक्ष निर्यात विकसित करने की संभावना है । यद्यपि भारतीय चाय निर्यात 1 मि.कि.ग्रा. से भी कम है (कुल आयात का 2%) । भारतीय चाय उच्च इकाई मूल्य उगाही करता है ।

स्वास्थ्यकारी खाद्य और पेय के प्रति फ्रांसिसीयों की रूचित है । उपभोगताओं में चाय थैले और सुलभ उत्पाद सर्वाधिक पसंदीदा है ।

### मॉस्को कार्यालय

**अधिकार क्षेत्र :** सीआईएस देश - रूस, काजाकिस्तान, यूक्रेन, यूजवेकिस्तान, अर्जवैजन, तुर्कमेनीस्तान, बेलारूस, क्रिजीस्तान, ताजकिस्तान, जर्जीया, अर्मेनेया, मोलडोवा और लतावी के वाल्टीक राज्यें, इस्टोनिया व लीथूनिया ।

**सीआईएस क्षेत्र के प्रमुख देशों में चाय बाजार आकार**

| देश | बाजार आकार मिलियन कि० ग्रा० | पीसीसी कि० ग्रा०/प्रति वर्ष | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| रूस | 183 | 1.27 | 2% की दर से बाजार वृद्धि हो रही है सीएजीआर |
| कजाकिस्तान | [illegible] | 1.5[illegible] | [illegible] |

आकार अनुमानित 182 मिलियन कि.ग्रा. का है । यह देश महत्वपूर्ण परम्परागत रूप से अर्थोडॉक्स का बाजार है और मुख्यतः चाय की खपत पैकेट में (90%) और अर्थोडॉक्स मिश्रण (3/4 भाग के आसपास अर्थोडॉक्स है और बाकी सीटीसी दानेदार है ।)

2010.2011 के दौरान रु. 508.94 करोड़ के मूल्य पर 42.55 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में 2011-2012 के दौरान रु. 546.68 करोड़ मूल्य पर 41.76 मिलियन कि.ग्रा. भारतीय चाय रूस को निर्यात किया गया ।

**कजाकिस्तान**

रूस के बाद, कजाकिस्तान अपनी चाय उपभोग की मजबूत परम्परा एवं उच्च प्रति व्यक्ति खपत (लगभग 1.5 कि.ग्रा. प्रति वर्ष) सहितत एक महत्वपूर्ण बाजार है । जबकि काली चाय की खपत करीब 94%) है, हरी चाय एवं विशेषीकृत चायों में रूची बढ़ती [illegible]

## दुबई कार्यालय

| अधिकार क्षेत्र |
|---|
| पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीका जिसमें कुवैत, इरान, वहरीन, यूएई, सउदी अरब, ओमान, कतर, यमन, जार्डन, सीरिया, एआरई (मिश्र), लिविया, सुडान, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, तुर्क, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान शामिल है । |

### मेले एवं प्रदर्शनियाँः

1. डेज ऑफ इंडियन कल्चर, ईरान 10 से 17 मई, 2011
2. अफ्रीका बीग सेवन एक्जीबिशन , जोहान्सवर्ग, 25 से 27 जुलाई, 2011
3. गल्फ फूड दुबई, 19 से 22 फरवरी, 2012

### प्रतिनिधिमंडल

वर्ष 2012 में मार्च, 10-14 के दौरान बहु-उत्पाद व्यवसायिक प्रतिनिधिमंडल ने ईरान का दौरा किया । तेहरान में भारतीय मिशन सहित फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑरगानाइजेशन (एफआईईओ) ने तेहरान, तबरीज एवं एसफाहन के तीन शहरों में व्यवसाय संगोष्ठि वं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया । सभी विचार-विमर्शों में बैंक संव्यहवार सम्बन्धी समस्या मुखर रही । आर. बी. आई. एवं यूको बैंक के प्रतिनिधियों ने ईरान में भुगतान में गत्यावरोध को सुलझाने के लिए अपने समकक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया ।

### बाजार परिदृश्य

पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीका (वाना) देशों में भारतीय चाय का कुल निर्यात 28% है । विशेषरूप से देश जैसे यूएई, ईरान, ट्यूनिशिया, ईराक, मिश्र एवं सउदी अरब की उच्च प्रति व्यक्ति खपत है एवं थोक उत्पाद के रूप में चाय निर्यात जारी है एवं भविष्य में वृद्धि हेतु बेहतरीन संभव्य के रूप में प्रदर्शित होता है ।

वाना क्षेत्रों में यूएई (दुबई), ईरान, ट्यूनिशिया, ईराक, मिस्र एवं सउदी अरब महत्वपूर्ण बाजार है (287 मि.कि.ग्रा. के संयुक्त आयात बाजार सहित अथवा क्षे. में कुल बाजार आकार 73% है ) इन देशों में से इराक एवं मिस्र का प्रति वर्ष करीब 1.2 कि.ग्रा. पर उच्च प्रति व्यक्ति खपत है जबकि इरान एवं ट्यूनिशिया का प्रतिवर्ष 0.9 कि.ग्रा. पर उच्च पीसीसी है ।

चाय व्यापक रूप में दूध के बगैर पी जाती है एवं चाय का रंग व उसका रूप उसके प्रथम चुनाव का मापदंड है, मुख्य चाय उपभोक्ता क्षेत्र एवं कड़ी प्रतिस्पर्धा होने पर भी अफ्रीका चाय बाजार में अपना स्थान अपनी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य एवं गुणवत्ता के कारण बना पा रही है ।

### वाना देशों द्वारा आयातित चायों के प्रकार :

(क) मध्यपूर्व : अधिकांशतया अर्थोडॉक्स परन्तु सउदी अरब व इरान जैसे देशों में स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है । यूएई में घरेलू तौर पर सीटीसी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ प्रवासी, भारतीयों, पाकिस्तानियों की संख्या अधिक है ।

(ख) मिस्र : सीटीसी चूर्ण एवं टूटन

(ग) लिबियाः अर्थोडॉक्स एवं हरी चाय

(घ) ट्यूनिशियाः अर्थोडॉक्स एवं हरी चाय

(ड़) मोरक्को : हरी चाय

### संयुक्त अरब अमीरात ( यू.ए.ई. )

यू.ए.ई. अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और प्रतिस्पर्धी रसद और भंडारण सेवाओं के प्रावधान के कारण अंतर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विशेष तौर पर जेबेल अलि फ्री जोन में दुबई चाय व्यापार केन्द्र (डीटीटीसी) के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय चाय पुनः निर्यात हब की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । चाय व्यापारी दुबई को वाना बाजार में प्रवेश करने का महामार्ग समझते हैं । इसका बाजार आकार करीब 80 मिलियन कि.ग्रा. का है जिसमें से करीब 28% का पुनः निर्यात किया जाता है ।

यू.ए.ई. कुछेक केन्द्रों के माध्यम से इस उद्योग का मूल्य वर्धन

कारण है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है डीटीटीसी । डीटीटीसी 35 एशियाई एवं अफ्रीकी देशों - केन्या, भारत, श्रीलंका , इंडोनेशिया, मालावी , रवांडा, तंजानिया, जिम्बाबे, इथोपिया, वियतनाम, नेपाल, चीन एवं ईरान के लिए चाय का भंडारण करता है । यू.ए.ई. के विश्व चाय पुनः निर्यात का लगभग 72 प्रतिशत अंश पुनः निर्यात करता है । यू.ए.ई. के भौगोलिक वितरण का करीब 91 प्रतिशत का निवेश तीन देशों में हुआ – इराक (48%), इरान (21%) एव रूस (18%)।

यू.ए.ई. की जनसंख्या कम होने के कारण हालांकि चाय हेतु घरेलू बाजार बहुत बड़ा नहीं है परन्तु चाय की पुनः निर्यात की दृष्टि से काफी बड़ा बाजार है । यह बाजार प्रधान रूप से सीटीसी का बाजार है जिसमें भारतीय चायों में असम सीटीसी को मुख्यतः वरीयता दी जाती है । तथापि पैकेट चाय में शुद्ध असम सीटीसी उपलब्ध है, चाय थैलों में मुख्यतः भारतीय व केन्याई चाय का मिश्राण रहता है अथवा श्रीलंकाई चाय रहता है ।

**मिश्र अरब गणराज्य**

मिश्र अरब गणराज्य की आबादी 78 मिलियन है, जबकि इसका बाजार आकार 84 मि.कि.ग्रा. और प्रति व्यक्ति खपत 1 कि.ग्रा. प्रति वर्ष के आसपास है । लोक वितरण हेतु सरकार 20.25 मि.कि.ग्रा. चाय का आयात करती है तथा शेष परिमाण निजी खिलाड़ियों द्वारा आयातित होता है । सरकार द्वारा आवश्यक चाय आयात की मात्रा का निर्धारण सामान्य पण्य आपूर्ति प्राधिकरण (जी.ए.एस.सी.) द्वारा किया जाता है । यह चाय दो लोक उपक्रमों यथा एम.एस.एल. नस्र निर्यात और आयात कम्पनी और मेसर्स मिश्र निर्यात और आयात कम्पनी के माध्यम से किया जाता है । ये कम्पनियां प्रति माह लगभग 2 मि.कि.ग्रा. चाय का आयात करती है ।

वर्तमान बाजार मांग सी.टी.सी. डस्ट और फैनिंग्स के लिए है । चाय सर्वाधिक पसंद किया जानेवाला पेय है, उपभोग का 95 प्रतिशत हिस्सा सी.टी.सी. का है । सामान्यतया चायों का आयात थोक रूप में होता है, जिसे बाद में मिश्रित कर घरेलू उपभोग के लिए पैक किया जाता है । छोटी मात्रा में पैकेट चाय का भी आयात किया जाता है । ''चाय थैलों'' का हिस्सा छोटा है पर इसमें वृद्धि हो रही है । वर्तमान में कीनिया में उच्च मूल्य के कारण अन्य अल्प मूल्य वाली चाय उत्पादक देशों जैसे दक्षिण भारत वियतनाम और चीन से आयात में वृद्धि हो रही है ।

**ईरान**

ईरान एक चाय उत्पादक देश है जिसका वार्षिक उत्पादन लगभग 16 मि.कि.ग्रा. है । वार्षिक चाय उपभोग लगभग 82 मि.कि.ग्रा. है (मुख्यतः आर्थोडॉक्स चाय) । प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग लगभग 1.35 कि.ग्रा. है । ईरान अपनी पैदावार का 4 प्रतिशत हिस्सा संयुक्त राष्ट्रकुल के देशों और अफगानिस्तान , यू.ए.ई. को पुनर्नियात करता है । चूंकि ईरानी चाय निम्न गुणवत्ता वाली होती है, इसको आयातित चायों में मिश्रित किया जाता है । इसके फलस्वरूप यह घरेलू बाजार में उपभोग लायक बनती है । उपभोग में 90 प्रतिशत आर्थोडॉक्स और 10 प्रतिशत हिस्सा सी.टी.सी. का है । हाल के वर्षों में कीनियाई चाय पैकेट बाजार में दिखाई पड़ने लगे हैं । दक्षिण भारत की आर्थोडॉक्स चाय का निर्यात भी शुरू हुआ है ।

**सऊदी अरब**

सऊदी अरब में चाय संस्कृति काफी मजबूत है, जो पारिवारिक और सामाजिक अवसरों का एक अनिवार्य अंग है । यद्यपि कॉफी में तीव्रतर मात्रात्मक वृद्धि लक्षित की गई है, परंतु गर्म पेयों में चाय को पसंद किया जाता है । काली चाय (अनुमानित आकार 16 मि.कि.ग्रा. तथा मध्यम प्रति व्यक्ति खपत जो 0.54 कि.ग्रा. है) का आयात प्रचुर है । इसमें केवल चार देशों यथा भारत (16 प्रतिशत) श्रीलंका (28 प्रतिशत) वियतनाम (12 प्रतिशत) और चीन (7 प्रतिशत) का हिस्सा कुल मिलाकर 63 प्रतिशत है । अफ्रीका के उत्पादक देशों का हिस्सा 15 प्रतिशत है, जबकि पश्चिम एशिया के कुछ देशों का हिस्सा 8 प्रतिशत है ।

उपभोक्ता प्रमुख रूप से अर्थोडॉक्स चाय ही पसंद करते हैं पर सी.टी.सी. डस्ट का बाजार भी स्थिर बना हुआ है ।

अनुलग्नक – I

## प्रमुख देशवार निर्यात

| देश का नाम | 2011-12 (अनुमानित) | | | | | 2010-11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा (मि.कि.ग्रा.) | मूल्य (रु. करोड़ में) | मूल्य (मि.यू.उस $.) | यूपी (रू. कि.ग्रा.) | यूपी ($/कि.ग्रा.) | मात्रा (मि.कि.ग्रा.) | मूल्य (रु. करोड़ में) | मूल्य (मि.यूएस $) | रु.पी. (रू. कि.ग्रा.) | यूपी ($/कि.ग्रा.) |
| रूसी फेडरेशन | 41.76 | 546.68 | 114.16 | 130.91 | 2.73 | 42.55 | 508.94 | 111.75 | 119.61 | 2.63 |
| काजाकिस्तान | 12.00 | 199.67 | 41.70 | 166.39 | 3.47 | 10.49 | 163.24 | 35.84 | 155.68 | 3.42 |
| यूक्रेन | 1.80 | 21.26 | 4.44 | 118.01 | 2.46 | 1.82 | 21.95 | 4.82 | 120.47 | 2.65 |

# अनुज्ञापन

## 7.1 प्रस्तावना

चाय अधिनियम, 1953 के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एम ओ सी व आई) के अधीन सांविधिक निकाय के रूप में चाय बोर्ड भारत की स्थापना 1954 में की गई थी। चाय बोर्ड के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य चाय अधिनियम के प्रावधानों और चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश चाय भंडागार आनुज्ञापन आदेश और चाय अवशिष्ट नियंत्रण आदेश के तहत जारी आदेशों के अनुसार चाय की खेती में विविध स्टेक होल्डर के गतिविधियों और इसके व्यावसायों को विनियमित करना है। विनियमित कार्यों की प्राभावशीलता अन्य कार्यों के निष्कासित प्रभाव में भी सहायता करता है जैसे विकासशिल गतिविधियाँ विपणन व संवर्धन गतिविधियाँ और अनुसंधान गतिविधियाँ। विविध नियंत्रण आदेशों के तहत पंजीकृत सभी स्टेक होल्डरों को टी बोर्ड के समक्ष विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है जिसके संग्रह के उपरान्त पंचवर्षीय योजना के सुत्रीकरण सहित चाय की सांख्यिकी और विपणन नीति निर्णय के निर्माण में सहायक होता है।

समय-समय पर सरकार द्वारा जारी विभिन्न सांविधिक एवं नियमन आदेशों के कार्यान्वयन हेतु बोर्ड की अनुज्ञापन शाखा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञापन शाखा चाय उद्योग व व्यापार को चाय से संबंधित वित्तीय नीति व विभिन्न विधियों के विषय में चाय उद्योग व व्यापार को आवश्यक स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन प्रदान करती है। विभिन्न द्विपक्षीय व क्षेत्रीय/बहुपक्षीय करार के तहत चाय संबंधी मुद्दे व भारतीय चाय उद्योग पर उसके कार्यान्वयन को समय-समय पर बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जाता है ताकि भारत सरकार द्वारा नीति निर्णय किया जा सके। 2011-2012 के दौरान इस शाखा द्वारा किए गए विभिन्न सांविधिक कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है—

### निर्यातक अनुज्ञापन

चाय (संवितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चाय निर्यातक के रूप में व्यापार करना चाहता है, उसे निर्यातक अनुज्ञापन की आवश्यकता होगी। निर्यातक अनुज्ञापन के विधिमान्यता की अवधि जारी तिथि से 3 (तीन) वर्षों हेतु प्रभावी होगा तथा एक बार व्यापार अनुज्ञापन को यदि नवीकृत किया जाता है तो वह नवीकरण तिथि से और तीन वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगी बशर्ते व्यापार अनुज्ञापन विधिमान्य अवधि के दौरान निलंबित व रद्द न हो। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी चूँकि निर्यातक है, यदि अपने व्यापार अनुज्ञापन को स्थायी अनुज्ञापन में परिवर्तित करना चाहता है तो द्वितीय प्रति में एवं आवेदन प्रपत्र 'ख' में भरकर व्यापार अनुज्ञापन की विधिमान्यता अवधि के समापन के 3 (तीन) माह से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को करना होगा। ऐसा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनुज्ञापन प्राधिकारी उस अनुज्ञापन को स्थाई अनुज्ञापन में बदल देगी बशर्ते—

(क) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी निर्यातक है।

(ख) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के चाय अधिनियम, 1953 या चाय नियम, 1954 या टी बोर्ड उप विधि 1955 के या अधिनियम के तहत बनाये गए किसी अन्य आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विधिमान्य व्यापार अनुज्ञापन धारण करने वाले निर्यातक का सलाना चाय निर्यात की मात्रा 1,00,000 कि.ग्रा. से कम न हो।

ऐसा स्थाई अनुज्ञापन प्रपत्र 'जी' में स्वीकृत किया जाता है। आवेदक द्वारा 2500/- रु. शुल्क का भुगतान करना होगा ताकि निर्यातक अनुज्ञापन को स्थाई अनुज्ञापन में बदला जा सके।

चाय (संवितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश के तहत टी बोर्ड के समक्ष पंजीकृत चाय निर्यातकों की कुल संख्या 31-03.2012 को 1379 थी जबकि गत वर्ष 31.03.2011 में 1278 थी। वर्ष 2011-12 के दौरान कुल संग्रहीत राशि 1,01,000/- था जो कि 101 स्वच्छ/अस्थायी निर्यातक अनुज्ञापन जारी के बाबत था जबकि गत वर्ष 2010-11 के दौरान 103 स्वच्छ/अस्थायी निर्यातक अनुज्ञापन जारी किए गए एवं 1,03,000/- की राशि की उगाही हुई थी।

वर्ष 2011-12 के दौरान 60 अस्थायी निर्यातक अनुज्ञापन के नवीकरण की राशि 60,000 रु. की तुलना में वर्ष 2011-12 में 38 अस्थायी निर्यातक अनुज्ञापन के नवीकरण की उगाही 38,000/- रु. है।

दिनांक 01-04-2011 से 31-03-2012 तक की अवधि के दौरान कोई निर्यातक का अनुज्ञापन स्थाई अनुज्ञापन में बदला नहीं गया। 31-03-2012 तक टी बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्थाई निर्यातक अनुज्ञापन की कुल संख्या 453 है 17 (सतरह) स्थायी अनुज्ञापन निरस्त किए गए जबकि 31-03-2011 वर्ष तक 470 था। वर्ष 2011-12 के दौरान संग्रहीत राशि 0 (शून्य) स्थाई अनुज्ञापन के जारी हेतु 2500/- रु. है जबकि 2010-11 के दौरान एक भी स्थाई अनुज्ञापन जारी नहीं हुई उसकी उगाही शून्य हुई।

### 7.3 वितरक अनुज्ञापन

चाय (संवितरण व निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के तहत भारत सरकार ने 1-4-2005 से चाय वितरक अनुज्ञापन को प्रस्तावित किया है। आन्तरिक बिक्री या पुनः निर्यात हेतु चाय आयात करने हेतु विधिमान्य निर्यातक अनुज्ञापन धारण करने वाले सभी चाय निर्यातकों को यह जारी किया गया। वितरक अनुज्ञापन हेतु शुल्क 2500/- है। वर्ष 2011-12 के दौरान जारी वितरक अनुज्ञापन की संख्या 8 (आठ) है और अनुज्ञापन के समक्ष संग्रहित शुल्क 20,000/- रु. है। वर्ष 2010-11 के दौरान जारी वितरक अनुज्ञापन 7 (सात) थी और अनुज्ञापन के समक्ष संग्रहीत शुल्क 17500/- थी। अब तक कुल वितरक अनुज्ञापन की संख्या 65 है।

### 7.4 चाय अवशेष अनुज्ञापन

चाय अवशेष अनुज्ञापन एवं नवीकरण पर चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है। चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959 का प्रमुख उद्देश्य चाय अवशेष के दुरुपयोग को रोकना तथा चाय अवशेष के निपटान को नियमन करना, जिससे उसका लाभदायक उद्देश्यों के लिए उपयोग हो सके। तदनुसार सही व्यक्तियों को ही जिनमें अवशेष क्रेता तथा विक्रेता शामिल है, के आवेदन पत्रों के अन्वेषण तथा जाँच के बाद ही अनज्ञापन जारी किए जाते हैं। इस आदेश के अनसार कोई भी व्यक्ति न तो चाय अवशेष खरीदेगा न भण्डारण करेगा, न बिक्री करेगा, अगर वह इस सम्बन्ध में टी बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापन की शर्तें तथा निबंधनों का पालन नहीं करता है। चाय अवशेष सामान्यतः केफीन और इन्सटैंट चाय निर्माताओं द्वारा प्रयोग की जाती है।

केफीन विनिर्माताओं हेतु चाय अवशेष का प्रयोग विप्राकृत तरीके से प्रयुक्त होता है जबकि इंस्टैंट चाय हेतु विनिर्माता गैर विप्राकृतिक चाय अवशेष का प्रयोग किया जाता है। चाय अवशेष अनुज्ञापन निलम्बित अथवा निरस्त न होने की स्थिति में जारी होने वाले वर्ष के 31 दिसम्बर, तक वैध रहती है एवं प्रत्येक वर्ष नवीकृत की जा सकती है। वर्ष 2011-12 में 93 नए अनुज्ञापन जारी हुए इसके बाबत 9,300/- रू संग्रहीत हुए तथा 742 अनुज्ञापन नवीकृत किए गए जिसमें कुल 37,100/- रु. शुल्क के रूप में संग्रहीत हुए, जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान 46 नए चाय अवशिष्ट अनुज्ञापन जारी हुए संग्रहीत राशि रु. 4600/- तथा 1044 अनुज्ञापन नवीकृत (संग्रहीत राशि रु. 52200) किए गए थे।

भारत सरकार के चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959 के प्रख्यापन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चाय अवशेष के उत्पादन तथा निपाटन पर नजर रखना आवश्यक है जिससे इसके दुरूपयोग को रोका जा सके एवं निपटान को नियमित किया जा सके। इसके लिए टी बोर्ड के निरीक्षकों की एक सीमित संख्या चाय उत्पादन एवं चाय का व्यापार करने वाले इलाके में पदस्थापित की गई है। इस दिशा में टी बोर्ड की गतिविधियों की भूमिका अनुपूरक प्रकृति की है। वास्तव में, एक खाद्य मद के रूप में चाय का अपमिश्रण रोकने का कार्य फुड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथोरिटी आफ इंडिया 2011-12 (पूर्ववर्ती खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 (पीएफए)) के अधीन सम्बन्धित राज्य सरकारों का है, जिनके पास इस कार्य के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मशीनरी है। इसके बावजूद, टी बोर्ड ने अपने निरीक्षकों की सीमित संख्या के होते हुए भी चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश के उल्लंघन के मामले की जाँच की एवं ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई हैं।

31-08-2001 को हुए संशोधन के अनुसार कूनूर व गवाहाटी में स्थित टी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय भी चाय अवशेष अनुज्ञापन जारी कर रहे हैं तथा निज-निज कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने के मामले में चाय अवशेष अनुज्ञापन नवीकृत कर रहे हैं। 5-3-2002 से प्रभावी संशोधन के अनुसार चाय अवशेष व तैयार चाय की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए 2:100 कि.ग्रा. के अनुपात में जब फैक्ट्री में चाय पत्तियों, कलियों व कैमेलियासाईनेसिस (एल) ओ कुण्टजे पौधे की नरम टहनियों से प्रकृमित होती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान चाय अवशिष्ट अनुज्ञापन के नवीकरण/निर्गमण की स्थिति निम्नवत सूचित है :

| क्षेत्र | 100/- की दर से जारी नए अनुज्ञान | | 50/- की दर से नवीकृत अनुज्ञापन | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि(रु.) | संख्या | राशि(रु.) | राशि(रु.) |
| उत्तर भारत | 93 | 9300 | 737 | 36850 | 46150 |
| दक्षिण भारत | शून्य | शून्य | 5 | 250 | 250 |
| अखिल भारत | 93 | 9300 | 742 | 37100 | 46400 |

### 7.5 पंजीकरण–सह-सदस्यता प्रमाणपत्र ( आर.सी.एम.सी )

थोक चाय पैकेट चाय थैलों एवं इन्सटैंट चाय के प्रत्येक पंजीकृत निर्यातक को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु टी बोर्ड के

पास पंजीकृत होना पड़ता है जिससे कि उन्हें भारत सरकार की आयात निर्यात नीति के तहत आयात/निर्यात लाभ की हकदारी का लाभ प्राप्त हो। ऐसे पंजीकृत निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र निःशुल्क आधार पर दिए जाते हैं। दिनांक 01-04-2011 से 31-03-2012 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या जिन्होंने पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त की है, 24 रही जिसकी कुल संख्या लगभग 1150 रही।

### 7.6 चाय ( विपणन ) नियंत्रण आदेश

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 1984 के प्रावधानों के अनुरूप कोई भी व्यक्ति चाय विनिर्माण नहीं करेगा जब तक कि टी बोर्ड द्वारा वैध पंजीकरण न हो जो कि उसके द्वारा नियंत्रित व चाय विनिर्माण इकाई को उसके पास मालिकाना हक हो तो।

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 1984 के प्रावधानों के तहत स्टेक होल्डरों जैसे-विनिर्माता, नीलामी आयोजक व दलालों को भागीदारी/नीलामीकर्त्ता चाय विनिर्माण एवं/या सहभागिता नीलामी आयोजन करने से पूर्व टी बोर्ड से पंजीकरण/अनुज्ञापन प्राप्त करना अपेक्षित है परन्तु मुख्य स्टेक होल्डर यथा क्रेता जो कि नीलामी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है, उक्त आदेश के तहत पंजीकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतएव, क्रेताओं से चाय के क्रय पर कोई भी सूचना प्राप्त करने हेतु कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है जो कि नीलामी केन्द्रों से या बागानों से सीधा चाय खरीदते हैं। प्राथमिक स्तर पर कुल लेन-देन में पारदर्शिता स्थापित करने हेतु (चाय नीलामी व प्रत्यक्ष क्रय) यह आवश्यकता महसूस किया गया कि टी बोर्ड सहित क्रेताओं का पंजीकरण आवश्यक हो।

चाय हेतु गुणवत्ता पालन तथा विनिर्माताओं व हरी चाय पत्तियों के प्रापण/आपूर्ति में लगे लघु चाय उत्पादकों के विषय में टीएमसीओ 1984 में कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः उपर्युक्त हितों को ध्यान में रखते हुए टीएमसीओ 1984 के अधिक्रमण करते हुए टीएमसीओ 2003 का प्रख्यापन 01 जनवरी, 2003 को किया गया जिसके निम्नलिखित प्रधान लक्षण है :

(क) फुटकर चाय के विनिर्माताओं एवं दलालों व नीलामी आयोजकों के अनुज्ञापन व पंजीकरण हेतु विद्यमान प्रावधान थोक चाय के क्रेता व विनिर्माताओं का पंजीकरण के साथ।

(ख) विनिर्माताओं के पंजीकरण के रद्दकरण हेतु विद्यमान प्रावधान क्रेताओं के पंजीकरण का रद्दकरण/निलंबन के साथ।

(ग) विनिर्माताओं/क्रेताओं व दलालों द्वारा पीएफए अधिनियम, 1954 के तहत निर्धारित चाय की गुणवत्ता मानकों का पालन।

(घ) तैयार चाय की बिक्री से प्राप्त धन पर आधारित फुटकर चाय के विनिर्माताओं द्वारा चाय पत्तियों हेतु देय उचित मूल्य निर्धारण।

(ङ) अपने फुटकर बाजार के मार्फत या उपभोक्ताओं अथवा प्रत्यक्ष निर्यात को सीधे दलालों के मार्फत बिक्री के अलावा पंजीकृत क्रेताओं (प्रेषिती या अधिकृतकर्ता सहित) का पंजीकृत विनिर्माताओं द्वारा सार्वजनिक नीलामी के बाहर तैयार चाय की बाध्यता मूलक बिक्री।

(च) संदिग्ध चाय से नमूना आहरित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएफए मानकों के अनुरूप है।

टी एम सी ओ का खण्ड 13 सार्वजनिक नीलामी प्रणाली में दक्षता सुधार करने हेतु नीलामी आयोजकों/दलालों को निर्देशन जारी करने में अनुज्ञापन प्राधिकारी को समर्थन बनाता है। सचिव, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर चर्चा के उपरान्त टी बोर्ड ने चाय के प्राथमिक विपणन पर अध्ययन करने हेतु परामर्शदाता नियुक्त किया जिन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए :—

(क) चाय के प्राथमिक विपणन हेतु प्रधान वाहक के रूप में नीलामी प्रणाली के संरक्षण की आवश्यकता।

(ख) नीलामी सुधार व कार्यान्वयन अग्रताओं की आवश्यकता।

(ग) नीलामी मं विविधता का सृजन (इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के संवर्धन सहित)।

(घ) सुधारोत्तर मुद्दे।

परामशर्मदाता की सिफारिशों के आधार पर, टी बोर्ड ने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 के खण्ड 13 के प्रावधान के तहत सभी लोक चाय नीलामी आयोजकों को 6.1.2003 को निदेश जारी किया कि नीलामी प्रणाली की दक्षता में सुधार हेतु कतिपय नीलामी नियमों का कार्यान्वयन आवश्यक है।

(क) कैटलॉग समापन समय।

(ख) सीधे-बागान से विक्रय की शुरूआत।

(ग) बिडिंग की उन्नत दर।

(घ) बोली का पुनः मुद्रण

(ङ) शीघ्र तिथि

(च) प्रति लॉट नमूने निकालने का परिमाण

(छ) न बिकी वस्तुओं का पुनः मुद्रण तथा पुनः मुद्रित लॉट हेतु नमूने का परिमाण।

(ज) लॉट विभाजन

(झ) प्रॉक्सी बोली।

(ञ) लॉट का आहरण।

(ट) न बिकी लाटों की बिक्री।

(ठ) भंडागार प्रभारों का भुगतान।

इन पर टी बोर्ड द्वारा निदेश जारी किया गया (क) कैटलॉग समापन समय (ख) पूर्व बागान से विक्रय की प्रस्तावना (ग) बिडिंग के विकास की दर (घ) बोली का पुनः मुद्रण (ङ) शीघ्र तिथि (च) प्रति वस्तु सैम्पल मात्रा को निकालना (छ) नहीं बिकी वस्तुओं का पुनः मुद्रण तथा पुनः मुद्रित वस्तु हेतु सैम्पल मात्रा जो कि संव्यवहार समय तथा लागत की कमी लायेगी व नीलामी गति को द्रुत करेगी।

लॉट के विभाजन हेतु प्रतिमानक (ज) प्रॉक्सी बोली हेतु (झ) नियम नीलामी प्रणाली में प्रतिस्पर्धा लाने हेतु है तथा लघु व मध्यम क्रेता व विक्रेता सहित अधिकतम विक्रेताओं की भागीदारी को उत्साहित करना है।

लॉट का आहरण (ट) संबंधित मानक नीलामी में क्रेताओं की भागीदारी को उत्साहित करती हैं, जो कि विक्रेताओं को कैटलागिंग के पश्चात् नीलामी से अपनी वस्तुएं हटाने का निवारण करेगी। वस्तुओं की वापसी क्रेताओं के लिए असुविधाजनक स्थिति के रूप में कारगर सिद्ध हुई है जो कि विक्रय से पूर्व ही विक्रेताओ को अपनी वस्तुएं हटाने की अनुमति देती है। जिसके चलते नीलामी से आवश्यक चाय खरीदार नहीं खरीद सकते।

नहीं बिकी लॉट (ठ) की ब्रिकी से संबंधित मानक बाजार मूल्य खोज के लिए बाधक साबित हो रहा था क्योंकि मूलतः इसे एक से एक को बिक्री एवं क्रेता सदस्यों से प्रतिस्पर्धा हेतु मुक्त नहीं था।

भंडागार प्रभारों (ड) के भुगतान से संबंधित नियम नीलामी से सम्बद्ध दलालों की सेवाओं सहित विनिर्माता (क्रेता) द्वारा रखी गई भंडागार मालिकों को देय भंडागार प्रभार की प्राप्ति को आश्वस्त करता है। यह किसी भी तरह क्रेताओं को प्रभावित नहीं करती, चूँकि नीलामी बिक्री के अनुसार क्रेताओं का भुगतान भंडागार प्रभारों को काटकर दलालों द्वारा विक्रेताओं को दिया जाता है। यह प्रणाली 4/5 वर्ष पूर्व वर्तमान या एवं उसी प्रणाली को पुनः लागू करने से क्रेताओं के हितों को प्रभावित किए बिना भंडागार मालिकों को लाभ पहुँचाएगा।

तदनुसार, भारत सरकार ने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 देखें अधिसूचना सं. एम.ओ. 247(ई.) दिनांक 28.2.2003 एवं सं. एस.ओ. 430(ई) दिनांक 10.04.2003 को संशोधित किया गया जो कि निम्नलिखित प्रयोजन हेतु है :—

1. पूर्व में निर्धारित साठ दिनों के स्थान पर 01.01.2003 से 90 दिनों के भीतर विनिर्माताओं व क्रेताओं को पंजीकृत किया जाना।

2. 50% तक अनुज्ञापन शुल्क/पंजीकरण शुल्क को कम करना।

3. क्रेताओं द्वारा विवरण प्रस्तुतीकरण हेतु अवधि को बदलना जो कि मासिक से त्रैमासिक कर दिया जायेगा। भारत सरकार ने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 को संशोधित किया है देखें अधिसूचना सं. एस.ओ. 270(ई.) दिनांक 27.02.2004 जिसमें अनु. 30 टीएमसीओ का संशोधन खोज व जब्ती से संबंधित पद्धति है जो कि मूल्य सूत्र निर्धारण व अनुपालन संबंधी है।

### 7.7 चाय विनिर्माण इकाई का पंजीकरण

टीएमसीओ 1984 के प्रावधानों के तहत इच्छुक आवेदकों को कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ता था। टीएमसीओ 2003 में यह प्रावधान है कि टी बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त करने हेतु चाय विनिर्माण इकाइयों द्वारा पंजीकरण शुल्क (2500/- रु. की दर से) जमा करना होगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड के चाय विनिर्माण इकाइयों के पक्ष में 26 पंजीकरण प्रदान किए। वर्ष 2011-12 अवधि के दौरान पंजीकरण से कुल संग्रहीत रु. 65,000/- थी। 31.03.2011 तक कुल चाय विनिर्माण इकाई की संख्या 1713 पंजीकृत है।

### 7.8 नीलामी आयोजकों एवं नीलामी दलालों का पंजीकरण

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 का खण्ड 9 यह बंदिश लगाता है कि कोई भी चाय नीलामी का आयोजक बिना टी बोर्ड से अनुज्ञापन प्राप्त किए व्यवसाय आयोजन करने, होल्डिंग करने अथवा लोक चाय नीलामी नहीं चला पाएगा। ऐसे अनुज्ञापन को प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाना अपेक्षित है एवं प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक वैध रहता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान व नौ (09) नीलामी आयोजकों के नवीकरण (500/- रु. की दर से) हेतु कुल राशि 4500/- रु. संग्रहीत की गई ।

टीएमसीओ 2003 का खंड 10 यह अंकुश लगता है कि टी बोर्ड से जारी अनुज्ञापन प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति चाय नीलामी केन्द्र में दलाली का व्यवसाय नहीं चला सकेगा। ऐसे अनुज्ञापन प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक

वैध होगा एवं वार्षिक रूप से नवीकृत किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2011-12 के दौरान टी बोर्ड ने 21 दलालों के अनुज्ञापन नवीकृत किए एवं कोई भी स्वच्छ अनुज्ञापन दलालों के पक्ष में जारी नहीं किया गया। इस अवधि के दौरान कुल संग्रहीत राशि 10,500/- रु. प्राप्त की गई।

### 7.9 इ-नीलामी की स्थिति

अप्रैल, 2009 से केवल भारत में इलेक्ट्रानिक नीलामी का शुभारंभ हुआ। अन्य चाय उत्पादनकारी देशों में मैनुअल ढंग अर्थात 'आउट क्राई' प्रणाली के मार्फत नीलामी के माध्यम से चाय की बिक्री जारी रहा।

**चाय की ई-नीलामी से फायदे**

- वेब आधारित नीलामी के चलते विक्रेताओं की व्यापक प्रतिभागिता।
- किसी भी नीलामी सभागार में सीमित जगह के कारण सीमित संख्या में कायिक नीलामी प्रणाली में बोलीकर्ता/क्रेताओं की व्यापक प्रतिभागिता हेतु ई-नीलामी सुविधा प्रदान करती है।
- ई-नीलामी न्याय संगत मूल्यों को आश्वस्त करती चूंकि ई-नीलामी उत्पाद के गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक वांछित मूल्य स्तर पर आवश्यक उत्पादन क्रय करने हेतु क्रेता/बोलीकर्ता को सुविधा प्रदान करता है, उक्त उत्पाद के सामग्रिक मांग-पूर्ति स्तर को देखता है एवं किसी भी समय पर क्रय हेतु प्राप्त उच्चतम के विरुद्ध ऐसे उत्पाद हेतु क्रेता के उच्चतम आवश्यकता सीमा के स्तर को सुविधा प्रदान करना।
- नीलामी क्रय सूचना के प्रसारण में सुधार।
- पूर्व नीलामी, नीलामी पद्धति व नीलामी कार्यकलापों के लिए संव्यवहार समय व लागत में कटौती।
- नीलामी इतिहास व उसके विश्लेषण का आसानी से उपलब्धिकरण हेतु क्रेताओं व अन्य स्टॉक होल्डरों को योजना मुहैया कराना।
- 17 जून, 2009 से चूर्ण कोटि के चाय हेतु 100 प्रतिशत ई-नीलामी के सीधे प्रसारण का प्रारंभ हो गया था। इसके अतिरिक्त 8 अप्रैल, 2010 से सीटीसी पत्ते के चाय हेतु 100 प्रतिशत ई-नीलामी का प्रारंभ हो गया है।
- जबकि कूनूर, कोयम्बटूर एवं कोचीन निलामी केन्द्र पत्ते एवं चूर्ण कोटि के चाय दोनों हेतु मई/जुलाई, 2009 से सम्पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, 17 अप्रैल, 2010 से सिलिगुड़ी चाय निलामी केन्द्र द्वारा विक्रय हेतु प्रारंभिक तौर पर 50 प्रतिशत चूर्ण चाय की लॉट एवं पत्ते चाय का हजार लॉट रखा गया है।
- 20 मई, 2009 से चूर्ण कोटि के चाय हेतु 100 प्रतिशत ई-नीलामी के सीधे प्रसारण का प्रारंभ हो गया है, 2010 के प्रथम विक्रय से पत्ती चाय हेतु 100 प्रतिशत ई-नीलामी की शुरुआत गुवाहाटी चाय नीलामी केन्द्र है।
- जलपाईगुड़ी चाय नीलामी केन्द्र में साधारण नीलामी एवं 'त्वरित नीलामी' चलाने के प्रयोजन हेतु कस्टमाइजड सॉफ्टवेयर 14 अगस्त, 2010 को जारी की गई है।
- 10 सितम्बर, 2010 से 'इंस्टैंट नीलामी' से 'साधारण नीलामी' विपरितत: प्रवास की सुविधा का प्रारंभ हुआ है।
- 27 नवम्बर, 2010 से बिडिंग समय के दौरान नीलामी क्रेताओं द्वारा 'एकसमान टिक आकार' सुविधा का प्रयोग किया जा रहा है।
- 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक समृद्ध/अशोधित कार्यकलापं की संख्या 38 थी। 06 नवम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2011 के दौरान कार्यकलापों की कुल संख्या 284 थी।

**बोली के संबंध में ई-नीलामी की वर्तमान गतिविधियाँ**

- सूचीपत्र समापन तिथि उपरान्त और नीलामी बिक्री तिथि पूर्व ई-नीलामी सूचीपत्र नीलामी क्रेता हेतु उपलब्ध है।
- नीलामी बिक्री तिथि पर ई-नीलामी सत्र के प्रारम्भ में बोली लगाने हेतु उपलब्ध सभी लॉटो पर क्रेताओं को बोली लगाने के लिए 'निम्नतम बोली समय' की अनुमति है। यह समय नीलामी आयोजक द्वारा विन्यासीत है।
- तत्पश्चात् 'सक्रिय लॉट समय' जो नीलामी आयोजक द्वारा विन्यासीत है लॉटो की संख्या सहित किसी भी सक्रिय लॉट अवधि के दौरान क्रेता को ऐसे सक्रिय लॉट पर समांतर बोली लगाने की अनुमति है।
- प्रत्येक सक्रिय लॉट अवधि के समाप्ति पर यदि आरक्षित मूल्य या उससे अधिक मूल्य पाया गया तो लॉट को बोली लगाने वाले को सौंप दिया जायेगा। यह सक्रिय लॉट अवधि ई-सूचीपत्र में उपस्थित सभी लॉटो की समाप्ति तक जारी रहेगी।
- ई-नीलामी सूचीपत्र से 'सक्रिय लॉटो' का स्वत: चयन की प्रक्रिया के माध्यम से लॉटो का 'नॉकिग डॉउन'।

- उक्त लॉट हेतु 'प्राथमिक नॉकिंग डाउन अवधि' के अंतिम 5 सेकेण्ड तक यदि कोई बोली पंजीकृत होता है तो किसी भी लॉट हेतु 5 सेकेण्ड में दोबार । 'नॉकिंग डॉउन अवधि के स्वतः बढ़त सुविधा।

**वर्तमान स्थिति**

**ई-नीलामी केन्द्र की वर्तमान स्थिति नीचे दिया गया है :**

| ई-नीलामी केन्द्रों की स्थिति | |
|---|---|
| **नीलामी केन्द्र** | **वर्तमान स्थिति** |
| कोलकाता चाय नीलामी केन्द्र | सीटीसी पत्ती, अर्थोडॉक्स पत्ती और सभी अवशिष्ट चाय श्रेणी हेतु पूर्ण प्रकार्यात्मक |
| गुवाहाटी चाय नीलामी केन्द्र | सभी प्रकार की चाय और सभी श्रेणी की चाय हेतु पूर्णतः प्रकार्यात्मक |
| सिलिगुड़ी चाय नीलामी केन्द्र | सभी प्रकार की चाय और सभी श्रेणी की चाय हेतु पूर्णतः प्रकार्यात्मक |
| कोयम्बटूर चाय नीलामी केन्द्र | सभी प्रकार की चाय और सभी श्रेणी की चाय हेतु पूर्णतः प्रकार्यात्मक |
| कोचीन चाय नीलामी केन्द्र | सभी प्रकार की चाय और सभी श्रेणी की चाय हेतु पूर्णतः प्रकार्यात्मक |
| कूनूर चाय नीलामी केन्द्र | सभी प्रकार की चाय और सभी श्रेणी की चाय हेतु पूर्णतः प्रकार्यात्मक |
| जलपाईगुड़ी चाय नीलामी केन्द्र | 'तत्काल नीलामी पद्धति' के तहत सभी प्रकार की चाय और सभी श्रेणी की चाय हेतु पूर्णतः प्रकार्यात्मक |

वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान ई-नीलामी के द्वारा चाय का विक्रय :—

| नीलामी केन्द्र | अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 | | अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| | मात्रा(कि.ग्रा) | मूल्य ₹ | मात्रा(कि.ग्रा) | मूल्य ₹ |
| कोलकाता लीफ | 105205496.03 | 126.47 | 8,21,60,585.89 | 122.93 |
| कोलकाता इस्ट | 40797010.21 | 119.27 | 3,61,27,589.76 | 121.89 |
| कुल कोलकाता | **146002506.24** | **124.46** | **11,82,88,175.65** | **122,61** |
| गुवाहाटी लीफ | 84591850.30 | 109.29 | 8,14,84,638.30 | 111.73 |
| गुवाहाटी डस्ट | 39126462.36 | 107.13 | 3,61,85,077.65 | 114.44 |
| कुल गुवाहाटी | **123718312.66** | **108.61** | **11,76,69,715.95** | **112.56** |
| सिलिगुड़ी लीफ | 80276686.31 | 105.43 | 5,63,43,903.68 | 102.99 |
| सिलिगुड़ी डस्ट | 12866468.48 | 95.12 | 95,97,748.13 | 98.70 |
| कुल सिलिगुड़ी | **93143154.79** | **104.01** | **6,59,41,651.81** | **102.37** |
| कोचीन लीफ | 8819125.30 | 78.20 | 1,08,30,307.30 | 78.12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| कोचीन डस्ट | 43639366.20 | 81.19 | 4,54,92,206.80 | 81.53 |
| कुल कोचीन | **52458491.50** | **80.69** | **5,63,22,514.10** | **80.88** |
| कूनूर लीफ | 35788950.10 | 61.95 | 3,29,47,296.18 | 60.60 |
| कूनूर डस्ट | 15146845.04 | 64.75 | 1,54,52,651.26 | 63.87 |
| कुल कूनूर | **50935795.14** | **62.78** | **4,83,99,947.44** | **61.64** |
| कोयम्बटूर लीफ | 5820725.80 | 61.03 | 82,06,545.02 | 59.73 |
| कोयम्बटूर डस्ट | 10332626.70 | 66.51 | 1,18,80,028.12 | 67.19 |
| कुल कोयम्बटूर | **16153352.50** | **64.53** | **2,00,86,573.14** | **64.14** |
| **कुल योग** | **482411612.83** | **103.17** | **42,67,08,578.09** | **101.54** |

### 7.10 क्रेताओं का पंजीकरण

टीएमसीओ 2003 के खण्ड 4(1) में यह अनुबंध है कि कोई भी क्रेता (भारत में चाय व्यापार के स्थान सहित) टी बोर्ड द्वारा अनुज्ञापित लोक चाय नीलामी से चाय क्रय नहीं करेगा अथवा चाय के विनिर्माता से सीधा नहीं खरीदेगा जब तक कि उसके पास टी बोर्ड से प्राप्त विधिमान्य पंजीकरण न हो।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र जो टी बोर्ड द्वारा एक बार ही प्रदान किया जाता है निलंबन नहीं होने की स्थिति तक विधिमान्य रहता है। समीक्षाधीन वर्ष 2011-12 के दौरान 174 क्रेताओं ने टी बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त किया। कुल संग्रहीत राशि 4,35,000/- रु. थी। 31.3.2012 तक टीएमसीओ 2003 के तहत टी बोर्ड सहित कुल पंजीकृत क्रेताओं की संख्या 6268 है।

### 7.11 दार्जिलिंग चाय के निर्यात के प्रति जारी स्त्रोत प्रमाणपत्र

2011-12 के दौरान दार्जिलिंग चाय के निर्यात के प्रति टी बोर्ड द्वारा जारी स्त्रोत प्रमाणपत्र की कुल संख्या 2643 थी इसके विपरित 2010-11 की समान अवधि में 1891 जारी किए गए थे।

### 7.12 स्वादयुक्त चाय विनिर्माताओं का पंजीकरण

घरेलू बाजार में स्वादयुक्त चाय की बिक्री लम्बे समय तक बन्द रही। इसका कारण नीलगिरि चाय एम्पोरियम बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश थे। भारत सरकार ने घरेलू बाजार में स्वादयुक्त चाय की बिक्री के मामले की जाँच की तथा खाद्य मानक की केन्द्रीय समिति के विशेषज्ञों से सलाह परामर्श के बाद चाय में अतिरिक्त स्वाद मिलाने को स्वीकार किया।

तदोपरान्त, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 7 दिसम्बर, 1994 को एक अधिसूचना सं. जी एस आर 847(ई) के द्वारा पी.एफ.ए. नियम, 1955 को संशोधित कर दिया। इस संशोधन के प्रावधानों के अनुसार स्वादयुक्त चाय बिक्री की शर्तें निम्नलिखित रूप में अधिसूचित की गई है।

(i) स्वादयुक्त चाय केवल उन विनिर्माताओं द्वारा बेची जाएगी या बिक्री के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी जो टी बोर्ड द्वारा पंजीकृत हैं। लेबल पर पंजीकरण संख्या का उल्लेख होना चाहिए।

(ii) इसे केवल पैकेटकृत अवस्था में बेचा जाना चाहिए जिसमें लेबल घोषणा निम्नवत हो (अ) स्वादयुक्त चाय स्वीकृत स्वाद का सामान्य नाम/प्रतिशत/पंजीकरण संख्या शुरूआत दौर में केवल एक ही स्वाद अर्थात् वेलिनीन ही 8.5 प्रतिशत की वजन तक स्वाद मिलाकर बेचने की अनुमति घेरलू बाजार के लिए दी गई थी।

तत्पश्चात् भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. जीएसआर 698(ई) दिनांक 26/10/1995 जारी कर वैनिलीन के अलावा कुछ और स्वाद मिलाने की अनुमति दे दी है एवं उन तत्वों को चाय के स्वाद में मिलाने की प्रतिशत

नीचे उल्लेख किया गया है :—

| स्वाद | % वजन द्वारा ( अधिकतम ) |
|---|---|
| वैनिलीन | 8.5 |
| इलायची | 2.8 |
| अदरक | 1.0 |
| बर्गामोट | 2.0 |

(ग) तब ही विनिर्माताओं का पंजीकरण किया जाएगा।

वस्तुतः दिनांक 11.10.1999 को किए गए संशोधन का उद्देश्य वर्तमान प्रक्रिया के साथ संयोजन कर चाय स्वाद के इस्तेमाल के दायरे को बढ़ाने के लिए एवं पीएफए के नियम 63 में उल्लिखित परिभाषा अपरिवर्तनीय है जो चाय सहित सभी खाद्य मद के लिए प्रयोज्य है। पीएफए नियम के नियम 63 में उल्लिखित परिभाषा से जब कोई खाद्य पदार्थ में जानवर मूल के स्वाद

वर्ष 2011-12 के दौरान जारी परमिटों की स्थिति निम्नवत है :

| क्षेत्र | विस्तार परमिट | | प्रतिस्थापन परमिट | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | क्षेत्र हेक्टेयर में | संख्या | (क्षेत्र हेक्टेयर में) |
| उत्तर भारत एसजी | 1 | 7.60 | 26 | 171.62 |
| उत्तर भारत बीजी | 1 | 12.89 | 87 | 1660.38 |
| दक्षिण भारत एसजी | 3 | 1.7 | शून्य | शून्य |
| दक्षिण भारत बीजी | शून्य | शून्य | 5 | 56.42 |
| कुल सर्वभारतीय | 5 | 22.19 | 118 | 1888.42 |

**चाय रोपण हेतु अनुमति :**

चाय संपदाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के अभिलेखीकरण सहित नवागत के रूप में चाय संपदाओं के पक्ष में चाय रोपण हेतु अनुमति अनुज्ञापन शाखा प्रदान कर रही है। वर्ष 2011-12 के दौरान स्थिति निम्नवत है : (31/03/2012 तक)

| | उत्तर भारत | | दक्षिण भारत | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्वामित्व में परिवर्तन | 35 | | शून्य | | 35 | |
| उत्तर भारत | दक्षिण भारत | | कुल | | | |
| | सं. | क्षे.हे. में | सं. | क्षे.हे. में | सं. | क्षे.हे. में |
| क. गैर पारम्परिक चाय उत्पादकारी चाय उत्पादन क्षेत्र में (10.12 हे. तक) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ख. गैर पारम्परिक चाय उत्पादकारी क्षेत्र में (10.12 के ऊपर है) | 1 | 116.72 | शून्य | शून्य | 1 | 116.72 |
| ग. गैर पारम्परिक चाय उत्पादकारी क्षेत्र में (10.12 हे. तक) | 41 | 55.674 | 188 | 116.0135 | 204 | 152.9725 |
| घ. गैर पारम्परिक चाय उत्पादकारी क्षेत्र के अतिरिक्त (10.12 हे. के ऊपर) | 6 | 315.47 | 3 | 47.00 | 15 | 772.694 |

**7.14 चाय भंडारण अनुज्ञापन**

चाय भंडारण (अनुज्ञापन) आदेश 1989 के तहत चाय भंडारण अनुज्ञापन के जारी को अनुज्ञापन शाखा देखती है। वर्ष 2011-12 के दौरान चाय भंडारण चाय भंडारण अनुज्ञापन के नवीकरण की स्थिति निम्नवत है—

| क्षेत्र | जारी नए अनुज्ञापन @ ₹ 1,000/- | | अनुज्ञापन नवीकृत 200/- रु. की दर से | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | सं. | राशि ( रु. ) | सं. | राशि ( रु. ) | राशि ( रु. ) |
| उत्तर भारत | 20 | 20,000 | 110 | 22,000 | 42,000 |
| दक्षिण भारत | 10 | 10,000 | 47 | 9,400 | 19,400 |
| अखिल भारत | 30 | 30,000 | 157 | 31,400 | 61,400 |

**चाय ( विपणन ) नियंत्रण आदेश, 2003**

2011-12 के दौरान चाय निर्माणी इकाई का पंजीकरण—26 (2010-11 में 25)

2011-12 के दौरान नीलामी आयोजक का पंजीकरण—शून्य (2010-11 में **शून्य**)

2011-12 के दौरान नीलामी आयोजक का नवीनीकरण—09 (2010-11 में 10)

2011-12 के दौरान नीलामी ब्रोकर्स का पंजीकरण—शून्य (2010-11 में शून्य)

2011-12 के दौरान नीलामी ब्रोकर्स का नवीनीकरण—21 (2010-11 में 22)

2011-12 के दौरान क्रेताओं का पंजीकरण—174 (2010-11 में 182)

**चाय ( वितरण व निर्यात ) नियंत्रण आदेश**

2011-12 में जारी नई/अस्थाई निर्यातक अनुज्ञापन—101 (2010-11 में 103)

2011-12 में जारी अस्थाई निर्यातक अनुज्ञापन का नवीनीकरण—60 (2010-11 में 38)

2011-12 में स्थाई निर्यातक अनुज्ञापन (अस्थायी से परिवर्तित)—शून्य (2010-11 में **शून्य**)

2011-12 में जारी वितरक अनुज्ञापन—8 (2010-11 में 7)

(यह सभी चाय निर्यातकों हेतु जारी किया गया जो पुर्ननिर्यात या आंतरिक बिक्री हेतु आयातित चाय हेतु विधित निर्यात अनुज्ञापन धारक हैं।)

**अवशिष्ट चाय ( नियंत्रण ) आदेश, 1959**

2011-12 के दौरान जारी अवशिष्ट चाय अनुज्ञापन—93 (2010-11 में 46)

2011-12 के दौरान नवीकृत अवशिष्ट चाय अनुज्ञापन—742 (2010-11 में 1044)

**चाय भण्डारण ( अनुज्ञापन ) आदेश, 1989**

2011-12 के दौरान जारी नई चाय भण्डारण अनुज्ञापन—30 (2010-11 में 25)

2011-12 के दौरान नवीकृत भण्डारण अनुज्ञापन—157 (2010-11 में 121)

अतिरिक्त स्वाद वर्धित चाय के 115 निर्माताओं के पक्ष में 31 मार्च, 2011 तक अनुज्ञापन शाखा ने पंजीकरण स्वीकार किया। 2011-12 के दौरान चाय के 27 विनिर्माताओं को स्वाद वर्धित विनिर्माता के रूप में पंजीकृत किया गया इनकी संख्या 2011-12 के अंत तक कुल 142 थी।

# सांख्यिकी

## प्रस्तावना

चाय बोर्ड के सांख्यिकी शाखा का प्राथमिक कार्य - चाय उद्योग के सभी पहलुओं के संबंध में परिवपन एवं समावलोकन कर सांख्यिकिक सूचना संग्रह करना तथा कृषि , उत्पादन, उत्पादकता, देश में उत्पादित चाय की किस्मों, प्राथमिक बाजार मूल्य, निर्यात एवं निर्यात हेतु गंतव्य स्थल, कर एवं चाय पर लगने वाले उपकर चाय रोपण से संबद्ध श्रमिकों की नियुक्ति आदि के अंतर्गत सभी सूचनाओं को एकत्रित करना है । ऐसी सूचनाएं बोर्ड की एवं उद्योग तथा भारत सरकार की नीति निर्णय प्रक्रिया में आवश्यक अभिसूचना उपलब्ध करवाता है ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राज्य बिक्री कर, केन्द्रीय कर, निर्यात प्रोत्साहन, आयात-निर्यात नीति, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 इत्यादि की भी जाँच सांख्यिकी शाखा में होती है ।

## प्रकाशन

सांख्यिकी शाखा का प्रकाशन यथा 'चाय सांख्यिकी' जो चाय उद्योग , व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय चाय की परिस्थिति संबंधी समस्त सूचनाओं को संग्रह कर व्यापक रूप से सजा-संवारकर तैयार किया जाता है ।

साप्ताहिक नीलामी मूल्य, मासिक उत्पादन एवं निर्यात संबंधी सूचनाओं को बोर्ड के वेबसाइट www.teaboard.gov.in पर अपलोड किया जाता है ।

## चाय मूल्यों का अनुवीक्षण

बोर्ड की सांख्यिकीय शाखा द्वारा वाणिज्य विभाग एवं उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय को क्रमशः रोपण फसलों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) के मामले में अपेक्षित नीलामी मूल्यों संबंधी सूचना मुहैया की जाती है । विभिन्न शहरों/ नगरों में खुदरा चाय मूल्य का अनुवीक्षण भी सांख्यिकी शाखा द्वारा की जाती है ।

## कर एवं शुल्क

**उत्पाद शुल्कः** इंस्टैंट चाय पर 10 प्रतिशत यथामूल्य 2101.20 के तहत आता है ।

**निर्यात शुल्कः** शून्य

आयात शुल्कः पुनः निर्यात के प्रयोजन हेतु एक्सपोर्ट ओरियेनटेड यूनिट (ई ओ यू) एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) इकाईयों द्वारा निर्यातित चाय शून्य है यद्यपि, घरेलू बाजार हेतु निर्यातित चाय 100 प्रतिशत मूल आयात शुल्क के साथ 10 प्रतिशत अधिभार सहित मूल शुल्क व अधिभार पर 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क आकर्षित करती है (1 मार्च, 2002से) प्रति कैलेंडर वर्ष में 15 मि.कि.ग्रा. की मात्रा तक श्रीलंका से आयात पर मूल शुल्क पर 7.5 प्रतिशत के रियायती दर के साथ अन्य सामान्य अधिकार लागू होगा ।

**चाय उपकर :** चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25(1) के तहत भारत में सभी चाय उत्पादनों पर उपकर लागू होता है । 31.05.2011 की अवधि हेतु प्रति किलोग्राम चाय पर 30 पैसे का उपकर लागू किया गया, इसमें दार्जिलिंग चाय पर प्रति किलोग्राम 12 पैसे उपकर लागू किया गया । दार्जिलिंग को छोड़कर भारत में उत्पादित सभी चायों के लिए प्रति किलोग्राम उपकर की दर 1 जून, 2011 से क्रमशः 50 पैसे एवं 20 पैसे की वृद्धि हुई है ।

## 2011-12 के दौरान चाय उद्योग एवं व्यवसाय की स्थिति

### 31.12.2011 में क्षेत्र के अनुसार एवं 2011-12 में उत्पादन

| राज्य/जिला | चाय के अधीन क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में) | उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.) |
|---|---|---|
| असम वैली | 285.83 | 453.12 |
| कच्छार | 36.38 | 48.30 |
| **कुल असम** | **322.21** | **501.42** |
| दार्जिलिंग | 17.82 | 9.62 |
| डुआर्स | 72.92 | 142.92 |
| तेराई | 24.36 | 73.15 |
| **कुल पश्चिम बंगाल** | **115.10** | **225.69** |
| अन्य उत्तर भारतीय राज्य (त्रिपुरा, उत्तराखंड, बिहार, मणिपुर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम एवं उड़ीसा शामिल है) | 22.30 | 12.30 |
| **कुल उत्तर भारत** | **459.61** | **739.41** |
| तमिल नाडू | 80.46 | 164.63 |
| केरल | 37.14 | 66.91 |
| कर्नाटक | 2.14 | 5.28 |
| **कुल दक्षिण भारत** | **119.74** | **236.82** |
| **कुल योग** | **579.35** | **976.23** |

### गत वित्तीय तीन वर्षों के दौरान भारत में चाय का उत्पादन

(मि.कि.ग्रा. में)

| वर्ष | उत्तर भारत | दक्षिण भारत | अखिल भारत |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 734.38 | 256.80 | 991.18 |
| 2010-11 | 728.52 | 238.21 | 966.73 |
| 2011.12 | 739.42 | 236.81 | 976.23 |

गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में चाय का उत्पादन

(मि.कि.ग्रा. में)

| श्रेणीवार | उत्तर भारत | दक्षिण भारत | अखिल भारत |
|---|---|---|---|
| सी टी सी | 652.42 | 202.61 | 855.03 |
| अर्थोडोक्स (दार्जिलिंग + हरी) | 95.02 | 38.28 | 133.30 |
| कुल | 747.44 | 240.89 | 988.33 |

भारत से चाय का निर्यात

मि.कि.ग्रा. में मात्रा रु. करोड़ में मूल्य  रु./कि.ग्रा. में इकाई मूल्य

| वर्ष | उत्तर भारत | | | दक्षिण भारत | | | अखिल भारत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | यू.पी. | मात्रा | मूल्य | यू.पी. | मात्रा | मूल्य | यू.पी. |
| 2009-10 | 122.59 | 2001.96 | 163.26 | 90.84 | 1037.33 | 114.19 | 213.43 | 3038.69 | 142.37 |
| 2010-11 | 115.02 | 2045.21 | 177.81 | 98.77 | 950.58 | 96.24 | 213.79 | 2995.79 | 140.13 |
| 2011-12 | 118.03 | 2295.11 | 194.45 | 91.01 | 917.78 | 100.84 | 209.04 | 3212.89 | 153.70 |

वर्ष 2011 में भारतीय चाय निर्यात की दिशा

उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि पाकिस्तान में होने वाली चाय का निर्यात वर्ष 2001 में 3 मि. कि. ग्रा. से भी कम की मात्रा बढ़कर 2011 में 25 मि. कि. ग्रा. हो गई

पाकिस्तान के निर्यात उल्लेखनीय विकास है—2001 में 3 मि.कि.ग्रा. से भी कम की तुलना 2011 में 25 मि.कि.ग्रा. की वृद्धि हुई

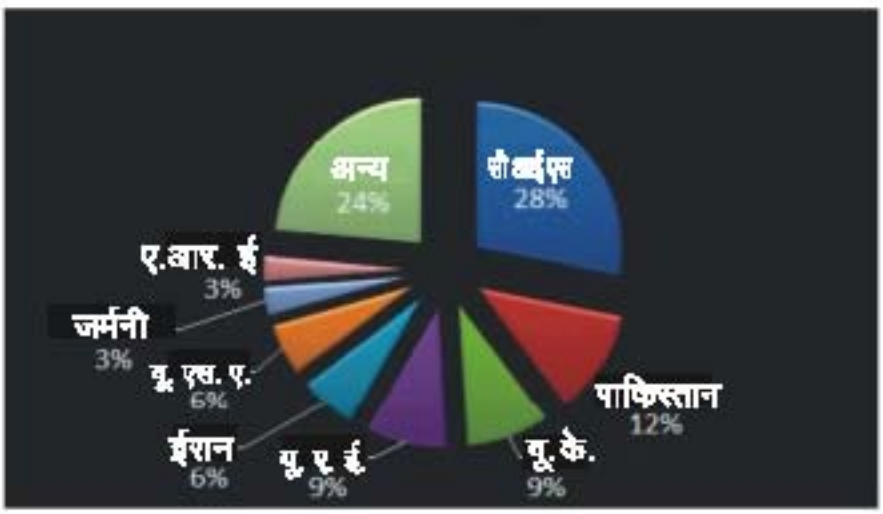

## गत 10 वर्षों में चाय का निर्यात

## 1950 से चाय का निर्यात

गत छह दशक की तुलना में निर्यात की मात्रा लगभग 200 मि.कि. ग्रा. के इर्द-गिर्द रहा।

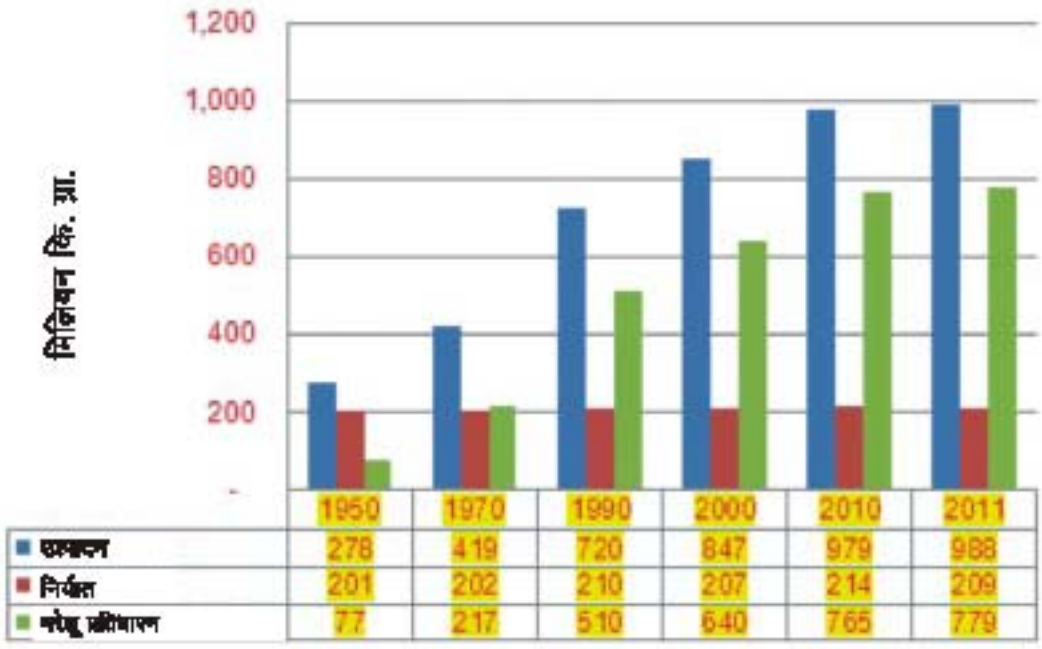

भारत में चाय का आयात

| वर्ष | मात्रा (मि.कि.ग्रा.) | सीआईएफ मूल्य (रु. करोड़) | इकाई मूल्य (रु./कि.ग्रा.) | सीआईएफ मूल्य (मि.यूएस डालर) | इकाई मूल्य (यूएस डालर/कि.ग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.2010 | 25.84 | 214.44 | 82.97 | 45.01 | 1.74 |
| 2010-2011 | 19.26 | 186.82 | 97.02 | 41.02 | 2.13 |
| 2011-2012 | 19.21 | 186.04 | 96.85 | 38.85 | 2.02 |

**नीलामी पर चाय मूल्य**

| वर्ष | उत्तर भारत | | दक्षिण भारत | | अखिल भारत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा (मि.कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (रु./किग्रा.) | मात्रा (मि.कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (रु./किग्रा.) | मात्रा (मि.कि.ग्रा.) | औसत मूल्य (रु./किग्रा.) |
| 2009.2010 | 378.29 | 116.46 | 146.44 | 80.26 | 524.73 | 106.36 |
| 2010-2011 | 330.47 | 120.18 | 150.11 | 68.37 | 526.58 | 105.40 |
| 2011-2012 | 390.34 | 117.01 | 151.49 | 70.26 | 541.83 | 103.94 |

**चाय संपदाओं पर श्रमिकों की पंजिका**

| राज्य | स्थायी श्रमिक | | | अस्थायी श्रमिक | | | कुल(स्थायी +अस्थायी) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | स्त्री | कुल | पुरुष | स्त्री | कुल | पुरुष | स्त्री | कुल |
| उत्तर भारत | 307111 | 328019 | 635130 | 155057 | 224263 | 379320 | 462168 | 552282 | 1014450 |
| दक्षिण भारत | 30788 | 44730 | 75518 | 7410 | 12958 | 20368 | 38198 | 57688 | 95886 |
| अखिल भारत | 337899 | 372749 | 710648 | 162467 | 237221 | 399688 | 500366 | 609970 | 1110336 |

वर्ष 2011 में मुख्य चाय उत्पादक देशों की उत्पादन की हिस्सेदारी

| देश | 2011 | कुल उत्पादन में हिस्सेदारी (%) | दशाब्दी वृद्धि (2001 की तुलना मे 2011) |
|---|---|---|---|
| चीन | 1623.21 | 38 | 8.75 |
| भारत | 988.33 | 23 | 1.47 |
| केन्या | 377.91 | 9 | 2.52 |
| श्री लंका | 328.63 | 8 | 1.04 |
| वितनाम | 178 | 4 | 8.77 |
| इंडोनेशिवा | 119.65 | 3 | -0.03 |
| बांगलादेश | 59.32 | 1 | 0.43 |
| मालावी | 47.06 | 1 | 2.50 |
| यूगाण्डा | 54.18 | 1 | 5.00 |
| तंजानिया | 32.78 | 1 | 2.85 |
| अन्य | 490.15 | 11 | |
| कुल | 4299.22 | 100 | |

स्रोत आई सी वार्षिक बुलेटिन 2012

वर्ष 2011 में मुख्य उत्पादनकारी देशों द्वारा निर्यात में हिस्सेदारी

| देश | 2011 | कुल निर्यात में हिस्सेदारी % | दशाब्दी वृद्धि 2001 की (तुलना में 2011 ) |
|---|---|---|---|
| केन्या | 421.27 | 24 | 4.54 |
| चीन | 322.58 | 18 | 2.59 |
| श्रीलंका | 301.27 | 17 | 0.47 |
| भारत | 211.91 | 12 | 1.50 |
| वियतनाम | 143 | 8 | 7.68 |
| इंडोनेशिया | 75.45 | 4 | -2.75 |
| मालावी | 44.89 | 3 | 1.61 |
| यूगाण्डा | 46.15 | 3 | 4.25 |
| तंजानिया | 27.11 | 2 | 2.08 |
| बंगलादेश | 1.45 | 0 | -19.63 |
| अन्य | 154.44 | 9 | |
| कुल | 1749.52 | 100 | |

श्रोत : आईटीसी वार्षिक बुलेटिन, 2012

## विश्व नीलामी में बिकी चाय मूल्यः

| वर्ष | अंतर्राष्ट्रीय मूल्य (यूएस ($/कि. ग्रा) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारत | बांगलादेश | श्री लंका | इडोनेशिया | केन्या | लिम्बे |
| 2010 | 2.29 | 2.61 | 3.28 | 1.82 | 2.54 | 1.58 |
| 2011 | 2.23 | 2.14 | 3.25 | 1.97 | 2.72 | 1.61 |

विश्व नीलामी बनाम भारत में चाय का मूल्य

औसत मूल्य यू एस $ / किलो. ग्रा.

| नीलामी केन्द्र | 2011 | औसत मूल्य में 2001 की तुलना में 2011 की दशाब्दी वृद्धि |
|---|---|---|
| उत्तर भारत | 2.51 | 5.42 |
| क्षिण भारत | 1.50 | 4.35 |
| खिल भारत | 2.23 | 5.46 |
| ांगलादेश | 2.14 | 7.29 |
| ी लंका | 3.25 | 7.28 |
| डोनेशिया | 1.97 | 7.34 |
| न्या | 2.72 | 5.92 |
| ालावी | 1.61 | 6.35 |

श्व में चाय की मांग एवं आपूर्ति

(आंकड़ा मि. किग्रा. में)

| वर्ष | विध आपूर्ति | विख मांग | (+) या (-) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4170 | 3975 | 195 |
| 2011 | 4299 | 4106 | 193 |

स्रोत : आईटीसी वार्षिक बुलेटिन 2012

# श्रम कल्याण

## 9. प्रस्तावना

टी बोर्ड की श्रम कल्याण शाखा चाय रोपण कर्मियों व उनके आश्रितों के हितार्थ कतिपय कल्याण कार्यक्रमों व योजनाओं को चलाती है। बोर्ड द्वारा चलाई जा रही श्रम कल्याण गतिविधियाँ अनुपूरक प्रकृति की है व इस प्रकार रुपायित की गई हैं कि वे उन क्षेत्रों पर लागू हों जिनपर रोपण श्रम अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं।

## 9.1 उद्देश्य

बोर्ड के श्रम कल्याण कार्यकलाप मानव संसाधन विकास योजना के निधि के मार्फत किया जाता है। मानव संसाधन विकास योजना का लक्ष्य है चाय रोपण श्रमिकों व उनके आश्रितों के जीवन स्तरों में सुधार लाना। इन कार्यकलापों को तीन प्रधान शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है, यथा—(1) स्वास्थ्य (2) शिक्षा एवं (3) प्रशिक्षण योजनाएं। जबकि स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप/योजनाओं का लक्ष्य है चाय रोपण कर्मियों व उनके आश्रितों के साधारण स्वास्थ्य में सुधार लाना, शिक्षा संबंधी योजनाएं व कार्य, चाय रोपण कर्मियों व उनके निर्भरशील हेतु केवल मात्र मूल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा मुहैया करवाना भी है। प्रशिक्षण योजनाओं के तहत कर्मी, श्रमिक, कार्यालय व प्रबंधकीय कर्मचारी, प्रबंधक इत्यादि को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उत्पादकता में अंततः कार्यकुशलता का सुधार हो सके। चाय क्षेत्रों से बाहर वैकल्पिक रोजगार हेतु चाय बागान के कर्मचारियों व उनके संतानों एवं आश्रितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। मानव संसाधन विकास योजना के अधीन वर्ष 2011-12 के दौरान श्रम कल्याण योजनाओं हेतु रु. 2,76,90,351/- की धनराशि को वितरित किया गया।

## 9.2 स्वास्थ्य

स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों के तहत, बोर्ड द्वारा चाय बागानों में अवस्थित अस्पतालों व साधारण अस्पतालों, क्लिनिकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। चाय बागान में रहने वाले रोगियों विशेषकर गैर-परम्परागत क्षेत्रों के रोगियों को वहन करने हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है जो कि सामग्री सहित एम्बुलेन्स/चिकित्सा उपकरण/औजार क्रय हेतु होती है। जटिल रोगों से ग्रसित जैसे कैन्सर कार्डियो वस्कुलर रोग किडनी बीमारियों से पीड़ित उपचार हेतु रोपण कर्मियों व उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु. 12,91,571/- की धनराशि वितरित किया गया है।

चाय बागान की आबादी वाले क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास व थेरापी सेन्टर चलाने वाली संस्थाओं को भवन निर्माण, उपस्कर क्रय व संबंधित सामग्री क्रय की दिशा बोर्ड द्वारा उन संस्थानों को पूंजीगत अनुदान प्रदान करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस योजना के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया गया।

बोर्ड ने विकलांग रोपण कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों हेतु वित्तीय सहायता योजना प्रारंभ की है। इसके अधीन उन्हें बैशाखी, कृत्रिम अंग (लकड़ी), कैलीपर के जूते, श्रवण यंत्र, व्हील कुर्सी तथा तिपहिया साईकिल आदि खरीदने हेतु सहायता दी जाती है। तथापि इस योजना के अधीन अधिकतम भुगतान 2500/- रु. तक प्रति व्यक्ति सीमित है। वर्ष के दौरान श्रावण यंत्र हेतु एक आवेदन की संस्वीकृति की गई।

विभिन्न चाय संघों व अन्यों को परिवार कल्याण, शिक्षा कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों को प्रदत्त सहायताओं का विवरण निम्नवत है :—

### *(i) एस.बी. दे सेनेटोरियम :*

बोर्ड ने कर्सियांग, दार्जिलिंग में एस.बी. दे. सेनेटोरियम में क्षयरोग से पीड़ित रोपण कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों हेतु 5 बिस्तर आरक्षित कराएं। ये बिस्तर उत्तर बंगाल स्थित चाय उत्पादक संघ को आबंटित किये जाते हैं, जो रखरखाव प्रभार का जो 1/3 भाग प्रभार वहन करते हैं तथा शेष 2/3 भाग बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है।

### *(ii) रामलिंगम टी.बी. सेनेटोरियम*

वर्ष 1956-57 से बोर्ड ने क्षय रोग से पीड़ित चाय बागान,

श्रमिकों व उनके आश्रितों हेतु रामलिंगम टी.बी. सेनेटोरियम, पेरुन्डुराई, तमिलनाडु में 15 निःशुल्क बिस्तरों को आरक्षित करती आ रही है जिसके लिए बोर्ड द्वारा रु. 92,124/- का पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। चूँकि बोर्ड द्वारा आरक्षित उक्त सेनेटोरियम में 15 निःशुल्क बिस्तर अपर्याप्त पाए गए हैं। इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1962 से बोर्ड द्वारा 17 अतिरिक्त बिस्तरों का प्रबन्ध 16/- रु. प्रति रोगी प्रतिदिन के दर से बिस्तर भरे होने की शर्त पर कर रहा है। अवरोध प्रभार बोर्ड अपनी 24.5.88 को बंगलोर में हुई बैठक में 30/- रु. तक परिशोधित किया जिसे बाद में 29.9.1993 को कोलकाता में हुई बैठक में 50/- रु. कर दिया गया। तदनन्तर, 29.12.1999 को बंगलोर में हुई बैठक में बोर्ड ने अस्पताल अवरोध दर को प्रति दिन प्रति रोगी 75/- रु. कर दिया जो कि 01.01.2000 से वास्तविक बिस्तर भरे होने की शर्त पर किया गया। कोलकाता में दिनांक 21 सितंबर 2011 को हुई बोर्ड अपनी बैठक में अस्पताल अवरोध दर को पुनः संशोधित कर दिनांक 01.04.2011 से प्रतिदिन प्रति रोगी 75/- रु. से बढ़ाकर 92/- रु. अस्पताल में भर्ती करते वक्त ही देने का फैसला किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया।

**iii) कालिम्पांग अनुमन्डलीय अस्पताल :**

बोड ने प्रति वर्ष प्रति बिस्तर 12,000/- क रु. के भूगतान पर चाय बागान कर्मियों व उनके आश्रितों का कुष्ट रोग के उपचार हेतु कलिम्पांग अनुमंडलीय अस्पताल के कुष्ट रोग स्कंध में 3 बिस्तरों को आर क्षित रखना जारी रखा।

**iv) मैंकोरेंज अस्पताल, मैंगोरेज, तमिलनाडु :**

बोर्ड ने दिनांक 30 दिसम्बर 2009 को हुई अपनी बैठक में चिकित्सा उपस्कर के क्रय हेतु चाय रोपण से जुडे कर्मिया व उनके

आश्रितों के अतिरिक चाय संपदाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में बसे रोगियों की उपचार सुविधा के बाबत रु. 4,43,346/- की पूंजीगत अनुदान की संस्वीृति प्रदान की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऊपरिकथित संस्थान को रु.4,43,346/- की राशिका भुगतान किया गया।

**v) एपीजे टी लिमिटेड, तिनसुकिया, असम:**

बोर्ड ने दिनांक 28 दिसंबर 2010 को कोलकाता में हुई अपनी बैठक में उपस्कर क्रय करने के बाबत पूंजीगत अनुदान स्वरुप रु. 5,91,500/- की रशि की संस्वीकृति प्रदान की. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्णरुपेण बंदोबस्त के बाबत एक ही बार में रु. 5,39,000/- की धनराशि विनिर्मुक्त की गई।

**vi) जोरहाट लायन्स आई अस्पताल, जोरहाट :**

बोर्ड ने दिनांक 28 दिसंबर 2010 को कोलकाता में हुई अपनी बैठक में अस्पताल भवन निर्माण करने के बाबत पूंजीगत अनुदान स्वरुप रु. 6,18,450/- की राशि की संस्वीृति प्रदान की । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रथम किस्त के रुप में रु. 3,09,225/- की धनराशि विनिर्मुक्त की गई।

**शिक्षा**

शैक्षिक वृति योजना के अधीन चाय बागान श्रमिकों के संतानों को प्राथमिक स्तर से आगे महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पढाई करने के लिये तथा पेशेवर संस्थानों में भी पढने हेतु अनुदान दिया जाता है। पंजीृत चाय बागानों मे सीधे कार्यरत

श्रमिको के बच्चों को उनकी शिक्षा शुल्क तथा छात्रावास प्रभार सालाना रु. 20,000/- तक सीमित के 2/3 भाग का भुगतान किया जाता है बशर्ते कि उनके अभिभावकों की आय या मजदुरी प्रतिमाह रु. 10,000/- से अधिक न हो। यह लाभ प्रति कर्मी केवल 2 (दो) बच्चों तक ही सीमित है. बोर्ड चाय रापण कर्मियों के लिये शैक्षणिक व्यय व पुस्तक अनुदान के रुप में 2,000/-व रू 2,500/- की दर से नेहरु पुरस्कार के रुप में एकमुश्त अनुदान देती है जो न्यूनतम 75% अंक कक्षा दस (माध्यमिक या समतुल्य) व कक्षा बारह (उच्च माध्मिक व समतुल्य) की परीक्षा में प्राप्त करते हैं एवं तदनन्तर उच्च माध्यमिक या स्नातक पाठ्यक्रम हेतु आगे पढना चाहते हैं. यह उन चाय रोपण कर्मियों के बच्चों के लिये प्रयोज्य है जिनकी वार्षिक आय रु. 1,20,000/- से अधिक नहीं है। वर्ष के दौरन शैक्षणिक वृति व नेहरु पुरस्कार योजना के तहत रु. 1,84,98,507/- की राशि संवितरित की गई।

शैक्षणिक वृत्ति और नेहरु पुरस्कार के लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् हैं :—

| क्षेत्र | पुरुष | महिला | कुल |
|---|---|---|---|
| उत्तर पूर्व | 29 | 19 | 48 |
| उत्तर भारत | 218 | 138 | 356 |
| दक्षिण भारत | 309 | 442 | 751 |
| कुल | 556 | 599 | 1155 |

9.3.1 चाय बागान क्षेत्रों में स्कूल/कॉलेज भवन के निर्माण व विस्तारण हेतु वित्तीय सहायता इस उद्देश्य से दी जाती है ताकि चाय बागान समुदाय को अतिरिक्त सीटे प्रदान की जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्कूल/कॉलेज निर्माण/विस्तारण की दिशा में कुल धन राशि रु. 73,04,017/- पूंजीगत अनुदान स्वरूप संवितरित किए

गए।

वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता निम्नलिखित संस्थानों को दिया गया :

*(i) चामराज हायर सकेण्डरी स्कूल, नीलगिरीज, तमिलनाडू :* बोर्ड की दिनांक 08.11.08 को हुई कोलकाता में अपनी बैठक में उक्त विद्यालय भवन कक्षा चलाने हेतु कमरों के निर्माण हेतु 12.00 लाख रुपए की पूंजीगत अनुदान स्वरूप दिए जाने की संस्वीकृत प्रदान की गई। निधि की अनुपलब्धता होने के कारण वर्ष 2010-

*(vi) मोरन महिला महाविद्यालय, शिवसागर, असम*

बोर्ड ने दिनांक 17 दिसंबर 2007 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में आयोजित अपनी बैठक में उक्त संस्थान के भवन में कक्षा हेतु कमरे निर्माण करने के बाबत पूंजीगत अनुदान के रूप में 11,90,000/- रुपए की राशि की संस्वीकृति प्रदान की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुदान की दूसरी किस्त 2,97,500/- रुपए की धनराशि विनिर्मुक्त की गई।

*(vii) फिलोबाडी हाई स्कूल, तिनसुकिया, असम :*

- रुपए की पूंजीगत अनुदान की संस्वीकृति प्रदान की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पहली किस्त के रूप में 5,98,500/- रुपए की धनराशि विनिर्मुक्त की गई।

***(xii) रंगाचकुआ एच एस स्कूल, सोनितपुर, असम :***

बोर्ड ने दिनांक 26 जून 2010 को कोलकाता में आयोजित अपनी बैठक में उक्त स्कूल के भवन निर्माण की दिशा में 12,00,000/- रुपए की पूंजीगत अनुदान की संस्वीकृति प्रदान की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दूसरी किस्त के रूप में 3,00,000/- रुपए की धनराशि विनिर्मुक्त की गई।

***(xii) ऋषिहाट हाई स्कूल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल :***

बोर्ड ने दिनांक 30 जून 2009 को अगरतल्ला, त्रिपुरा में आयोजित अपनी बैठक में 7,92,318/- रुपए की पूंजीगत अनुदान की संस्वीकृति प्रदान की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समूचे राशि के रूप में 7,92,318/- रुपए की धनराशि विनिर्मुक्त की गई।

***(xiv) बिहूपुरिया कॉलेज, लखीमपुर, असम :***

बोर्ड ने दिनांक 30 जून 2009 को अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित अपनी बैठक में उक्त कॉलेज के भवन निर्माण की दिशा में 12.00 लाख रुपए की पूंजीगत अनुदान की संस्वीकृति प्रदान की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पहली किस्त के रूप में 6.00 लाख रुपए की धनराशि विनिर्मुक्त की गई।

***(xv) सेंट जोसेफ हाई स्कूल, कच्छार, असम :***

बोर्ड ने दिनांक 11 सितंबर 2009 को कोलकाता में आयोजित अपनी बैठक में उक्त स्कूल के भवन निर्माण की दिशा में 10,07,400/- रुपए की पूंजीगत अनुदान की संस्वीकृति प्रदान की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दूसरी किस्त के रूप में 2,51,850/- रुपए की धनराशि विनिर्मुक्त की गई।

***(xvi) रवीन्द्रनाथ एच एस स्कूल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल :***

बोर्ड ने दिनांक 11 सितंबर 2010 को कोलकाता में आयोजित अपनी बैठक में उक्त स्कूल के भवन निर्माण की दिशा में 11,47,409/- रुपए की पूंजीगत अनुदान की संस्वीकृति प्रदान की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पहली किस्त के रूप में 5,73,704/- रुपए की धनराशि विनिर्मुक्त की गई।

**9.3.1. जलपाईगुड़ी पॉलीटेकनिक संस्थान में भर्ती :**

बोर्ड ने वर्ष 1979-80 से डिप्लोमा पाठयक्रम में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान चाय बागान कर्मियों के संतानों को भर्ती कराने हेतु जलपाईगुड़ी पॉलीटेकनिक संस्थान, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में तीन सीटों को आरक्षित करती आ रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन आरक्षित सीटों को भर्ती करने के लिए चाय बागान के कर्मियों के संतानों में से उनके प्रतिभा के आधार पर तीन (3) संतानों को चयनित किया गया।

**9.3.3. स्काऊटिग व गाईडिगं :**

बोर्ड, भारत स्काऊट एवं गाईड्स के पश्चिम बंगाल राज्य संघ को वित्तीय सहायता देता आ रहा है। इसके अतिरिक्त यह सहायता केरल, त्रिपुरा, असम तथा तमिलनाडु को भी पिछले 45 वर्षों से दी जा रही है। इस सहायता का उद्देश्य रोपण कर्मचारियों के बच्चों में अनुशसन, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, भयमुक्ति तथा स्काऊटिंग एवं गाईडिंग के सिद्धान्तों का प्रचार करना है। वित्तीय सहायता के अंतर्गत है : (i) जिला स्काऊट/गाईड संगठनों को वेतन तथा यात्रा भत्ता भुगतान (ii) चाय बागानों में स्काऊट तथा गाईड प्रशिक्षण कैम्पों के आयोजन हेतु प्रचार (iii) चाय बागानों में स्काऊट/गाईड/कब/बुलबुल आदि के लिए मैचिग अनुदान (iv) रैलियों, रैली सह कैम्पों, कैम्पोरी, जम्बुरी आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता चाय बागान क्षेत्रों में भारत स्काउट्स एंड गाईडस को वित्तीय सहायता इस योजना के तहत संस्वीकृत किया जाता, जिसे प्रत्येक वर्ष नवीकृत किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने स्काऊट व गाईडस कार्यकलापों के लिए 4,68,906/- रुपए की राशि को संवितरित किया गया। वर्ष के दौरान 3373 सहभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

**9.3.4. क्रीड़ा**

चाय बागान कर्मचारियों की शारीरिक चुस्ती एवं मानसिक उन्नयन के लिए बोर्ड ने भारत के चाय बागान श्रमिकों में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु बोर्ड ने जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तरों पर क्रीड़ा व्यक्तित्वों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई है जो कि चाय रोपण कर्मियों या उनके संतानों के मध्य से होगा एवं जैसा कि बोर्ड की योजना में प्रदत्त है वित्तीय सहायता दी जायेगी। वर्ष के दौरान कोई अनुदान संवितरित नहीं किया गया।

**प्रशिक्षण**

वर्ष के दौरान चाय रोपण कर्मियों के संतानों हेतु बोर्ड ने तीन प्रकार के पाठयक्रम जैसे (i) मोबाईल और सीडी/डीवीडी मरम्मत

(ii) फेब्रीकेशन (iii) थैला निर्माण इत्यादि जन शिक्षण संस्थान, जलपाईगुड़ी के माध्यम से 300 लाभार्थियों को 6 महीने की अवधि तक 100 छात्रों हेतु 1.50 लाख रुपए प्रति पाठयक्रम की दर से कुल धनराशि 4.50 लाख रुपए खर्च कर संचालित करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 285 अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त कार्यक्रम आयोजित करने के बाबत कुल अनुदान 4,24,500/- रुपए की संस्वीकृति प्रदान करने की दिशा में बोर्ड ने अपनी सहमति जताई। प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुभारंभ करने हेतु प्रारंभिक भुगतान के रूप में 1,27,350/- रुपए (30%) का पहला किस्त विनिर्मुक्त किया गया।

चाय बागान कर्मियों/स्टॉफ/प्रबंधकों हेतु प्रशिक्षण पर किए गए खर्च का ब्यौरा अनुलग्नक- V के अधीन दर्शाए गए हैं।

### 9.5 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान निष्पादन का सारांथ

योजना अवधि 2011-12 लेखा आवधिक वर्ष होने के नाते सम्पूर्ण योजना अवधि के संदर्भ सहित सम्पूर्ण निष्पादन निम्नवत प्रस्तुत है-

संपूर्ण योजना अवधि हेतु मानव संसाधन विकास योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 50 करोड है, जैसा कि सारणी- (क) में दिखया गया है। श्रम कल्याण संबंधी गतिविधियों का ध्यान कल्याण शाखा द्वारा रखा जाता है जबकि प्रशिक्षण वाला हिस्सा विकास निदेशक द्वारा देखा जाता है। वार्षिक योजनाओं द्वारा जारी औसतन निधियाँ 20.30 रूपए थी, जैसा कि सारणी 1(ग) में दर्शाया गया है जिसके समक्ष 20.15 करोड का कुल संवितरण कार्य किया गया-

सारणी 1(क)

| अनुमोदित परिव्यय (रू.करोड़) | |
|---|---|
| प्रशिक्षण कार्यक्रम | 12.50 |
| श्रम कल्याण (स्वास्थ्य व शिक्षा) | 37.50 |
| कुल | 50.00 |

सारणी 1(ख)

| | |
|---|---|
| वास्तव में प्राप्त राशि (रू.करोड़) | 20.30 |
| प्रशिक्षण कार्यक्रम | |
| श्रम कल्याण (स्वास्थ्य व शिक्षा) | |
| कुल | 20.30 |

सारणी 1(ग)

| क्र सं | समर्थित गतिविधियाँ | व्ययित रू./करोड़ |
|---|---|---|
| 1 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | 5.69 |
| 2 | श्रम कल्याण (स्वाथ्य व शिक्षा) | 13.27 |
| 3 | अन्य | 1.19 |
| | कुल | 20.15 |

## कल्याणमूलक गतिविधियों की उपलब्धि एवं लक्ष्य का ब्यौरा

सारणी 2 (क) ग्यारहवीं योजना (2007-12) के दौरान कल्याणात्मक गतिविधियों के तहत लक्ष्य

| संघटन | गतिविधियाँ | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | चाय क्षेत्रों में अस्पतालों को सशक्तिकरण | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 |
| | चिकित्सीय सहायता, बिस्तरों का आरक्षण | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
| | परिवार कल्याण कार्यक्रम | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| | पेय जल | 0 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 5000 |
| | सेनीटेशन | 0 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 10000 |
| | | | | | | | |
| | वृत्ति/नेहरू पुरस्कार | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |
| | पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक अनुदान | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 |
| शिक्षा | भारत स्काउटस व गाइड | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 5500 |
| | स्कूल/कॉलेज | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 |

सारणी 2(ख) ग्यारहवीं योजना (2007-12) के दौरान कल्याणमूलक गतिविधियों की प्रत्यक्ष उपलब्धि:-

| संघटन | गतिविधियाँ | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | चाय क्षेत्रों में अस्पतालों को सशक्तिकरण | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 |
| | चिकित्सीय सहायता, बिस्तरों का आरक्षण | 3 | 5 | 81 | 1 | 5 | 95 |
| स्वास्थ्य | परिवार कल्याण कार्यक्रम | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| | पेय जल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सेनीटेशन | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| | | | | | | | |
| | वृत्ति/नेहरू पुरस्कार | 665 | 579 | 212 | 1052 | 1392 | 3900 |
| | पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक अनुदान | 20630 | 10404 | 0 | 0 | 0 | 31034 |
| शिक्षा | भारत स्काउटस व गाइड | 995 | 879 | 88 | 3374 | 3773 | 9109 |
| | स्कूल/कॉलेज | 12 | 6 | 12 | 6 | 17 | 53 |

सारणी 2(ग) ग्यारहवीं योजना (2007-12) के दौरान कल्याण मूलक गतिविधियों की प्रत्यक्ष उपलब्धि (सं में) :

रू./करोड़.

| गतिविधि | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कल्याण् | 3.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.00 | 37.50 |
| कुल | 3.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.00 | 37.50 |

सारणी 2(घ) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कल्याण गतिविधियों की वित्तीय उपलब्धि:

रू./करोड.

| गतिविधि | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कल्याण् | 3.48 | 2.79 | 2.16 | 2.05 | 2.79 | 13.27 |
| कुल | 3.48 | 2.79 | 2.16 | 2.05 | 2.79 | 13.27 |

# हिन्दी कक्ष

## 10.1 प्रस्तावना

26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होते ही अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा बनी। भारत सरकार को यह दायित्व दिया गया कि वह राजभाषा हिन्दी का प्रचार एवं विकास इस प्रकार करें कि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। लम्बे समय से चल रही सरकारी कामकाज की भाषा को हिन्दी द्वारा स्थानापन्न करने हेतु सघन प्रयासों की आवश्यकता थी एवं इसके लिए समय-समय पर आदेश जारी किए जाने थे। अपनी स्थापना के समय से ही हिन्दी कक्ष राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा 1976 नियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य का दायित्व निभा रहा है। इसके अलावा हिन्दी कक्ष राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न मदो हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। समीक्षाधीन वर्ष में इस दिशा में कृत कार्य निम्नलिखित रहे :—

## 10.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3( 3 ) का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उक्त धारा में विहित सभी प्रलेख द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक साथ जारी किए गए। टी बोर्ड द्वारा जारी अनुज्ञापन भी द्विभाषी रूप में जारी हुए।

## 10.3 हिन्दी पुस्तकों का क्रय

राजाभाषा कार्यान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने तथा हिन्दी शिक्षण हेतु संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए हिन्दी कक्ष द्वारा एक हिन्दी पुस्तकालय चलाया जा रहा है। वर्ष 2011-12 के दौरान मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 35,000/- की पुस्तकें खरीदी गई। इनमें संदर्भ साहित्य एवं शब्दावली/कोश आदि सम्मिलित है।

## 10.4 हिन्दी के पत्राचार

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए गए। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सघन प्रयास किए गए।

## 10.5 हिन्दी में रिपोर्ट

संसद में रखे जानेवाला सभी प्रतिवेदन जैसे वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आदि हिन्दी में भी तैयार किए गए। इसके अलावा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी हिन्दी में तैयार किए गए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को इनका नियमित रूप से प्रेषण किया गया।

## 10.6 हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

वर्ष के प्रत्येक तिमाही के दौरान उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें कार्यसाधक ज्ञान अथवा प्रवीणता प्राप्त है, को राजभाषा कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों से आगत प्रवक्ताओं ने सत्र संचालित किए। इसके फलस्वरूप कार्मिकों में व्यवहारिक/प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रति अभिरूचि पैदा हुई।

## 10.7 हिन्दी प्रशिक्षण

बोर्ड के अप्रशिक्षित कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ कर्मचारियों को प्रवीण और प्राज्ञ के लिए नामित किया गया।

## 10.8 हिन्दी सप्ताह का आयोजन

राजभाषा के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा कामकाज में इसे बढ़ावा देने हेतु फरवरी, 2012 में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए।

## 10.9 गृह पत्रिका का प्रकाशन

वर्ष 1987 से हिन्दी गृह पत्रिका "चाय और भारत" साल में दो बार प्रकाशित हो रही है। इस वर्ष भी बोर्ड द्वारा इसका प्रकाशन जारी रहा। इन दो अंकों में चाय श्रम कल्याण विधियों, चाय पर विशेष लेख व अन्य लेखन भी प्रकाशित हुए। इसके परिणामस्वरूप कार्यालय में साहित्यिक अभिरूचि पैदा हुई। इस पत्रिका की प्रतियाँ भारत स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विदेश स्थित कार्यालयों को भेजी गई।

### 10.10 संघ की राजभाषा में कार्य करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम

वर्ष 1967 में संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह निर्देश दिया गया था कि भारत सरकार एवं अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वित करेगी जिससे हिन्दी के प्रसार एवं विकास को गति मिले। वर्ष 2011-2012 का कार्यक्रम इसी क्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से हम संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति तेज की गयी। निर्धारित लक्ष्यों की कुछ हद तक प्राप्ति भी हुई है। फिर भी टी बोर्ड में बहुत हद तक कार्य अंग्रेजी में ही होता रहा।

### 10.11 बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उपयोगी निर्णय लिए गए।

### 10.12 द्विभाषी कम्प्यूटरों का प्रावधान

समीक्षाधीन वर्ष में बोर्ड के मुख्यालय में सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी साफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए।

### 10.13 कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी प्रयोग हेतु प्रोत्साहन योजना

बोर्ड ने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रोत्साहन योजना को प्रचारित किया जिसका उद्देश्य हिन्दी की कामकाज में गति लाना था। अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इसका लाभ लिया। कुछ कर्मचारियों ने इस योजना में हिस्सा लिया जिसमें से 11 को पुरस्कृत किया गया।

### 10.14 तिमाही प्रगति रिपोर्ट

टी बोर्ड, मुख्यालय द्वारा नियंत्रित सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों ने विहित प्रपत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट भेजी। इनकी समीक्षा हुई तथा कमियों को दूर करने हेतु कार्रवाई की गई।

### 10.15 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण

वर्ष 2011-2012 के दौरान टी बोर्ड के मुख्यालय के कतिपय अनुभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली का निरीक्षण किया गया।

### 10.16 संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों पर कार्रवाई कर ली गई।

### 10.17 विशेष उपलब्धियाँ

बोर्ड के वेबसाइट का द्विभषीकरण वर्ष के दौरान कर लिया गया।

सहायता प्रदान करना।

**उर्वरक**

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आवश्यकता के आधार पर टी बोर्ड द्वारा चिन्हित चाय उद्योग के लिए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा उर्वरक आबंटित किया जाता है। चाय बागानों का आबंटन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है, पहली खरीफ के लिए (अप्रैल से सितम्बर) एवं दूसरी रबी के लिए (अक्टूबर से मार्च)।

# आपूर्ति

टी बोर्ड, कोलकाता के आपूर्ति शाखा का प्रधान कार्य चाय उद्योग को विभिन्न इनपुटों यथा, उर्वरक यथा, उर्वरक (विशेषकर यूरिया, पुरूलियाफॉस व रॉक फॉस्फेट) की अधिप्राप्ति आवागमन एवं संवितरण संबंधी मामलों में

बोर्ड सहित प्राप्त सूचन
वाला अन्यतम महत्वपूर्ण उर्व
चाय बागानों व अन्य राज्यों
बंगाल (यथा पूर्वी अंचल
विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति
कॉरपरेशन लिमिटेड (वीवीए
केमिकल्स लिमिटेड (एनएफ
अवधि के दौरान प्रत्येक के
बागानों को आपूर्ति की गई

| वर्ष 2011-12 के दौरान आपूर्तित यूरिया की मात्रा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का नाम | असम | | पश्चिम बंगाल | | त्रि |
| | उर्वरक | न्यूट्रियेन्ट | उर्वरक | न्यूट्रियेन्ट | उर्वरक |
| बीवीएफसीएल | 28,268 | 13,002 | – | – | 384 |
| एनएफसीएल | – | – | 6,830 | 3,142 | - |
| कुल | 28,268 | 13,002 | 6,830 | 3,142 | 384 |

एक अन्य महत्वपूर्ण उर्वरक जिसे पुरुलिया फॉस कहा जाता है, चाय बागानों में भी उसका उपयोग कि
पश्चिम बंगाल मिनरल डेवेलपमेन्ट व ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एम.डी.टी.सी.एल) द्वारा किया जा
अधीन) व उत्तर (पूर्वी अंचल के अधीन) चाय बागान में पुरूलिया फॉस की आपूर्ति निम्नवत है :—

(मै

| असम | | पश्चिम बंगाल | | कु |
|---|---|---|---|---|
| उर्वरक | न्यूट्रियेन्ट | उर्वरक | न्यूट्रियेन्ट | उर्वरक |
| — | — | 695 | 142 | 695 |

के अनुसार चाय बागानों में प्रयोग किये जाने
क में नियंत्रित उर्वरक (यथा यूरिया) असम के
यथा उत्तर-पूर्वी अंचल के अधीन) एवं पश्चिम
अधीन) के चाय बागानों को निम्नलिखित
या गया यथा (1) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाईजर
सीएल) एवं (2) नागार्जुना फर्टिलाईजर्स एण्ड
सीएल) एवं अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012
द्वारा असम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल के चाय
रिया की मात्रा नीचे सारणी में दी गई है :—

(मै.ट. में आँकड़े)

| | | |
|---|---|---|
| रा | कुल | |
| न्यूट्रियेन्ट | उर्वरक | न्यूटियेन्ट |
| 177 | 28,652 | 13,179 |
| – | 6,830 | 3,142 |
| 177 | 35,482 | 16,321 |

या जाता है। पुरूलिया फॉस की आपूर्ति मेमर्स
ा है। असम चाय बागान (उत्तर-पूर्वी अंचल के

ट. में आँकड़े)

| न | |
|---|---|
| न्यूटियेन्ट | |
| 142 | |

नियंत्रित उर्वरक के अतिरिक्त आपूर्ति शाखा अनियंत्रित उर्वरक यथा एमओपी, डीएपी आदि की कम पूर्ति की समस्याओं को भी देख रहा है जिसे असम व अन्य राज्यों (उत्तर पूर्वी अंचल के अधीन) व पश्चिम बंगाल (पूर्वी अंचल के अधीन) में प्रयोग किया जाता है ।

<u>अन्य</u>

आपूर्ति शाखा कोयला, खाद्य सामग्री, एलपीजी सिलिण्डर/प्राकृतिक गैस, एचएसडी तेल इत्यादि से संबंधित मामलों को भी देख रही है जिसकी आपूर्ति चाय बागानों के जरूरत पड़ने पर उस समय की कजाती है जब आपूर्ति में उत्पन्न अवरोध के कारण चाय उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

# मानव संसाधन विकास

बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के मानव संसाधन विकास कक्ष एवं अन्य विभागों द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों व चाय उद्योग के हित धारकों हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियाँ आदि समय-समय पर आयोजित की जाती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान चाय बोर्ड के मानव संसाधन विकास संबंधी निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गई :—

1. टी डी एस, एम एस ऑफिस सहित कम्प्यूटर के अनुप्रयोग, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों आदि के संबंध में सरकारी नियमों संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन फरवरी, 2012 में किया गया, जिसमें चाय बोर्ड कोलकाता के विभिन्न विभागों से नौ कार्याधिकारियों ने भाग लिया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्री टी के डे, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, श्रीमती एन दत्ता, उप निदेशक चाय संवर्धन एवं श्री जी शर्मा, उपनिदेशक चाय विकास द्वारा किया गया।
2. बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लाभार्थ, हृदय व मधुमेह रोग से बचने के उपाय हेतु एक मुफ्त स्वास्थ्य जाँच कैंप का आयोजन दिनांक 20.01.2012 को बोर्ड के सभागार में किया गया। स्वास्थ्य जाँच का कार्य डीसन हॉस्पीटल एवं हार्ट इंस्टीच्यूट, कोलकाता द्वारा किया गया।

# सतर्कता प्रकोष्ठ

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया। सतर्कता प्रकोष्ट के सामग्रिक कार्यकलापों को मुख्य सतर्कता अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन किया जा रहा है। उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सतर्कता प्रकोष्ठ के कुल चार कार्याधिकारी हैं। सतर्कता प्रकोष्ठ का मुख्य है सरकार/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित करना, जिसे नियमित रूप से अनुपालित किया जाता है। सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के साथ-साथ सरकार को मासिक व तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। मुख्य सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशानुसार बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के सलाह पर निविदा और निवारक सतर्कता संबंधी सभी पहलुओं का अनुसरण बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड के विधि अधिकारी ही सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं जो संपर्क प्रबंधन कार्य के लिए उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ बोर्ड के सामग्रिक सतर्कता निगरानी का भी कार्य करता है। सतर्कता प्रकोष्ठ का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य; केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूता सप्ताह का आयोजन करना है, जिसमें चाय बोर्ड के सभी कार्याधिकारियों को चाय बोर्ड की बुनियादी सतर्कता मिशन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए दक्षता एवं पारदर्शिता रूपी शपथ-संदेश के माध्यम से उन्हें शपथ दिलायी जाती है। वर्ष के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा दो गुमनाम शिकायतें प्राप्त हुई, जिसपर अनामता शिकायती होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज की तिथि तक कोई भी सतर्कता मामला इस प्रकोष्ठ में लंबित नहीं है।

# विधि प्रकोष्ठ पर रिपोर्ट
# ( सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 )

चाय बोर्ड का विधि प्रकोष्ठ, विधि अधिकारी के अधीन कार्य करता है। उनकी सहायता अन्य कर्मचारी सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। चाय बोर्ड का विधि प्रकोष्ठ बोर्ड के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अग्रेषित सभी वैधिक मामलों का पर्यवेक्षण करता है। प्रकोष्ठ बोर्ड के सॉलसिटर मेसर्स फॉक्स एंड मण्डल राजेश खेतान एंड कं., के . एण्ड एस. पार्टनर्स व अन्य विधिक सलाहकारों के साथ बोर्ड की ओर से सम्पर्क स्थापित करता है। यह प्रकोष्ठ बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी सभी मामलों का भी देखभाल करता है, कानूनों के अधीन इसमें बोर्ड द्वारा पंजीकृत भारत एवं विदेश में विभिन्न लोगों चिह्न/शब्द चिह्न शामिल है। यह प्रकोष्ठ नियत समय के भीतर सूचना का अधिकार 2005 के तहत आवेदनों के निपटान व अपील करने के लिए उत्तरदायी है साथ ही मंत्रालय को मासिक एवं वार्षिक विवरण भेजने के लिए भी उत्तरदायी है। दिनांक 01.04.2011 तक 42 मामले लंबित थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पाँच नए मामले आए जिनमें से तीन का निपटारा किया जा चुका है एवं दिनांक 31.03.2012 तक कुल लंबित मामलों की संख्या 44 थी।

अनुलग्नक-'I'

## 01.04.2011 से 31.3.2012 तक की अवधि हेतु सदस्यों की सूचि

1. श्री दिनेश शर्मा, भा.प्र.से. 30.6.2011 तक टी बोर्ड के

7. प्रधान सचिव
कृषि विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002

13. श्री जे.एल. बुटेल
कांगड़ा वैली स्मॉल टी प्लांटर्स एसोसिएशन
कांगड़ा वैली टी इस्टेट, गोपालपुर
जिला-कांगड़ा , पिन-176059
हिमाचल प्रदेश

14. श्री अक्षय कुमार राजखोवा
4ए,अदिति अपार्टमेंट, मानिकनगर
वाय लेन 2(राईट) गुवाहाटी-781 005
असम

15. श्री पी.वी. बालचन्द्रन
सभापति, जिला कांग्रेस कमिटि
पीओ- नारीकुण्डु, अम्बलावायल-673593
वायनाड, केरल

16. श्री राजीन्दर सिंह ठाकुर
पीओ-खालेट, तेह-पालमपुर
जिला-कांगड.ा, पिन-176 061
हिमाचल प्रदेश

17. श्री शंकर मालाकार
सभापति, दार्जिलिंग जिला कांग्रेस कमिटि
बाबुपारा, सिलिगुड़ा
जिला-दार्जिलिंग, पिन-734001
पश्चिम बंगाल

18. श्री कोशी बेबी
गुडालुर बाजार, नीलगिरी
पिन-643 212, तमिल नाडू

19. श्री ए.के. मोनी
भूतपूर्व विधायक, टॉप स्टेशन रोड
मुन्नार, पीओ-इडुकी
पिन-685612, केरल

20. श्री अलोक चक्रवर्ती
सचिव, आई एन टी यू सी, पश्चिम बंगाल शाखा
'पुतुल घर', दुर्गापुरी, सिलिगुड़ी , पीओ-प्रधान
नगर, पिन-734 001, पश्चिम बंगाल

21. श्री डी.पी. राय
सदस्य, पश्चिम बंगाल, विधान सभा
जलपाईगुड़ी-785 101
पश्चिम बंगाल

22. श्री दिनेश कुमार शर्मा, उप सभापति
ऑल असम स्मॉल टी ग्रोवर्स एसोसिएशन
तिनसुकिया, असम

23. श्री समीर राय
स्टेशन रोड, जलपाईगुड़ी-735 101
पश्चिम बंगाल

24. डॉ. एस. रामु, पीएचडी
डोडाकम्बू टी फैक्ट्री प्रा. लि.
स्नोडॉन टी फैक्ट्री, नं. 9, स्प्रींग फील्ड
कूनूर-643 101
नीलगिरी, तमिल नाडू

25. डॉ. अजीत कुमार अग्रवाल
अग्रवाल हाउस, द्वितीय माईल्स स्टोन
सेवोक रोड, सिलिगुड़ी

26. श्री एम. चंद्रकांत , एमडी
गोलचा टी प्लांटेशन प्रा. लि. एस.नं. 169
द आइसलैण्ड, फ्लैट ई/216, वाकाड पेट्रोल पम्प के विपरीत
वाकाड, पूणे -411057

27. श्री हिरण्या बोरा
हाउस सं. 36, तरूण नगर, बाई लेन-4
गुवाहाटी, असम-781 005

28. श्री अंशुमान कनोरिया
10, प्रिंसेप स्ट्रीट
कोलकाता-700 022

29. श्रीमती बर्नाली दे मोहिन्ता
वास्ते- श्रीमती गीता दे, देलॉज, नजरूल सरणी
आश्रमपाड़ा, सिलिगुड़ी-734 401

30. श्रीमती चित्रा रमेश
801, ए ब्लॉक, आरएनएस शांति निवास अपार्टमेंट
तुमकुर रोड, यशवंतपुर
बेंगलुरू-560 022

31. श्री संजीव सरीन
क्षेत्रीय सभापति-साउथ एशिया
टाटा ग्लोबल बेबरेजेज लि. 62,3 क्रोस
द्वितीय फेज, इंडस्ट्रीयल सुवर्ब
यशवंतपुर, बेंगलुरू

**बोर्ड के विशेष अतिथि**

1. भारत सरकार के प्रतिनिधि
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, ''उद्योग भवन''
नई दिल्ली

2. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कार्परेशन
लि.(एनईडीएफआई)
वसुंधरा एनक्लेव
बी.के. काकाटी रोड, यूलुबारी
गुवाहाटी-781007

3. सभापति
टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
6, एन.एस. रोड
कोलकाता-700 001

4. श्री विजय गोपाल चक्रवर्ती, सभापति
कांफेडेरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल टी ग्रोवर्स
एसोसिएशन (सीआईएसटीए)
20, कॉलेज पारा, पीओ एवं जिला- जलपाईगुड़ी
पिन-735 101, प.बं.

5. अध्यक्ष
यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया
(उपासी-टी कमिटि)
''ग्लेनव्यू'', कूनूर-643 101, नीलगिरी
तमिल नाडू

6. अध्यक्ष
दार्जिलिंग टी एसोसिएशन (डीटीए)
6, एन.एस. रोड, कोलकाता

7. श्री डी.पी. महेशवरी, अध्यक्ष
टी रिसर्च एसोसिएशन (टीआरए)
113, पार्क स्ट्रीट, 9वॉ तल
कोलकाता-700 016

8. श्री विद्यानंद बारकाकोटी
ज्वांइट फोरम ऑफ एटीपीए, एनईटीए एवं बीसीपी
ए.टी. रोड, टारजन, जोरहाट
पिन-785 001, असम

वर्ष 2011-12 के दौरान तीन बैठके हुई (22.9.2011, 29.11.2011 और 02.03.2012)

अनुलग्नक-'II'

## वर्ष 2011-2012 के लिए (31 मार्च, 2012 तक) स्थाई समितियों का गठन

### कार्यकारिणी समिति

1. अध्यक्ष , टी बोर्ड
   (पदेन, समिति के अध्यक्ष)

2. श्री जे. एल. बुटैल,
   अध्यक्ष कांगडा
   चाय रोपण संघ
   कांगड़ा घाटी चाय बागान ,
   गोपालपुर, जिला-कांगड़ा
   पिन-176059, हिमाचल प्रदेश

3. श्री सी. नटराज, नायब अध्यक्ष
   चाय बोर्ड व भूतपूर्व सभापति,
   यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन
   ऑफ साउदर्न इंडिया
   (उपासी कूनूर)बंगलूर, कर्नाटक

4. श्री राजेन गोहेन
   संसद सदस्य, लोक सभा
   185, साउथ एवेन्यू
   नई दिल्ली-110 011.

5. श्री डी.पी. रॉय
   सदस्य,पश्चिम बंगाल विधान सभा
   जलपाईगुड़ी-785101, पश्चिम
   बंगाल

6. अध्यक्ष
   भारतीय चाय संघ,
   "रॉयल एक्सचैंज"
   6, एन.एस. रोड,
   कोलकाता-700001

7. श्री शंकर मालाकार, सभापति
   दार्जिलिंग जिला कांग्रेस समिति
   सदस्य ए.आई.सी.सी.
   बाबुपाड़ा, सिलिगुड़ी,
   जिला-दार्जिलिंग
   पिन-734001, पश्चिम बंगाल

8. श्री कोशी बेबी
   11/157 पुथुमाना, कालिकट रोड
   गुदालुर बाजार, पी.ओ.- 643 212
   नीलगिरी जिला, तमिलनाडु

9. श्री अंशुमान कनोरिया,
   10प्रिन्सेप स्ट्रीट,
   कोलकाता – 700 072.

वर्ष 2011-12 के दौरान तीन बैठके हुई (22.9.2011,29.12.2011 और 2.3.2012)

II. *श्रम कल्याण समिति*

1. अध्यक्ष , टी बोर्ड
(पदेन, समिति के अध्यक्ष)

2. श्री सी. नटराज, नायब अध्यक्ष, चाय बोर्ड व भूतपूर्व सभापति, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया (उपासी कूनूर)बंगलूर, कर्नाटक

3. श्री समन पाठक
सांसद,(राज्य सभा),
पूर्वांचल, पी.ओ.-प्रधाननगर,पिन-734 003,
जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल.

4. श्री राजीन्द्र सिंह ठाकुर,
खालित टी इस्टेट
पोस्ट- खालित, तहसिल-पालमपुर,
जिला-कांगड़ा,
पिन-176061, हिमाचल प्रदेश

5. श्री ए.के. मोनी
भूतपूर्व विधायक, टॉप स्टेशन रोड,
मुन्नार, पोस्ट- इडुक्की
पीन-685612, केरल

6. श्री आलोक चक्रवर्ती
सचिव, आईएनटीयूसी, पश्चिम बंगाल शाखा
"पुतूल घर" दुर्गापुरी, सिलिगुड़ी
पोस्ट- प्रधान नगर
पीन-734001, पश्चिम बंगाल

7. श्री दिनेश कुमार शर्मा
उप सभापति, ऑल असम स्मॉल टी ग्रोवरर्स एसोसिएशन
तिनसुकिया, असम,

7.

8. श्रीमती बर्नाली दे मोहिन्ता
वास्ते- श्रीमती गीता दे, देज लॉज, नजरूल सरणी
आश्रमपाड़ा, सिलिगुड़ी
जिला-दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल - 734 401

8.

9. श्री अ[illegible] कुमार राजखोवा,
4एफ, अदिति अपार्टमेंट, मानिक नगर
बाय लेन 2 राईट गुवाहाटी-781005
असम

वर्ष 2011-12 के दौरान तीन बैठके हुई22.9.2011,29.12.2011 और 2.3.2012)

III. *विकास समिति*

1. अध्यक्ष , टी बोर्ड
(पदेन, समिति के अध्यक्ष)

2. अध्यक्ष
दार्जिलिंग चाय संघ
'रायल एक्सचेंज'
6, एन.एस. रोड,
कोलकाता -700 001

2. श्री सी. नटराज, नायब अध्यक्ष,
चाय बोर्ड व भूतपूर्व सभापति,
यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन
ऑफ साउदर्न इंडिया
(उपासी कून्नूर) बंगलूर, कर्नाटक

4. डॉ. अजीत कुमार अग्रवाल
अग्रवाला हाउस,
द्वितीय माईल्सटोन
सेवोक रोड, सिलिगुड़ी,
पश्चिम बंगाल

5. श्री समीर राय,
स्टेशन रोड,
जलपाईगुड़ी – 735 101,
पश्चिम बंगाल.

6. डॉ. एस. रामु, पीएचडी
डोडाकम्बू टी फैक्ट्री प्रा. लि.
स्नोडॉन टी फैक्ट्री , कून्नूर
नीलगिरी, तमिल नाडु

7. श्री हिरण्या बोरा
हाउस सं. 36 , तरूण नगर,
वाई लेन-4
गुवाहाटी- असम-781 005

वर्ष 2011-12 के दौरान तीन बैठके हुई(22.9.2011,29.12.2011 और 2.3.2012)

IV. निर्यात संवर्धन समिति

1. अध्यक्ष , टी बोर्ड
(पदेन, समिति के अध्यक्ष)

2. श्री. पी. विश्वनाथन
माननीय संसद सदस्य, (लोक सभा) एफ-9 वरसाल ब्लॉक,
वसुन्धरा रेसिडेंशियल एनक्लेभ
अंडालपुरम,
मदुरई-625003, तमिल नाडू

3. श्री संजीव सरीन
क्षेत्रीय सभापति- साउथ एशिया
टाटा ग्लोबल बेवरेजेज लि.
62, III क्रॉस, II फेज,
इंडस्ट्रीयल सबर्ब
यशवंतपुर, बेंगालुरू

4. श्री पी.वी. बालचन्द्रण
सभापति, जिला कांग्रेस समिति
कलपट्टा नार्थ, पी.ओ.
पिन-673 122 वायनाड, केरल

5. श्री एम. चन्द्रकांत
प्रबंध निदेशक,
गोलचा टी प्लांटेशन प्रा.लि.
एस.नं. 169, दि आईलैण्ड,
फ्लैट-ई/216, वाकाड
पेट्रोल पम्प के विपरीत
वाकाड, पुणे-411057

6. श्रीमती चित्रा रमेश
801, "ए" ब्लॉक
आरएनएस शांति निवास अपार्टमेंट
तुमकुर रोड, यशवंतपुर
बेगलुरू-560 022

7. श्री अंशुमान कनोरिया
10 प्रिंसेप स्ट्रीट
कोलकाता- 700 022

वर्ष 2011-12 के दौरान तीन बैठके हुई
(22.9.2011,29.12.2011 और 2.3.2012)

--------O--------

<u>भारत एवं विदेश स्थित टी बोई कार्यालयों के पते</u>

**भारत स्थित कार्यालय**

**कोलकाता**

टी बोर्ड,
14, विप्लबी त्रैलोक्या महाराज सरणी,
(ब्रेबोर्न रोड)
कोलकाता-700 001
दूरभाष- 033-22351411
फैक्स सं. 033-22215715
ई.मेल: secyteaboard@gmail.com
वेबसाईट: www.teaboard.gov.in

**नई दिल्ली**

टी बोर्ड,
13/2,जाम नगर हाउस,
शाहजहाँ रोड
नई दिल्ली-1100011
दूरभाष: 011-23074179, 23625930
एफ
मोबाईल:09811100236, 23543513
(नि.)

**कून्नूर**

कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड,
शेलवुड, कून्नूर क्लब रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 6
कून्नूर-643101, नीलगिरि , दक्षिण भारत
दूरभाष:04232231638/2230316*(सी)

फैक्स:0423-2232332,
2231484-निवास
ई.मेल:
teaboardcoonoor@rediffmail.com

<u>अनुलग्न-III</u>

**कोच्ची**

संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक
टी बोर्ड
इंदिरा गाँधी रोड, विलिंग्डन आईलैण्ड
कोच्ची-682003, केरल
दूरभाष: 0484-2666523/2340481
फैक्स:0484-2666648
ई.मेल: teaboardkochi@hotmail.com

**कोट्टायम**

सहायक निदेशक चाय विकास
टी बोर्ड, कॉलेज रोड
कोट्टायम-686 001, केरल
दूरभाष: 0481-2567391
फैक्स: 0481-2301223
ई.मेल: teaboard.kottayam@gmail.com

**चेन्नई**

कल्याण संपर्क अधिकारी (दक्षिण)
टी बोर्ड,
139, इल्डामस रोड (द्वितीय तल)
चेन्नई- 600 018
टेलीफैक्स: 044-24341650
दूरभाष: 044-24342754
ई.मेल: teaboardchennai@gmail.com

**गुवाहाटी**

कार्यपालक निदेशक
टी बोर्ड, उ.पू. आंचलिक कार्यालय
हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, पंचम तल,
बेलटोला- वशिष्ट रोड,
दिसपुर, गुवाहाटी-781006, असम
दूरभाष: 0361-2234257/2234258
फैक्स: 0361-2234251
ई.मेल: teaboardghy@hotmail.com

**जोरहाट**
उप निदेशक चाय विकास (रोपण)
टी बोर्ड,
टी रिसर्च एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स
सिन्नामारा
जोरहाट-785001, असम
दूरभाष: 0376-2360066
फैक्स: 0376-2360068
ई.मेल: teaboardjorhat@gmail.com

**डिब्रूगढ़**
उप निदेशक चाय विकास (रोपण)
टी बोर्ड,
वेस्ट चौकीडिंगी, टी.आर. फूकन रोड,
डिब्रूगढ़-786001
टेलीफैक्स: 0373-2322932
ई.मेल: teaboarddibrugarh@gmail.com

**तेजपुर**
सहायक निदेशक चाय विकास
टी बोर्ड,
मिशन चराली, ट्रेड व उद्योग भवन के विपरीत
पी.ओ.- डेकरगाँव, तेजपुर- 784 501
जिला-सोनितपुर, असम
दूरभाष: 03712-255664
ई.मेल: teaboardtezpur@yahoo.com

**सिल्चर**
सहायक निदेशक चाय विकास
टी बोर्ड
क्लब रोड,
सिल्चर- 788001, जिला-कच्छार, असम
दूरभाष: 03842-232518
ई.मेल: silchar_tboard@rediffmail.com

**अगरतला**
सहायक निदेशक चाय विकास
अखैरा रोड, फायर बिग्रेड, चौमुहानी
अगरतला-799 001, त्रिपुरा (पश्चिम)
दूरभाष: 0381-2324182

**सिलिगुड़ी**
उप निदेशक चाय विकास (रोपण)
शहीद भगत सिंह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
(तृतीय तल), द्वितीय माईल, सेवोक रोड,
सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल
दूरभाष/फैक्स:03532544778/2540209
ई.मेल: kkbkolkata@gmail.com

**जलपाईगुड़ी**
सहायक निदेशक चाय विकास
टी बोर्ड
रूबी कॉटेज
शिवाजी रोड, हाकिमपाड़ा,
जलपाईगुड़ी
दूरभाष: 03561-225146
ई.मेल: teaboardjal@gmail.com

**पालमपुर**
सहायक निदेशक चाय विकास
टी बोर्ड, मिशन रोड,
पालमपुर-176 061
कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
दूरभाष: 01894-230524
फैक्स: 01894-231748
ई.मेल: csmteaboard@gmail.com

**दार्जिलिंग (डीटीआर एंड डीसी)**
परियोजना निदेशक
टी बोर्ड
आचार्य भानू पथ
कर्सियांग- 734203, दार्जिलिंग
दूरभाष: 0354-230287
दूरभाष/ फैक्स:: 0354-230218
ई.मेल: tea2darjeeling@yahoo.co.in

मुम्बई
अधीक्षक
टी बोर्ड, "रेशम भवन"
78, वीर नरिमन रोड,
मुम्बई-400 020
टेलीफैक्स: 022-22041699
जी.एच (दूरभाष) :23675401
ई.मेल: mumtea@vsnl.net

**विदेश स्थित कार्यालय**

**यूनाईटेड किंग्डम**
श्री अली रजा रिजवी, भा.प्र.से.
निदेशक चाय संवर्धन
टी बोर्ड ऑफ इंडिया
इण्डिया हाउस, अल्डविच
लंदन-डब्ल्यू सी 2 बी 4 एन.ए.
दूरभाष: 0044207-2402394
फैक्स: 0044207-2402533
निवास: 013724-76967
मोबाईल: 00447788420995
निवास: 4, कॉरिक गेट
ईशोर, सरे केटी 109 इनई, यू.के.
ई.मेल- teaboardlon@ao1.com

**दुबई**
निदेशक चाय संवर्धन
टी बोर्ड ऑफ इंडिया
पी.ओ. बॉक्स सं. 2415
फ्लैट नं. 5, अल अब्बास बिल्डिंग्स
बैंक स्ट्रीट, बुर दुबई,
दुबई, यू.ए.ई.
दूरभाष: 0097143522612/3522613
फैक्स: 0097143522615
मोबाईल: 0097154575283, 513275
ई.मेल: teaboard@emirates.net.ae

**मॉस्को**
निदेशक चाय संवर्धन
टी बोर्ड ऑफ इंडिया,
वास्ते भारतीय राजदूतावास
4, वोरोन्टसोवो पोल्ये
रशियन फेडरेशन, मॉस्को
दूरभाष : 007095-9171657
फैक्स: 007095-9163724
निवास: 007095-2543743
ई.मेल: teaboard@com2com.ru

अनुलग्नक-'IV'

## वर्ष 2011-12 के दौरान सहायता अनुदान एवं अनुसंधान योजना के तहत व्यय विवरण

अनुलग्नक-'V'

वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड के श्रम कल्याण कार्यकलापों के तहत योजनावार संवितरण का पृथक पूल :

| क्र.सं. | विवरण | उत्तर भारत राशि रु. | दक्षिण भारत राशि रु. | अखिल भारत राशि रु. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शिक्षा वृत्ति एवं नेहरु पुरस्कार | 30,42,294/- | 1,54,56,213- | 1,84,98,507- |
| 2. | भारत स्काऊटस एवं गाईडस | 4,68,906/- | - | 4,68,906/- |
| 3. | मेंगोरेंज अस्पताल, मैंगोरेंज, तमिलनाडु | - | 4,43,346/- | 4,43,346/- |
| 4. | एपीते टी लिमिटेड, तिनसुकिया | 5,39,000/- | - | 5,39,000/- |
| 5. | जोरहाट लायन्स आई अस्पताल, जोरहट | 3,09,225/- | - | 3,09,225/- |
| 6. | चामराह एच एस स्कूल, नीलगिरीज, तमिलनाडु | - | 10,00,000/- | 10,00,000/- |
| 7. | मेलामोरा हाई स्कूल, गोलाघाट, असम | 4,00,000/- | - | 4,00,000/- |
| 8. | एलटीके कॉलेज, नार्थ लखीमपुर, असम | 4,00,000/- | - | 4,00,000/- |
| 9. | श्री बांगुल हाई स्कूल, डिब्रूगढ़, असम | 3,60,150/- | - | 3,60,150/- |
| 10. | गिंगिया महावीर हाई स्कूल, सोनितपुर, असम | 2,80,000/- | - | 2,80,000/- |
| 11. | मोरन महिला महाविद्यालय, शिवसागर, असम | 2,97,500/- | - | 2,97,500/- |
| 12. | फिल्लोबाड़ी हाई स्कूल, तिनसुकिया, असम | 4,44,115/- | - | 4,44,115/- |
| 13. | कुम्बरग्राम हाई स्कूल, कच्छार, असम | 4,20,000/- | - | 4,20,000/- |
| 14. | चटिया कॉलेज, सोनितपुर, असम | 2,85,880/- | - | 2,85,880/- |
| 15. | घूम ब्वॉयेज एच एस स्कूल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल | 3,00,000/- | - | 3,00,000/- |
| 16. | युद्धवीर एच एस स्कूल, दार्जिलिंग | 5,98,500/- | - | 5,98,500/- |
| 17. | रंगचकुआ एस एस स्कूल, सोनितपुर, असम | 3,00,000/- | - | 3,00,000/- |
| 18. | ऋषिहाट हाई स्कूल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल | 7,92,318/- | - | 7,92,318/- |
| 19. | बिहूपुरिया कॉलेज, लखीमपुर, असम | 6,00,000/- | - | 6,00,000/- |
| 20. | सेंट जोसेफ हाई स्कूल, इदुक्की, केरल | - | 2,51,850/- | 2,51,850/- |
| 21. | रवीन्द्रनाथ एच एस स्कूल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल | 5,73,704/- | - | 5,73,704/- |
| 22. | व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल | 1,27,350/- | - | 1,27,350/- |
| | कुल | **1,05,38,942/-** | **1,71,51,409/-** | **2,76,90,351/-** |